खण्ड-168, अंक-5
शुक्रवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(16 मार्च, 1956 ई0)

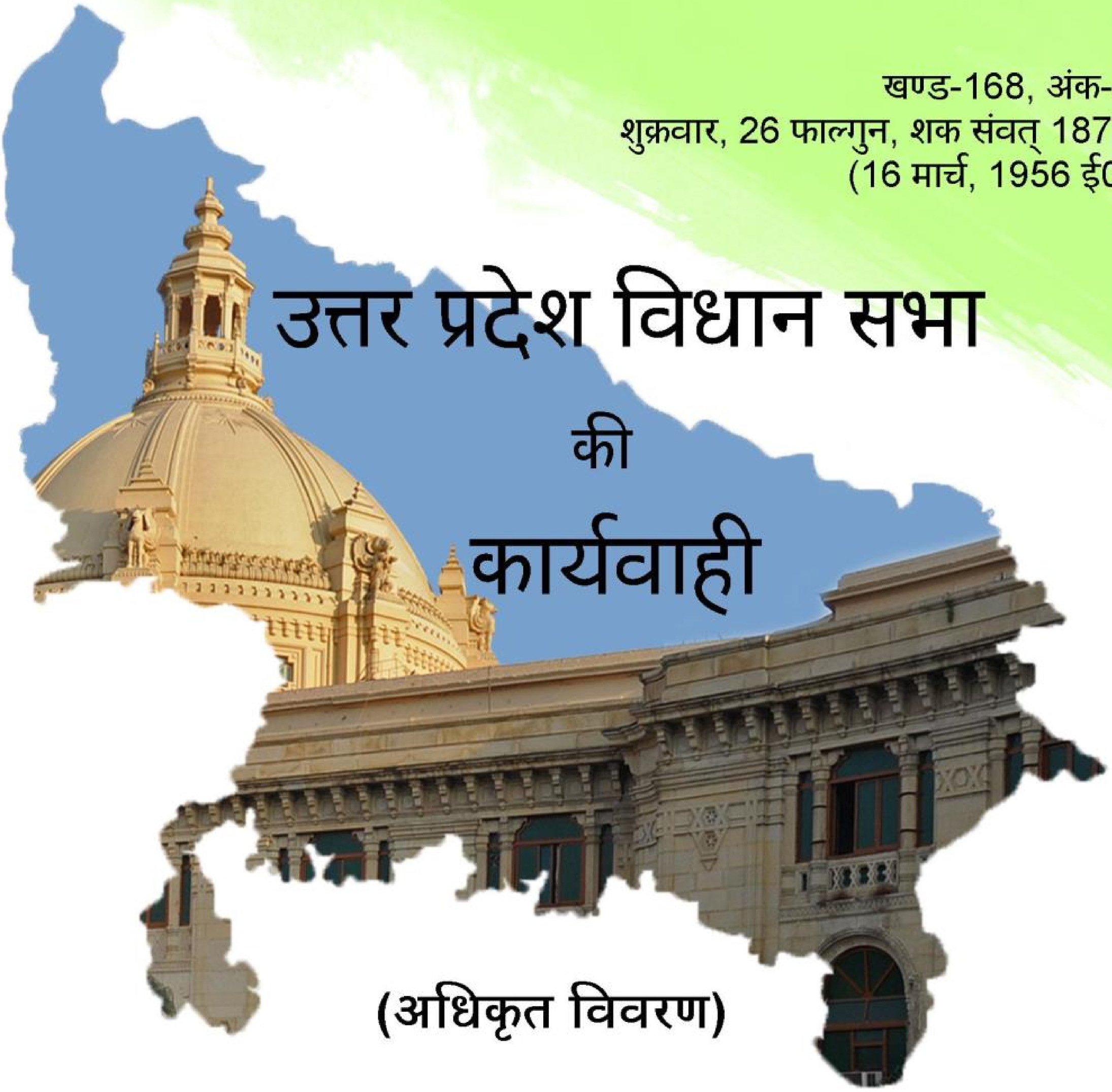

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 168 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२९१)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, खो
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री

जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री

महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहिम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्शसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला अस्पताल, बिजनौर के कर्मचारियों को निवास-स्थान का कष्ट

****१—श्रीमती चन्द्रवती** (जिला बिजनौर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि बिजनौर जिले के सरकारी मदीना अस्पताल में कर्मचारीवर्ग के निवास-स्थानों की बड़ी कमी है ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी हां।

****२—श्रीमती चन्द्रवती**—क्या मंत्री महोदय शीघ्र ही उक्त अस्पताल में कर्मचारियों के रहने के लिये क्वार्टर्स बनाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां। जिला अस्पताल बिजनौर के मेडिकल आफिसर के लिये एक नया क्वार्टर बनाने के प्रश्न पर संचालक, चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य विभाग से Detailed plans and estimates मांगे गये जिसे यह कार्य १९५६-५७ में पूर्ण किया जा सके। निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये संचालक से परामर्श किया जायगा।

श्रीमती चन्द्रवती——क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह जो कर्मचारियों के लिये निवास-स्थान का सवाल है वह अगले सप्लीमेंटरी बजट में जो रुपया रखा जायगा क्या उससे यह कार्य पूरा हो सकेगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य——इस सम्बन्ध में तो कार्य किया ही जा रहा है जैसे ही डिटेल्ड एस्टीमेट और प्लान आ जायगा तुरन्त उसके बाद यह कार्य कराया जायगा ताकि यह काम सप्लीमेंटरी बजट के बाद पूरा हो सके।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)——क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या उनको ज्ञात है कि यह कर्मचारीगण के जो मकानात हैं वे अपर्याप्त होने के अलावा टूटे-फूटे निकम्मे और रहने के अयोग्य हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य——दो तरह के मकानों के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है एक तो मेडिकल आफिसर के लिये जिसका जवाब दिया जा चुका और जहां तक निम्न-श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर्स का सम्बन्ध है यह ठीक है कि उनकी दशा अच्छी नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——क्या सरकार ने इस प्रकार के बिजनौर जैसे जो निम्न कर्मचारी वर्ग अस्पतालों के हैं उनके लिये मकानों के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य——अलग से तो कोई खास योजना नहीं है, जहां जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार निम्नश्रेणी के कर्मचारियों के लिये मकान बनाये जाते हैं।

कानपुर राज्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के टूटने की आशंका

****३——श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र** (जिला कानपुर)——क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है कि कानपुर राज्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (Kanpur Govt. Higher Secondary School) समाप्त कर दिया जाय ?

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर सीताराम)——जी नहीं।

श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र——क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कानपुर के उच्च शिक्षा अधिकारी ने इस बात की कोई रिपोर्ट दी है कि कानपुर गवर्नमेंट सेकेन्डरी स्कूल समाप्त कर दिया जाय और उस की जगह पर वहाँ एक इंडस्ट्रियल स्कूल कायम कर दिया जाय ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)——जी नहीं।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)——क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि कानपुर गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल को इंडस्ट्रियल स्कूल बना दिया जाय ?

श्री हरगोविंद सिंह——अभी तो इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया क्योंकि यह प्रश्न सामने नहीं आया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने राजकीय स्कूलों के सम्बन्ध में कहा था कि राजकीय स्कूलों के बजाय व्यक्तिगत स्कूलों को जो प्राइवेट मैनेजमेंट में चलते हैं चलाने का प्रयत्न किया जायगा ?

श्री हरगोविंद सिंह—जी नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा ।

तारांकित प्रश्न

*१-३—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—[२३ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

नेशनल इंटर कालेज, मौदहा, जिला हमीरपुर के प्रिंसिपल और मैनेजर

*४—**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)—क्या यह सत्य है कि यू० पी० एजुकेशन कोड, १९३६ की धारा ३५८ के नोट (१) के विरुद्ध नेशनल इंटर कालेज मौदहा, जिला हमीरपुर में प्रधानाचार्य (Principal) और प्रबन्धक (Manager) के पदों पर दोनों सगे भाई कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ।

*५—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार बतायेगी कि क्या इस सम्बन्ध में धारा ३५८ के नोट (२) के अनुसार सरकार की पूर्व अनुमति ले ली गई थी ? यदि हां, तो कब ? और यदि नहीं, तो इन पदाधिकारियों या कालेज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न नहीं उठता ?

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो संस्था के मैनेजर साहब थे वह इस प्रश्न के रखने के बाद उस स्थान से हट कर उस संस्था के प्रेसीडेंट हो गये ?

डाक्टर सीताराम—ऐसी बात नहीं है । वे साल भर पहले ही रिजाइन कर चुके थे ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि वे कितने दिन तक उस संस्था के मैनेजर या प्रेसीडेंट रहे और उनके जो सगे भाई थे वे वहां प्रिन्सिपल रहे ?

श्री हरगोविंदसिंह—अब वे वहां पर नहीं हैं । इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है कि वे कितने दिन प्रेसीडेंट रहे ।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि एक भाई प्रिन्सिपल अब भी है और दूसरा सगा भाई उसी इंस्टीट्यूशन की मैनेजिंग कमेटी के मैनेजर या प्रेसीडेंट हैं ?

श्री हरगोविंदसिंह—जो रिपोर्ट है उसके अनुसार प्रिन्सिपल दूसरा है और मैनेजिंग कमेटी का प्रेसीडेंट कोई दूसरा है । भाई का दोनों में सम्बन्ध नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी माननीय तेजप्रतापसिंह, माननीय झारखंडे राय और माननीय जोरावर वर्मा के प्रश्नों को ही सूचना मान कर इस सम्बन्ध में जांच कराने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री हरगोविंदसिंह—जी नहीं ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दोनों में क्या रिश्ता है और दोनों के नाम क्या हैं ?

डाक्टर सीताराम--श्री चौधरी भारतसिंह प्रबन्धक हैं और जो प्रधानाचार्य श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त हैं वे उनके भाई नहीं हैं।

पर्वतीय क्षेत्र में हालीडे होम बनाने का सुझाव

*६--**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार प्रदेश के अध्यापक-वर्ग व विद्यार्थियों के लिये नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, कौसानी, अल्मोड़ा, आदि पर्वतीय क्षेत्रों में Holiday Home बनाने की व्यवस्था पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि पंजाब सरकार ने इसी किस्म के हाली डे होम्स की व्यवस्था की है ?

श्री हरगोविंदसिंह--जी नहीं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि नैनीताल में ऊंचाई पर स्थित जो बंगले हैं वह किराये पर नहीं लगते और बन्द रहते हैं। अगर सरकार ऐसी व्यवस्था बनाये तो वे बंगले काम में लाये जा सकते हैं ?

श्री हरगोविंदसिंह--मैंने इसकी जांच नहीं की कि कोई बंगले खाली हैं और मिल सकते हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार बतलायेगी कि वह इस बात पर विचार करने को तैयार क्यों नहीं है ?

श्री हरगोविंदसिंह--इसीलिये कि इसका प्रश्न ही कभी नहीं उठा था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी माननीय नरेन्द्रसिंह विष्ट जी का सुझाव टूरिस्ट ब्यूरो के पास भेजने की कृपा करेंगे ताकि टूरिस्ट ब्यूरो हाली डे होम बना सके ?

श्री हरगोविंदसिंह--मेरा खयाल है कि विष्ट जी स्वयं भेज दें तो ज्यादा अच्छा है।

राज्य की पंचनगरी में भिक्षावृत्ति निरोधक योजना चलाने का सुझाव

*७--**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद और आगरा में भिक्षावृत्ति उन्मूलन की योजना पर वह विचार कर रही है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--सरकार भिक्षा-वृत्ति निरोधक विधेयक बना रही है जो अभी विचाराधीन है। योजना को लागू करने के सम्बन्ध में काबाल (KABAL) शहरों में पर्यवेक्षण किया जा रहा है। साथ ही वर्तमान म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के प्राविधानों की भी इस दृष्टिकोण से जांच की जा रही है कि कहां तक वर्तमान प्राविधान प्रयोग में लाये जा सकते हैं।

*८--**श्री रामदुलारे मिश्र**--क्या सरकार उपर्युक्त कार्य को सुव्यवस्थित और सुचारुरूप से चलाने के लिये उपर्युक्त शहरों में गैर सरकारी कमेटियां बनाने पर विचार करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो विधेयक विचाराधीन है वह सन् १९५६ के अन्त तक कार्यरूप में परिणत हो सकेगा ?

श्री अध्यक्ष--अभी यह प्रश्न तो उठता नहीं है। पहले तो आप इस सदन से उक्त विधेयक पास करें।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जिन नगरों में सर्वे हो रहा है वह कब तक पूरा हो सकेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर--काबाल टाउंस में सर्वे हो रहा है और मेरठ में भी सर्वे कराने का विचार है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो विधेयक पर विचार हो रहा है वह सदन की मेज पर कब तक रख दिया जायगा ?

आचार्य जुगलकिशोर--जितनी जल्दी तैयार हो सकेगा और कैबिनेट में विचार हो जायगा उसके बाद वहां पर रखा जायगा।

स्वतंत्रता-संग्राम-इतिहास समिति के कार्य की प्रगति

*९--**श्री रामदुलारे मिश्र**--क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास तैयार करने वाली अपने प्रदेश की कमेटी ने अभी तक क्या प्रगति की है और तत्सम्बन्धी सामग्री किस तरह एकत्र की जा रही है ?

डाक्टर सीताराम--समिति ने अभी तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इतिहास के प्रथम भाग (१८५७-१८८४) के लिये पर्याप्त सामग्री एकत्रित की है। यह सामग्री समिति के Research Assistants विभिन्न पुस्तकालयों रिकार्ड्स रूम तथा अन्य स्रोतों से एकत्र करते हैं।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि खोज सहायक क्या विभिन्न जिलों में रखे गये हैं ? अगर हां, तो प्रति खोज सहायक का वार्षिक व्यय क्या है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--जी नहीं। खोज सहायक यहीं लखनऊ में हैं और जिलों में अभी रखे नहीं गये हैं। लेकिन इस समिति का काम तीन जोन्स में बांटा गया है। एक जोन तो है इलाहाबाद और दूसरा है मेरठ या अलीगढ़ और तीसरा है लखनऊ। अब तक जो रिसर्च असिस्टेण्ट हैं वह लखनऊ में हैं और अब यह निश्चय किया गया है कि एक जोन इलाहाबाद में हो जाय और एक अलीगढ़ में हो जाय और यहां भी रिसर्च असिस्टेंट्स नियुक्त कर दिये जायं। इस तरह से इस प्रदेश को बांटा है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जोन के मातहत जो अधिकारी रखे गये हैं उनको कोई विशेष साधन स्टेनोग्राफर या असिस्टेण्ट के रूप में नहीं दिये गये हैं, क्या इस तरह की उनके पास शिकायत आयी है कि उनके पास साधन नहीं हैं इसलिये वे अपना काम सुचारु रूप से नहीं चला पा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, यह शिकायत मेरे पास भी आयी थी लेकिन शिकायत यह नहीं थी। बल्कि उनकी शिकायत यह थी कि जो ग्रेड रखा

गया है उस पर आदमी मिलते नहीं हैं । यह तो रिसर्च असिस्टेण्ट के बारे में था। जहां तक स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट का मामला है वह कमेटी ने मंजूर कर कर दिया है और उनको पूरा अधिकार है कि उनको रख कर अपना पूरा काम चला सकें ।

श्री शिवनाथ काटजू--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जो प्रयाग जोन के नीचे प्रयाग विश्वविद्यालय के डा० बनारसी प्रसाद नियुक्त किये गये हैं उनको यह शिकायत है कि उनके पास उपयुक्त साधन नहीं हैं जिनके द्वारा वह अपना काम कर सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। मुझे मालूम है उस समिति का अध्यक्ष मैं ही हूं। इसलिये मुझे मालूम है कि डा० बनारसीप्रसाद सक्सेना वहां हैं यह बात सही नहीं है कि उनके पास साधन नहीं थे । उनके पास साधन थे ग्रेड के बारे में जरूर उन्होंने कहा था कि हमारे रिसर्च असिस्टेंट्स जो हैं उनका ग्रेड इतना कम रखा गया है कि योग्य व्यक्ति उस पर मिलते नहीं। उनके इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस कार्य को सफलतापूर्वक संचालित करने और सहयोग देने के लिए प्रत्येक जिले में गैर-सरकारी कमेटी बनाने का विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--गैर सरकारी कमेटी से कोई काम हो सकता हो तो बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी । लेकिन कमेटी बनाने से कोई काम विशेष होगा नहीं । यह ऐसा मामला है जहां पुराने रिकार्ड्स हों वह एकत्र किये जायं जिन्हें उनकी जानकारी हो वह हमको प्रदान करें और इसके लिये अपील इस समिति से की जा चुकी है, शिक्षा मंत्री की ओर से की जा चुकी है, माननीय मुख्य मंत्री की ओर से अपील की जा चुकी है, अखबारों में छपवाया जा चुका है, रेडियो ब्राडकास्ट कराया जा चुका है । इसके बाद सर्कुलर्स भेजे जा चुके हैं। अब माननीय सदस्य यदि इसमें सहायता दें और मेरी तो प्रार्थना है सभी सदस्य इस विषय में सहायता दें और जहां कहीं सामग्री मिल सकती हो यदि यह कम से कम सूचना दें तो समिति के काम में बड़ी सहायता मिलेगी और एक अच्छा सम्पूर्ण और विस्तृत स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास पूरा कर सकेंगे।

कानपुर में मिल प्रबंधकों और सूती मिल मजदूर सभा के बीच कथित समझौता

*१०--श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९५५ से नवम्बर, १९५५ तक कानपुर के सूती तथा ऊनी मिलों के प्रबन्धकों और सूती मिल मजदूर सभा, कानपुर के बीच काम बढ़ौती और मजदूरों को मिल से काम छोड़ने या छुड़ाने आदि के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं। कोई समझौता नहीं हुआ है।

*११--श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--क्या सरकार इस समझौते की एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १० अक्तूबर, १९५५ को एलगिन मिल के डायरेक्टर और सूती मिल मजदूर सभा के प्रेसीडेन्ट श्री गणेशदत्त वाजपेयी के बीच में कोई समझौता हुआ है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसकी कोई सूचना तो मेरे पास नहीं है ।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नवम्बर के पहले सप्ताह में कानपुर की ऊलन मिल और सूती मिल मजदूर सभा के अधिकारियों के बीच में कोई समझौता हुआ है ?

आचार्य जुगलकिशोर—हमारे पास जो रिकार्ड है उससे कोई पता नहीं चलता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि जुलाई १९५५ और नवम्बर, १९५५ के मध्य सूती तथा ऊन मिल के प्रबन्धकों और सूती मिल मजदूर सभा के प्रबन्धकों के बीच में समझौते के रूप में या किसी प्रकार का कोई अरेन्जमेण्ट हुआ था ?

आचार्य जुगलकिशोर—सरकार को तो इसका पता नहीं है कि कोई समझौता आपस में हुआ, रिकार्ड में इसका कोई जिक्र नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में माननीय सूर्यप्रसाद अवस्थी जी से समझौते के कागजात लेकर उसको लागू कराने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—वह देंगे तो जरूर उसको देखूंगा ।

कानपुर की सूती मिलों के अभिनवीकरण के सम्बन्ध में समिति की नियुक्ति

*१२—श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या यह सच है कि कानपुर के सूती मिलों के अभिनवीकरण के सिलसिले में सरकार ने कोई कमेटी नियुक्त की है ? अगर हां, तो इस कमेटी की रिपोर्ट कब तक प्रकाशित हो जायेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । अभी यह कहना कठिन है कि कब तक इस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो जायेगी ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस कमेटी के कई मेम्बरों ने इस्तीफा दिया था ? अगर हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—कौन-सी कमेटी के ?

श्री रामदुलारे मिश्र—अभिनवीकरण के सम्बन्ध में जो कमेटी बनी थी उसके ?

आचार्य जुगलकिशोर—दो कमेटियां हैं । एक कमेटी बनी थी नैनीताल के समझौते के आधार पर और एक दूसरी कमेटी अभी बनाई गई स्ट्राइक के खत्म होने के बाद, कौन सी कमेटी के बारे में माननीय सदस्य पूंछना चाहते हैं ?

श्री रामदुलारे मिश्र—दूसरी कमेटी के सम्बन्ध में ।

आचार्य जुगलकिशोर—पहली कमेटी के कुछ सदस्यों ने जरूर इस्तीफा दिया था । लेकिन दूसरी कमेटी के किसी सदस्य ने इस्तीफा नहीं दिया ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या सरकार को पता है कि अभिनवीकरण के सम्बन्ध में जो कमेटी नियुक्त है जब उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं दी इसके बीच में ही मजदूर निकाले जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न तो रिपोर्ट से सम्बन्धित है निकालने वगैरह का कोई सवाल नहीं है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार जो अभिनवीकरण के सिलसिले में कमेटी बनी है उसके मेम्बरों के नाम बताने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसके सभापति हैं श्री विन्ध्याबासनी प्रसाद रिटायर्ड जज आफ दी हाई कोर्ट ऐंड मेम्बर, लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल और श्री आर० डी० आर० बेल तथा श्री मुन्ना लाल बागला रिप्रेजेंटेटिव टेक्सटाइल मिल्स तथा श्री काशीनाथ पांडेय और श्री गणेशदत्त वाजपेयी रिप्रेजेंटेटिव वर्कर्स यूनियन के ये उसके मेम्बर हैं और श्री हरिमोहन मिश्र असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर की हैसियत से काम कर रहे हैं सेक्रेटरी का और मेम्बर भी हैं ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि वह ८० दिन की हड़ताल किस आधार पर टूटी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । वह इसलिए टूटी कि वह आगे चल नहीं सकी और उन्होंने समझा कि जो रैशनलाइजेशन की स्कीम गवर्नमेंट की है उसे मान लेना चाहिए और उसके आधार पर गवर्नमेन्ट एक कमेटी अप्वाइण्ट कर दे तो उसमें वह पूरा सहयोग देंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस रैशनलाइजेशन के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

आचार्य जुगलकिशोर—एक्सपर्टस वगैरह अप्वाइण्ट कर दिए गए हैं और श्रमिकों की तरफ से या मिल मालिकों की तरफ से जहां तक मुझे पता चला है उनके विटनेसेज जा रहे हैं उनके सामने ।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पहली कमेटी जो बनी थी जिसमें लोगों ने नाम वापस कर लिया और दूसरी कमेटी जो बनी है इन दोनों में कितना-कितना खर्चा करने का गवर्नमेन्ट ने इरादा किया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसके लिए तो सूचना चाहिए । मैं इस वक्त इसका उत्तर नहीं दे सकता ।

हरिजन औद्योगिक केन्द्र, नैनीताल के प्रशिक्षणार्थी

*१३—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि हरिजन औद्योगिक केन्द्र, नैनीताल पर इस समय कुल कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किये जा रहे हैं और उनमें से हरिजन कितने हैं ?

डाक्टर सीताराम—केन्द्र पर इस समय कुल ४६ प्रशिक्षणार्थी हैं । जिनमें से ३२ हरिजन हैं ।

*१४—श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि हरिजन औद्योगिक शिक्षण केन्द्र, नैनीताल पर शिक्षा पाने वाले हरिजन छात्रों के लिये पुस्तकों व ड्राइंग बोर्ड्स इत्यादि का प्रबन्ध कर दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, पुस्तकें तथा ड्राइंग के सामान की व्यवस्था लगभग पूरी की जा चुकी है।

*१५—श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार यह भी बतलाने का कष्ट करेगी कि गत ६–७ मास की अवधि में हरिजन औद्योगिक शिक्षण केन्द्र, नैनीताल पर शिक्षा पाने वाले शिक्षार्थियों को किन-किन विषयों में कहां-कहां तक शिक्षा प्रदान की गई ?

डाक्टर सीताराम—इस केन्द्र पर ओवरसियर तथा बिजली की शिक्षा दी जा रही है। इसमें प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रायः दो-तिहाई भाग पूरा हो चुका है।

श्री पुत्तूलाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह पुस्तकें तथा ड्राइंग बोर्ड का प्रबन्ध शिक्षण-कार्य शुरू होने से कितने महीने बाद किया गया ?

डाक्टर सीताराम—निश्चित समय तो नहीं मालूम है लेकिन जो विद्यार्थियों की किताबों के लिये और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंटस खरीदने के लिये खर्च हुआ है उसकी तादाद है ४८२ रु० और ७१६ रु०।

श्री पुत्तूलाल—क्या माननीय निर्माण मंत्री जी यह बतलायेंगे कि देर से ड्राइंग बोर्ड्स और किताबें दी गयीं इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविंदसिंह—इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद उस वक्त तक आवश्यकता न रही हो या माल कहीं तैयार न मिला हो। लेकिन ऐसी छोटी-छोटी बातों की जांच यहां से नहीं होती तो उस पर क्या कार्यवाही हो।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—प्वाइंट आफ आर्डर। क्या सदन में अखबार पढ़ा जा सकता है ? तिवारी जी बैठे अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—अखबार इस प्रकार पढ़ा तो नहीं जा सकता।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जितने अध्यापक वहां मौजूद होने चाहिए थे उतने इस समय वहां नहीं हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह—नहीं सब हैं।

श्री पुत्तूलाल—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञात है कि बिजली के कामों को सिखाने के लिए केवल एक इंस्ट्रक्टर है जिसकी वजह से पढ़ाई बहुत कम हो पाई है ?

श्री हरगोविंदसिंह—इसका ज्ञान तो आपको बहुत होगा। लेकिन हो सकता है कि अध्यापकों की संख्या कम हो तो वह बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इस वक्त नहीं कहा जा सकता है कि कम है या नहीं।

मुख्य मंत्री शिक्षा कोष से व्यय

*१६—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री शिक्षा कोष में अब तक कितना धन एकत्रित हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—मुख्य मंत्री शिक्षा कोष में ३१ दिसम्बर, १९५५ तक कुल ३१,८०,३९० रु० ९ पाई एकत्रित हुआ है।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इस कोष का धन किन-किन कार्यों पर खर्च होता है और अब तक कितना खर्च हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—इस साल ६,४४,५३१ रुपये ५ आने ६ पाई खर्च हो चुका है। यह रकम औजारों को खरीदने के लिए, भूमि-सुधार के लिए और बैलों को खरीदने के लिये खर्च की गयी है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि मुख्य मंत्री शिक्षा कोष में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत चलने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी कुछ हिस्सा लिया ? यदि हां, तो पूरे प्रान्त में उन स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त पैसा इस कोष में क्या है ?

श्री हरगोविंदसिंह —यह फिजूल का काम करना इस विभाग ने कभी सोचा नहीं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कोष से राजनीतिक पीड़ित परिवारों के छात्रों को भी सहायता दी जाती है ?

श्री हरगोविंदसिंह—जी नहीं।

श्री राजनारायण—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि किन-किन साधनों से मुख्य मंत्री शिक्षा कोष में रकम वसूल की जाती है ?

श्री हरगोविंद सिंह—लोगों से इसकी अपील की गयी थी और उसी के द्वारा यह एकत्रित हुआ।

श्री राजनारायण—क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल के विद्यार्थियों ने भी कुछ इस कोष में रकम दी है ?

श्री हरगोविंदसिंह—मेरा खयाल है जरूर दी होगी।

श्री राजनारायण—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि बहुत कुछ संस्थाओं से और जन-प्रतिनिधियों की ओर से यह शिकायत की गयी है कि विद्यार्थियों से जबरदस्ती शिक्षा कोष में रकम इकट्ठा की जा रही है ?

श्री हरगोविंदसिंह—जी नहीं, यह बिलकुल ही गलत है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मुख्य मंत्री कोष में किस जिले से अधिक रुपया आया है और क्या उसी अनुपात से उस जिले को यह रुपया देने का विचार रखते हैं?

श्री हरगोविंदसिंह—मेरठ जिले से सब से ज्यादा आया है।

श्री राजनारायण—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को मालूम है कि मैंने स्वतः मुख्य मंत्री जी को एक निवेदन-पत्र दिया था और उसमें इस बात की अपील की

थी कि इस तरीके से विद्यार्थियों से मुख्य मंत्री शिक्षा कोष या दूसरे किसी अन्य कोष में विद्यार्थियों से पैसा नहीं काटना चाहिये ?

श्री हरगोविंद सिंह—मेरा खयाल है कि शायद माननीय राजनारायण जी की मेमोरी उनको फेल कर रही है। उन्होंने मुझको कभी कोई पत्र नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—कुछ गलतफहमी हो रही है। वह तो कहते हैं कि मुख्य-मंत्री जी के लिए दिया था शिक्षा मंत्री जी के लिए नहीं।

श्री हरगोविंद सिंह—मैंने समझा कि हमको दिया था।

श्री राजनारायण—जरा अक्ल ठीक कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष—यह कान का सवाल है अक्ल का नहीं।

श्री राजनारायण—कान भी खराब है और बुद्धि भी मेरे खयाल में खराब है।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न दोहरा दें।

श्री राजनारायण—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को मालूम है कि मैंने स्वतः मुख्य मंत्री जी के यहां निवेदन किया है कि मुख्य मंत्री कोष में विद्यार्थियों से रुपया जबरदस्ती काटा जा रहा है और बहुत से विद्यार्थियों का रिजल्ट रोक लिया है ? क्योंकि उनके अभिभावकों ने उस कोष में रुपया नहीं दिया ?

श्री हरगोविंद सिंह—श्रीमान् अक्ल का प्रदर्शन हो गया कि आपने मुख्य मंत्री जी को पत्र दिया और पूंछ हमसे रहे हैं। आप जानते होंगे या मुख्य मंत्री जी जानते होंगे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह उत्तर देने का तरीका है ?

श्री अध्यक्ष—जो हवा बोता है वह आंधी को काटता है, यह एक अंग्रेजी की कहावत है। उसी तरह की यह चीज है।

श्री राजनारायण—उत्तर तो हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—उत्तर तो हो गया।

*१७—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—[२०अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

छत्रसाल हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने श्री छत्रसाल की मूर्ति स्थापित करने के लिए धन की मांग

*१८—श्री बसन्तलाल—क्या सरकार को मालूम है कि छत्रसाल हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधक समिति विद्यालय के सामने श्री छत्रसाल की मूर्ति का निर्माण करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो सरकार मूर्ति निर्माण हेतु कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ?

डाक्टर सीताराम—शासन को सहायतार्थ कोई निवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुआ। अतः इस पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि छत्रसाल हायर सेकेंडरी स्कूल का शिलान्यास करने माननीय उपमंत्री श्री चतुर्भुज शर्मा जब जालौन गये थे तो उन्होंने सार्वजनिक सभा में श्री छत्रसाल की मूर्ति का निर्माण सरकार द्वारा कराने का आश्वासन दिया था ?

श्री हरगोविंद सिंह—यह सम्भव है दिया हो, लेकिन हमको इसकी कोई सूचना नहीं है।

बेकारी दूर करने के लिए बस्ती जिले में चलाये गये कार्य

*१९—**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या श्रम मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती की जन-संख्या तथा बेकारी को देखते हुये कोई योजना जिला बस्ती से बेकारी दूर करने के लिये उनके विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कौन सी योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जिला बस्ती में कुछ योजनायें इस समय चल रही हैं जिनसे वहां के लोगों को काम मिल रहा है। प्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी कतिपय योजनायें हैं जिनसे इस जिले के लोगों को और काम मिलेगा। बेकारी की समस्या एक व्यापक समस्या है और उसके निदान के लिये किसी जिला विशेष के आधार पर नहीं, समस्त प्रदेश के संदर्भ में ये विचार करना अपेक्षित है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि वहां कौन-कौन कार्य-संचालित हैं जिनसे बेकारी दूर हो जाय ?

आचार्य जुगलकिशोर—वाटर सप्लाई योजना, बस्ती ड्रेनेज योजना, नौगढ़ से लुम्बिनी की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण, बस्ती-बांसी-नौगढ़ सड़क पर सुधार और राप्ती फीडर तक नाला और सुपा राजा पर पुलों का निर्माण, ७०० जलमग्न ग्रामों का स्तर ऊंचा करने की योजना, कुआनो नदी के बायें तट पर मुखालिसपुर से बेहड़ा तक बांध का निर्माण, कुआनों नदी पर मोहिया भारकलां से चितई तक बांध का निर्माण, घोंघी नदी के दाहिने तट पर और कुमारा के बायें तट पर बांध का निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की पुलियों पर जलमार्ग का विकास, बस्ती-नौगढ़ सड़क पर राप्ती और बानगंगा नदियों पर पुल बनाने की योजना, ये सब योजनायें हैं।

*२०—**श्री धनुषधारी पांडेय** (अनुपस्थित)—[२० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजनीतिक पीड़ित के बच्चों को सहायता

*२१—**श्री धनुषधारी पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेडिकल कालेज अथवा इन्जीनियरिंग कालेज में शिक्षा पाने वाले किसी राजनीतिक पीड़ित के बच्चों या आश्रित को इस वर्ष छात्रवृत्ति दी गयी है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

राज्य के अनाथालय

*२२—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में कहां-कहां पर कुल कितने अनाथालय हैं और उनमें से प्रत्येक में कितने अनाथ औसतन रहते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—आवश्यक सूचना तालिका (१) में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०६–४०७ पर)

*२३—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार बतायेगी कि इन अनाथालयों में से कितनों को क्या सरकारी सहायता प्रति वर्ष मिलती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—आवश्यक सूचना तालिका (२) में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४०८ पर।)

नोट—तारांकित प्रश्न १९ व २१ श्री शिवनारायण ने पूछे।

*२४--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार यह बतायेगी कि इन अनाथालयों में गत ५ वर्षों से प्रति वर्ष कितने अनाथ रक्खे गये ?

आचार्य जुगलकिशोर--आवश्यक सूचना तालिका (३) में दी हुयी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४०९-४१० पर)

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय समाज-कल्याण मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन अनाथालयों में लड़के और लड़कियां साथ रखे जाते हैं या इनके अलग-अलग अनाथालय बने हुए हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--अलग-अलग उनके रहने की व्यवस्था है । कभी-कभी एक ही स्थान पर एक ही मकान में जरूर रहते हैं, लेकिन अलग-अलग उनके रहने का प्रबंध है ।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो रुपये सरकार की ओर से उनको दिये जाते हैं उनके चेक अप के लिये सरकार ने कोई विशेष मशीनरी स्थापित की है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर--ग्रान्ट देने से पहले उनके आडिट अकाउन्ट्स की जांच की जाती है और उसी के आधार पर उनको रुपया दिया जाता है ।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री जी को इस बात की शिकायतें प्राप्त हुयी हैं कि इनमें से बहुत से और विशेषकर लड़कियों के अनाथालय भ्रष्टाचार के अड्डे हैं और वहां से लड़कियां बेची तक जाती हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--ऐसा किसी विशेष अनाथालय के सम्बन्ध में तो नहीं आया है लेकिन आम तौर से अखबारों में चर्चा है और जहां सरकार को मालूम होता है वहां पर उसके बारे में जो कुछ आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिये वह की जाती है ।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से मुस्लिम आरफनेज मौदहा और जेसस क्राइस्ट आरफन मिशन, कुलपहाड़ को कोई आर्थिक सहायता दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष--फेहरिस्त बहुत बड़ी है । प्रान्त भर की सूची दी हुयी है । माननीय सदस्य स्वयं फेहरिस्त से देख लें । उनको ढूढ़ने के लिये मैं समय नहीं दूंगा ।

श्री तेजप्रतापसिंह--तो इन आफरनेजेज को पिछले वर्ष कोई सहायता क्यों नहीं दी गयी ?

आचार्य जुगलकिशोर--इस सूची में सभी उन संस्थाओं के बारे में जिक्र कर दिया गया है जिनको दिया गया है और जिनको नहीं दिया गया है उनका जिक्र नहीं है ।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्यों नहीं उनको मिला, इसका कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--वह कारण इस वक्त नहीं बता सकते । बहुत से उस सूची में दिये हैं ।

आजमगढ़ जिलान्तर्गत दोहरीघाट ऐतिहासिक शाही मसजिद को घाघरा की बाढ़ से बचाने की आवश्यकता

*२५--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बतायेगी कि ऐतिहासिक शाही मस्जिद, दोहरी घाट (जिला आजमगढ़) को घाघरा की बाढ़ से रक्षा हेतु वह क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम--यह मामला विचाराधीन है ।

*२६-२७--श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--[१३ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*२८--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, डी० ए० वी० कालेज कानपुर, सी० एम० पी० कालेज, इलाहाबाद, जे० डी० कालेज, जौनपुर, एस० एन० कालेज, आजमगढ़ तथा बनारस यूनिवर्सिटी में पिछड़ी जाति के किन-किन विद्यार्थियों को बी० ए० तथा एम० ए० की कितने-कितने रुपये की छात्रवृत्ति सन् १९५५-५६ में हरिजन सहायक विभाग द्वारा दी गयी हैं ?

डाक्टर सीताराम--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुयी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४११-४१३ पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन विद्यार्थियों को अभी तक छात्रवृत्ति की रकम क्यों नहीं दी गयी ?

डाक्टर सीताराम--वजीफे तो स्वीकार कर लिये गये हैं, देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या ये छात्र वृत्तियां उन विद्यार्थियों को प्राप्त हो गयी हैं या नहीं ?

श्री हरगोविंदसिंह--इसकी सूचना तो नहीं है । क्योंकि ये पहले ए० जी० आफिस जाती हैं और वहां से जब ऐक्विटेंस रोल स्वीकृत होकर आता है तब उन्हें मिलता है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--बालकों को तीस और बालिकाओं को पचीस रुपये की छात्रवृत्तियां मिली हैं तो इन छात्रवृत्तियों के स्वीकार करने के नियम क्या हैं ?

श्री हरगोविंदसिंह--छात्रवृत्तियां मैरेट्स के आधार पर दी जाती हैं । फर्स्ट डिवीजन वाले को ज्यादा मिलती है, सेकेन्ड डिवीजन वाले को उससे कम और थर्ड डिवीजन वाले को उससे कम ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--मैं पूछना चाहता हूं कि बालकों को तीस और बालिकाओं को २५ रुपये दिये जायं क्या ऐसा कोई नियम है ?

श्री हरगोविंदसिंह--वह थर्ड डिवीजन रही होगी इस वजह से उसको २५ रुपये मिले होंगे । ऐसा कोई भेदभाव नहीं है ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करने का विचार करेगी जिससे हर महीने विद्यार्थियों को वजीफे मिल जायं ?

श्री हरगोविंदसिंह--हां, प्रयत्न तो यही किया जाता है ।

गाजीपुर जिलान्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता

*२९--श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गाजीपुर में शिक्षा विभाग द्वारा सन् १९५१ से अब तक कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता दी गयी ?

डाक्टर सीता राम--६ विद्यालयों को ।

*३०—श्री शिवपूजन राय—इन मान्यता प्राप्त किन-किन शिक्षण संस्थाओं को कितनी कितना वार्षिक सहायता प्राप्त होती है ?

डाक्टर सीताराम—(१) हायर सेकेंडरी स्कूल, खालिसपुर को २,८९२ रुपया अनुपालन अनुदान तथा ४८० रुपया महंगाई अनुदान ।

(२) गांधी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल, बहादुरगंज को १,६३२ रुपया अनुपालन अनुदान तथा २१० रुपया महंगाई अनुदान ।

(३) सर्वोदय हायर सेकेंडरी स्कूल, खडिया करीमउद्दीनपुर को १,२२४ रुपया अनुपालन अनुदान तथा ६०० रुपया महंगाई अनुदान ।

श्री शिवपूजन राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन तीन स्कूलों को सहायता नहीं मिला है उनके नाम क्या हैं ?

श्री हरगोविंदसिंह—६ में से ३ को निकाल दीजिये वे नाम मिल जायंगे ।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन तीनों विद्यालयों के नाम क्या हैं जिनको सहायता नहीं मिली ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया । बात यह है कि शायद वे जानते नहीं होंगे, आप ज्यादा जानते होंगे इसलिये उन्होंने वैसा ही जवाब दिया ।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन तीन विद्यालयों को वह सहायता क्यों नहीं दी गयी है ?

श्री हरगोविंदसिंह—नियम के अन्दर नहीं आये ।

इलाहाबाद फिजिकल कल्चर कालेज का रामपुर को स्थानान्तरण

*३१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद का फिजिकल कल्चर कालिज का सेंटर इलाहाबाद से हटा कर रामपुर भेज दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जी हां । प्रशासकीय कारणों से ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि कालेज कितने दिनों से वहां कायम था और क्यों हटाया गया ?

श्री हरगोविंदसिंह—यह तो जानने की आवश्यकता नहीं समझी गयी कि कितने दिनों से कायम था वह लेकिन इसका उत्तर तो दे दिया गया कि क्यों हटाया गया ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इस कालेज में कितने छात्र थे ?

श्री हरगोविंदसिंह—सन् ५४-५५ में शायद ४६ लड़के थे, ५० से कम ही थे ।

*३२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[६ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

सोशल वेलफेयर अफसरों की नियुक्ति

*३३—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि सरकार ने हाल ही में सोशल वेलफेयर अफसरों की नियुक्ति की है ? यदि हां, तो कब और कितने ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । नवम्बर, १९५५ में १३ सहायक समाज कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति राज्य के १३ प्रमुख नगरों में की गयी है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन स्थानों का नियुक्ति के लिये कोई विज्ञापन दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

आचार्य जुगलकिशोर—इनकी पूर्ति के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन को लिख दिया गया है और उनकी तरफ से एक विज्ञापन निकाला गया है । हमें इन अफसरों की आवश्यकता थी इसलिये तीन यूनिवर्सिटियों को, काशी विद्यापीठ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और टाटा इंस्टीट्यूट को लिखा कि उनके पास जो नाम हों उनको वे हमारे पास भेज दें और उन्हीं के नामों के आधार पर हमने ये चुनाव किये थे ।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन नियुक्तियों के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई सिफारिश की थी ? अगर नहीं तो, उसकी सिफारिश की प्रतीक्षा क्यों नहीं की गयी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जैसा कि मैंने अभी बतलाया पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा गया है । अब वे नियुक्ति करने जा रहे हैं । उन्होंने यह कहा कि ६, ७ महीने तक वे ये नियुक्तियां नहीं कर सकेंगे, अगर हम चाहें तो कर सकते हैं ।

श्री रतनलाल जैन—क्या ये सोशल वेलफेयर अफसर अन्य जिलों में भी रखने की योजना है ?

आचार्य जुगलकिशोर—कुछ अन्य जिलों में रखने का एलान तो किया गया है । वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा था कि ५ और जिलों में नियुक्तियां करेंगे ।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सोशल वेलफेयर अफसर जो नियुक्त किये गये हैं इनका वेतन-क्रम क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर—२०० से ४५० रुपये तक ।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके कौन-कौन से कार्य हैं जो वह सम्पादित करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—समाज कल्याण के अन्तर्गत जो कार्य होते हैं वह सब सम्पादित करेंगे ।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सोशल वेलफेयर आफिसर्स की नियुक्तियां की गयी हैं उनमें कोई महिला भी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, एक है ।

श्री श्रीचन्द्र—क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि इस इंस्टीट्यूशन में अंग्रेजी के बजाय हिन्दी में शिक्षा दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल शिक्षा मंत्री जी से पूछने का है न कि श्रम मंत्री जी से ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सोशल वेलफेयर आफिसर्स के अभी कुछ स्थान रिक्त हैं, यदि हां, तो कितने ?

आचार्य जुगलकिशोर—जैसा मैंने बतलाया कि ५ स्थानों की पूर्ति करने का विचार है और उन्हीं की पूर्ति होगी ।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि महिला के अतिरिक्त कोई हरिजन भी सोशल वेलफेयर आफिसर की जगह पर रखा गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—उनके लिये कोई रुकावट नहीं थी लेकिन कोई उपयुक्त कैंडीडेट नहीं मिला इसलिये नहीं रखा गया ।

धर्मादा विधेयक लाने का विचार

*३४—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सदन में कोई धर्मादा विधेयक लाने का वह विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह विधेयक सदन के सम्मुख कब तक प्रस्तुत कर दिया जायगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसके लिये तो विचार किया जा रहा है और आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं । अन्य प्रदेशों में किस तरह का विधेयक है इसकी भी जांच की जा रही है ।

सैनिक शिक्षा के सहायक संचालक की नियुक्ति न होना

*३५—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९५२ में सैनिक शिक्षा के सहायक संचालक के पद के लिये कमीशन द्वारा दो अभ्यर्थियों की मांग की गयी थी परन्तु कोई नियुक्ति नहीं की गयी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

डाक्टर सीताराम—जी हां । उस समय सहायक संचालक के पद पर नियुक्ति इसलिये नहीं की गयी कि सैनिक शिक्षा योजना के पुनस्संघठन पर विचार किया जा रहा था और इस प्रश्न पर निर्णय होने तक कोई नियुक्ति करना ठीक नहीं समझा गया ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी फिर नियुक्ति की मांग क्यों की गयी थी और कमीशन से विज्ञापन जारी किया गया था या नहीं ?

श्री हरगोविंदसिंह—नियुक्तियों के लिये कमीशन को सफारिश की गयी थी और कमीशन से ऐडवरटाइजमेंट इसलिये भेजा गया था कि उस समय पुनस्संघठन विचाराधीन नहीं था ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सहायक शिक्षा संचालक को रखने का सरकार का इरादा है ?

श्री हरगोविंदसिंह—जी हां, इसका रिक्रूटमेंट कर दिया गया था और सिफारिश भी गयी थी ।

*३६—**श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा)—[१० अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३७–३९—**श्री व्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर)—[६ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४०—**श्री देवराम** (जिला गाजीपुर)—[१३ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

नोट—तारांकित प्रश्न ३४ श्री वीरेन्द्र वर्मा ने पूछा ।

इलाहाबाद में ओवरसियर की शिक्षा पाने वाले राजनीतिक पीड़ितों को छात्रवृत्ति न मिलना

*४१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो छात्रवृत्ति राजनीतिक पीड़ितों को दी जाती है वह छात्रवृत्ति इलाहाबाद के ओवरसियर शिक्षा के लिये जो स्कूल खोला गया है उसके छात्रों को नहीं मिलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, क्योंकि संस्था अभी मान्यता प्राप्त नहीं है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस कालेज की मान्यता के लिये कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया है ?

श्री हरगोविंदसिंह—दिया होगा, शिक्षा विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट पर विचार

*४२—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेशीय सरकार ने पिछड़े वर्ग कमीशन को किन-किन जातियों को शामिल करने के लिये सिफारिश की है ?

डाक्टर सीताराम—केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पिछड़ा वर्ग कमीशन ने इस प्रदेश का भ्रमण किया था । वे इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को स्वयं स्तुति भेजे हैं । अतः इस सरकार के सिफारिश करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*४३—श्री कमलासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन जातियों की संख्या इस प्रदेश में क्या है ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कमीशन की रिपोर्ट क्या है ? क्या मंत्री जी इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—कमीशन ने केन्द्रीय सरकार को सिपारिशें भेजी हैं । इस सरकार से उसका ताल्लुक नहीं है ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट को इस सरकार के पास राय के लिये भेजा है ?

श्री हरगोविंदसिंह—भेजा है और उस पर विचार हो रहा है ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने कोई समय निर्धारित किया है कि उसके अन्दर आपका विचार वहां पहुंच जाना चाहिये ?

श्री हरगोविंद सिंह—मेरा खयाल है कि उसे आये दो, तीन महीने हुये होंगे लेकिन उसमें कोई समय निर्धारित नहीं है ।

श्री शिवनारायण—कमीशन की सिपारिशें क्या हैं, उसकी मोटी-मोटी हेडिंग क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह बात नहीं पूछी जा सकती ।

नोट—तारांकित प्रश्न ४२–४३ श्री शिवनारायण ने पूछे ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस रिपोर्ट पर सदन में आया कोई विचार होगा ? और यदि होगा तो कब तक ?

श्री हरगोविंदसिंह—विचाराधीन हैं, मैंने कहा, तो यह सब प्रश्न विचाराधीन हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में उन सभी जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया है जिनकी सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, या कुछ को छोड़ दिया है ?

श्री हरगोविंदसिंह—यह तो मैं इस वक्त नहीं कह सकता।

श्री जयपालसिंह (जिला सहारनपूर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस रिपोर्ट पर कब तक विचार हो जायगा ?

श्री हरगोविंदसिंह—जल्दी ही रिपोर्ट पर विचार हुआ करता है।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस रिपोर्ट में पिछड़ी जाति में स्त्रियों को भी शामिल किया गया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो रिपोर्ट विचाराधीन है वह माननीय मंत्री जी के विचाराधीन है अथवा कैबिनेट के विचाराधीन है ?

श्री हरगोविंदसिंह—मंत्री जी भी कैबिनेट के एक मेम्बर हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी के इस उत्तर को देखते हुये कि वह कुछ कह नहीं सकते क्या मैं यह समझूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी कमीशन की रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया है ?

श्री हरगोविंदसिंह—जी नहीं, कमीशन की रिपोर्ट को देखा तो है और कुछ पढ़ा भी है किन्तु उसका सम्पूर्ण अध्ययन नहीं किया है।

समाचार-पत्रों में ग़लत नाम छपने पर श्री शिवमंगलसिंह कपूर द्वारा आपत्ति

श्री शिवमंगलसिंह कपूर (जिला बस्ती)—आपकी इजाजत से मैं कुछ आपका ध्यान लोकल अखबारों की तरफ दिलाना चाहता हूं. . . .

श्री अध्यक्ष—मैंने आपसे कहा था कि अखबारों के सम्बन्ध में कोई भी बात हो पहले उसको मेरे कमरे में आप कह दें क्योंकि मैं चाहता हूं यहां पर इस विषय में सदन का समय बरबाद न हो।

श्री शिवमंगलसिंह कपूर—मैंने लिखित प्रार्थना की थी और आपके आफिस ने मुझे लिखकर भेज दिया था लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट अखबारों में दी गयी है वह बिलकुल गलत रिपोर्ट दी गयी है। इस सदन में हमारे नाम के दो माननीय सदस्य हैं। एक शिवमंगल सिंह हैं और मेरा नाम शिवमंगल सिंह कपूर है जो यहां पर ८ वर्ष से बराबर पुकारा जाता है लेकिन दुर्भाग्य से या सौभाग्य से जब कभी हमको यहां पर बोलने का मौका मिलता है तो अपने क्षेत्र के बारे में यहां पर चर्चा करता हूं। लेकिन जब मैं अखबारों में देखता हूं तो अखबारों में मेरा नाम शिवमंगलसिंह लिखा रहता है तो उससे हमारे क्षेत्र के वोटर बड़े गुमराह हो जाते हैं। हमसे वहां पर कहा जाता है कि तुम बोलते नहीं हो। जब इसी सदन में मैं राज्यपाल महोदय,

के सम्बोधन का अनुमोदन कर रहा था तो उस समय भी कुछ ऐसी बातें अखबारों में छपी थीं. . . .

एक सदस्य—अब १२ बज गये । (अट्टहास)

श्री अध्यक्ष—अभी एक मिनट शेष है ।

श्री शिवमंगलसिंह कपूर—यह इस हाउस को शोभा नहीं देता कि आपके रहते हुये इस हाउस में माननीय सदस्य इस प्रकार से उपहास करें । मैं इस उपहास से अपना विरोध प्रगट करता हूं और मैं इस सदन का त्याग करता हूं ।

(इसके उपरान्त श्री शिवमंगलसिंह कपूर सदन के बाहर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष—यह उचित नहीं हुआ । जब कोई माननीय सदस्य भाषण दें तो अन्य सदस्यों को जरा खामोशी से सुनना चाहिये । जब तक वे बोलते रहें तब तक हंसते रहने से यह दिक्कत पैदा हो गयी है और उन्हें इसमें अपना अपमान प्रतीत हुआ । एकाध दफा हंसी हो जाय तो मैं आपत्ति नहीं उठाता । यहां के वातावरण में अगर थोड़ी सी हंसी हो जाय, तो मैं समझता हूं, उससे सदन को रिलीफ ही मिलती है, लेकिन वह अधिक नहीं होना चाहिये । "अति सर्वत्र वर्जयेत् ।"

अब जो उन्होंने कही उसके विषय में मैंने एक दफा यहां वर्तमान पत्रों के प्रतिनिधियों से कहा था कि उनका नाम "शिवमंगलसिंह कपूर" अपनी रिपोर्ट में दे दिया करें क्योंकि इस नाम के दो सदस्य इस सदन में हैं । लेकिन जो उन्होंने कारण आपत्ति उठाने के बताये हैं, मैं उन कारणों से सहमत नहीं हूं । मैं समझता हूं कि अगर शिवमंगलसिंह नाम छपता है और दूसरे शिवमंगलसिंह बोलते हैं तो माननीय सदस्य की कांस्टीट्युएंसी में तो इन्होंने भाषण दिया, यही लोग समझेंगे । इस प्रकार दोनों ही सदस्यों के भाषण का लाभ इनको मिलेगा । इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि उनका नाम लोगों को ज्ञात नहीं हुआ । इस दृष्टि से मैं उनके कथन को ठीक नहीं समझता हूं लेकिन यह बात तो उचित ही है कि कार्यवाही को सही-सही जानने के लिये जनता इस बात को जानें कि शिवमंगलसिंह दोनों में से कौन से शिवमंगलसिंह हैं । क्योंकि उनके नाम के पीछे, कपूर' वे लिखते हैं, इसलिये उन्हें 'कपूर' लिखा जाना उचित होगा । मैं समझता हूं कि पत्र-प्रतिनिधि इस तरफ ध्यान देंगे । लेकिन मैं यह भी समझता हूं इस बात को इससे अधिक महत्व देना उचित नहीं है ।

१९५६–५७ के आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों के लिए समय विभाजन

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, अनुदान संख्या १५—न्याय प्रशासन के लिये डेढ़ घंटा रख दिया जाय और अनुदान संख्या ३३—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान, के लिये ढाई घंटा रख दिया जाय । पहले अनुदान संख्या ३३ ले ली जाय ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि न्याय प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसके लिये, यदि वह उचित समझें, तो कुछ ज्यादा समय दे दें । मैं अपनी तरफ से चाहूंगा कि दूसरी जगह से समय काटकर इसमें बढ़ा दिया जाय तो अच्छा होगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैंने इसको इसीलिये बाद में रखा है कि अगर ज्यादा सदस्य बोलने वाले हों तो समय बढ़ा लिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—तो साढ़े तीन बजे तक अनुदान संख्या ३३ ग्रहण की । माननीय न्याय मंत्री पहले इसी को पेश करें ।

१९५६-५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण—कार्यों के लिये सहायक अनुदान

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य) के अन्तर्गत ७२,४९,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस मांग का ताल्लुक है इस सदन के माननीय सदस्य यह जानते हैं कि बावजूद इसके कि स्वायत्त शासन विभाग इतनी अहमियत रखता है और उसका असर हमारे देश की हर जिन्दगी के हिस्से पर पड़ता है फिर भी न तो यहां और न सेंटर में यह विभाग अलग नहीं है। उसका नतीजा यह है कि जो अनुदान संख्या ३३ मैंने हाउस के सामने पेश की है उसमें नागरिक निर्माण कार्यों के सिलसिले में ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इखराजात का भी जिक्र सदन के सामने आ रहा है। यहां तक कि प्लानिंग कमीशन ने भी इस मामले पर गौर किया तो उनको भी यह दिक्कत महसूस हुयी कि इसको आगे बढ़ाने के लिये और इस पर विचार करने के लिये, क्या किया जाय? तो उन्होंने भी हेल्थ मिनिस्ट्री या दूसरे इसी किस्म के विभाग के तहत में इसके मुताल्लिक गौर किया। आज भी इसका नतीजा यह है कि जो अनुदान मैंने पेश किया है उसमें सिर्फ ७०,९३,००० रुपये की ऐसी रकम है जो स्वायत्त शासन विभाग से ताल्लुक रखती है। लेकिन और जो बकिया इखराजात इस विभाग के हैं वह अनुदान संख्या २,१३,१४ १७, २०, ३०, ३८, ४३ और ५१ में अलग-अलग दर्ज हैं। उनमें से बाज ऐसे हैं कि जो सदन में पेश हो चुके हैं और जिन पर वोटिंग हो चुका है और बाज ऐसे हैं जो शायद अभी बाद में सदन में आयेंगे लेकिन अगर देखा जाय तो इन सब में मिलाकर कोई ६ करोड़ ८५ लाख ४,८०० रुपये की रकम ऐसी है जिसका खर्च इस विभाग के द्वारा होता है लेकिन रकम को दूसरे विभागों में दिखाया जाता है। यह तो मैंने सदन की इत्तिला के लिये बताया। मैं बता दूं कि जैसे अनुदान संख्या २ है, लैन्ड रेवेन्यू—इस में ६१ हजार की रकम ऐसी है जिसका खर्च इस विभाग के द्वारा होगा, इसी तरह से अनुदान संख्या १३-जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ३ लाख ६७ हजार २ सौ की रकम ऐसी है जिसका खर्च इस विभाग के द्वारा होगा और है इस विभाग की, गांव सभा और पंचायत का एक विभाग है जिसकी १ करोड़ की मांग सदन में आ चुकी है और स्वीकार हो चुकी है, इसी तरह से पुलिस विभाग की भी थोड़ी सी २६,८०० रु० की रकम है उसका भी यही हिसाब है, पब्लिक हेल्थ विभाग में भी काफी रकम ऐसी है वह ३९ लाख ८३ हजार ७०० की है, जो इस विभाग द्वारा खर्च होगी, इसी तरह से सिविल वर्क्स में इसमें से ७० लाख ९३ हजार की रकम है जो यह विभाग व्यय करेगा। इस के बाद अनुदान संख्या ३८-मिसलेनियस के नाम से है, जिस को कृषि मंत्री जी ने पेश किया है। वह २ करोड़ ६५ लाख ८८ हजार की मांग हाउस के सामने आयी थी। इसी तरह से ग्रान्ट नम्बर ४३ में कांस्ट्रक्शन आफ ड्रेनेज वर्क्स और इर्रीगेशन वर्क्स वगैरा का जिक्र है उस की भी ८० लाख की रकम है जो देहातों में पानी के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार से मिली है, जिसके द्वारा १ हजार से ज्यादा गांवों में पानी का इंतजाम इर्रीगेशन ट्यूबवेल्स के जरिये से किया जायगा। इसके बाद आखिर में ग्रान्ट नं० ५१ है जिसमें लोन्स एन्ड एडवान्सेज बीयरिंग इंटरेस्ट की मद है और इसमें से १ करोड़ १८ लाख ७१ हजार की रकम इस विभाग को मिलेगी। जहां तक इस विभाग की मुखतलिफ कार्यवाहियों का ताल्लुक है उस सम्बन्ध में मैं अर्ज करूंगा कि अभी थोड़े दिन हुये एक किताब विभाग की तरफ से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कार्यवाइयों के मुताल्लिक शाया हुयी है जो ३ मार्च को इस सदन में बांटी गयी थी, उसमें मुखतलिफ विभागों का तजकिरा हुआ है कि क्या-क्या काम हुआ है फरवरी सन् ५६, तक इसलिये शायद मुझे अब उन सब बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस विभाग के मुताल्लिक जो खास चीजें हैं वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड,

म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के बारे में हैं और इन के अलावा एक नया विभाग जो अभी कायम हुआ है हाउसिंग विभाग जिस के जरिये मुखतलिफ हाउसिंग की एक्टिविटीज चलती हैं यह सन् ५५ के बीच में कायम हुआ था। वह इसके मुताल्लिक है। पंचायतों के मुताल्लिक जो माननीय सदस्य जानते हैं कि इसकी वजह से उसकी एक्टिविटीज बहुत फैली हुई है और मुख्तलिफ सर्किल्स में इसकी एक्टिविटीज हैं।

जहां तक म्युनिसिपैलिटीज का ताल्लुक है मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि ५ जो हमारे बड़े-बड़े कबाल टाउन्स हैं उनमें यह तय किया गया है कि कारपोरेशन कायम होगा और उसका बिल तैयार हो चुका है, हाउस के सामने पेश किया जा चुका है और गालिबन मेरा ख्याल है कोशिश यह होगी कि अगले महीने में कि उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, इसके ऊपर बहस हो जायगी और इसके बाद जब वह पास हो जायगा तो हम इन पांच शहरों में कारपोरेशन कायम करेंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसका तजकिरा हाउस के सामने तफसील के साथ आयेगा। इन ५ शहरों में चूंकि कारपोरेशंस बनने जा रहे हैं इसलिये यह जरूरी समझा गया कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया जाय। वे ऐडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं यहां पर सन् ५३ से। इन पांचों के अलावा सिर्फ दो ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं जो कि सुपरसीडेड हैं। एक तो अलीगढ़ जो पहले से सुपरसीडेड था और दूसरा सहारनपुर है जिसको हमने इस वजह से सुपरसीड किया कि वहां का काम बहुत खराब हो रहा था और उसकी हालत बहुत बदतर होती जाती थी। वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर हमने उसको सुपरसीड किया है। तीन और ऐसे छोटे-छोटे म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं, दिबईअनूपशहर और गोंडा जहां म्युनिसिपल बोर्ड्स को भंग कर दिया है। जहां तक दिबई का ताल्लुक है। यहां के चुनाव हो चुके हैं और १४ जनवरी, १९५६ को नया बोर्ड कायम हो गया है। मैं इस सिलसिले में यह भी अर्ज कर दूं कि एक रकम आपकी बजट में मिलेगी, ४६ लाख के करीब जो कि हमें आयन्दा साल रिजर्व फंड से मिली है और जितने म्युनिसिपल बोर्ड्स हमारे इस सूबे में हैं उन सबको हम बांटते हैं इस गरज से कि वे अपने यहां की सड़कों को दुरुस्त कर सकें, मगर शर्त यह है कि जो रुपया सरकार देती है उतना ही रुपया वे भी अपने पास से लावें ताकि उन सड़कों की हालत बेहतर हो सके। इस वजह से मैं खासतौर से इसका जिक्र कर रहा हूं कि यह रकम कोई ऐसी नहीं है जैसा पहले था कि कभी किसी बोर्ड को मिलेगी और कभी नहीं। इस तरह का इन्तजाम नहीं रक्खा गया है। कुल रकम हर साल आती है हमारे पास और हर साल यह बटेगी और इसकी वजह से म्युनिसिपल बोर्ड्स को यह अख्तियार है कि अगर वे चाहें तो अपना प्लान बना सकते हैं कि किन सड़कों की मरम्मत करेंगे और ऐसा वे उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग उतनी ही रकम जितनी कि एक साल में मिलेगी, उन्हें हर साल मिलती रहेगी और उतनी रकम का इन्तजाम उनको अपने पास से करना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि दो, तीन साल तक अगर यह रकम बाटते रहेंगे और अगर म्युनिसिपल बोर्डस ने सहीतौर से इस रकम को खर्च किया तो जो खराबियां शहरों में सड़कों में देख रहे हैं और जो यातायात का इन्तजाम खराब है उसकी वजह से जो खराबियां हैं, वे दूर हो सकेंगी और गालिबन सड़कें सब जगह ठीक हो जायंगी।

इसके बाद मैं थोड़ा सा तजकिरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का भी करना चाहता हूं। माननीय सदस्य जानते हैं कि सिवा एक मिर्जापुर के जितने और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, वे

[श्री सैयद अली जहीर]

बाकायदा अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत काबिले इत्मीनान नहीं है। एक तो वजह यह है कि पंचायतें बन गई हैं दूसरे जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं। उनके पास सड़कें, स्कूल बहुत ज्यादा हैं, उनके ऊपर ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है और उनके पास ज्यादा रुपया है नहीं, जिसकी वजह से सरकार उनको बराबर मुख्तलिफ तरीके से मदद करती रहती है। गुजिश्ता दो-तीन सालों में हमने २० लाख रुपया यहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दिया और इस गरज से दिया कि वे अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें और डीयरनेस एलाउन्स वगैरह दे सकें जिसका भार वे खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इस तरह से उसमें उनको कुछ सहायता हो सके। और उसमें खासतौर से वह मुलाजमीन थे जो स्कूलों में काम करते थे, टीचर्स थे। लेकिन अब की साल से इसकी सूरत कुछ बदल गयी है क्योंकि जहां तक उन टीचर्स का ताल्लुक है अब एजूकेशन डिपार्टमेन्ट ने पूरे तौर से उसकी जिम्मेदारी ले ली है और जो कुछ खर्चा बोर्ड्स का होगा उसमें वह सहायता देंगे। इस वजह से यह रकम २० लाख की जो हर साल होती थी यह अब की दफा कम करके सिर्फ दो लाख कर दी गयी है, लेकिन उसके साथ यह अर्ज कर दूं कि अब की दफा चूंकि हमारे सूबे में बहुत सख्त बारिश हुई करीब-करीब हर जिले में हुई, तो उससे नुकसान पहुंचा और कहीं-कहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और बहिया आयी। इस वजह से सरकार ने ३७ लाख रुपया मौजूदा साल में मंजूर किया है। इस गरज से मंजूर किया गया है कि वह तमाम डि० बोर्ड्स और लोकल बाडीज को जिनको बारिश से खास तौर से नुकसान हुआ है उनको तकसीम कर दिया जाय, ताकि उस नुकसान को वह दुरुस्त कर सकें। हमें उम्मीद है कि यह सहायता जो मिलेगा, जिसको बोर्ड्स आइन्दा साल खर्च कर सकते हैं उसकी वजह से बहुत सी कमियां पूरी हो जायंगी।

नोटिफाइड एरिया कमेटी हमारे यहां सिर्फ ३७ हैं। इस सिलसिले में मुझे सिर्फ यह कहना है कि गुजिश्ता साल में हमने उनके यहां भी इनडाइरेक्ट एलेक्शन का कायदा कर दिया है। पहले नोटिफाइड एरिया के चेयरमैन जो होते थे डाइरेक्टर एलेक्शन से हुआ करते थे। लेकिन उसकी वजह से यह मालूम होता था कि काम ठीक नहीं होता है और अक्सर उनमें गड़बड़ पड़ जाया करती थी। इस वजह से हमने वहां भी जिस तरह से म्युनिसिपल बोर्ड्स में किया गया है इनडाइरेक्ट एलेक्शन कर दिया है। और मेम्बरों को यह भी हक है कि अगर किसी चेयरमैन पर उनको ऐतमाद न हो तो उसको अलग कर सकेंगे। इसी के साथ हमने इतनी तरमीम और की है कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो अब तक कमिश्नर के यहां जाता था, अब स्टेट गवर्नमेन्ट के यहां जायगा, फैसला करने के लिये कि आया जो इलजामात लगाये गये हैं वह सही हैं और उनको जो कुछ कहना है उस पर गौर किया जायगा। इसके बाद टाउन एरियाज आती हैं। आप जानते हैं कि एक अजीब तरह के टाउन एरियाज कमेटीज बनी हुई हैं। जो न गांव हैं और न शहर हैं नतीजा उसका यह है कि प्लानिंग की वजह से जो हमारे बहुत से डेवलपमेन्ट के काम हो रहे हैं उनसे वह पूरी तौर से मुस्तफीद नहीं हो पातीं। उसी के साथ जो म्युनिसिपल बोर्ड्स को ग्रांट वगैरह देते हैं सड़कों की मरम्मत के लिए, पुलों के लिए वह ग्रांट भी उनको नहीं दे सके। उनकी तादाद हमारे यहां २७१ है जो कि एक काफी बड़ी तादाद है। तो हम सोच रहे हैं कि उनकी सहायता के लिए क्या तरीका अख्तियार किया जाय। अबकी दफा जो बहुत ज्यादा बारिश हुई है तो सरकार ने समझा कि कम से कम

उनको फौरन मदद दी जानी चाहिए। तो यह ३७ लाख की तो मंजूरी बाद ो हुई। लेकिन एक लाख रुपया हमने फौरन जो टाउन एरियाज को खास-ौर से नुक्सान पहुंचा था उनकी मदद के लिए दिया और उससे उनको राहत मिली। बहुत सी जगहों पर उनकी ऐसी हालत हो गयी थी, इस तरह की परेशानी हो गयी थी कि वह वहां अपना टैक्स नहीं वसूल कर सकते थे। इसलिये वह अपने मुलाजिमों की तनख्वाह तक नहीं दे सकते थे। इन सब बातों के लिए उनको यह सहायता दी गयी।

इसके बाद मैं कुछ थोड़ा सा जिक्र अपने एल० एस० जी० इंजीनियरिंग विभाग का सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मुझे यह कहना है कि जब अंग्रेज यहां से गये हैं तो सिर्फ २७ शहर ऐसे थे, २५ तो ऐसे शहर थे जहां पर वाटर वर्क्स म्युनिसिपल बोर्ड्स के थे और २ शहर ऐसे थे जिनमें कम्पनी का इंतजाम था। इस तरह से कुल मिलाकर २७ ऐसे शहर थे जिनमें नलकूप के जरिये से साफ पानी मिलता था। इसके लिए जरूरत यह महसूस की गयी और गुजश्ता दो, तीन साल से इसकी कोशिश की जा रही है कि सरकार जहां तक हो सके इस नलकूप योजना में सहायता दे और इन म्युनिसिपल बोर्ड्स से साफ-सुथरा पानी लोगों को पीने के लिए मिल सके।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि शायद आपका नलों से मतलब है। वह नलकूप योजना नहीं है। दूसरी चीज है।

श्री सैयद अली जहीर—जलकल की योजना पूरी करने के लिये जरूरत थी तो सरकार से जो कुछ हो सकता था कर रही है। कोई डेढ़ साल हुआ जिस समय हमको मालूम हुआ कि हमारी बहुत सी प्लान्स बनी हुई तैयार थी, लेकिन उनके लिये रुपया नहीं था कि कैसे बनायें, तो केन्द्रीय सरकार के पास, प्लानिंग में का कुछ रुपया बचा जो उन्होंने तमाम स्टेट्स को दिया था, कुछ कामों के लिये लेकिन वह काम नहीं हो सके, तो उसमें से तकरीबन ६ करोड़ ६६ लाख रुपया उन्होंने हमको दिया और हमने अपने एल० एस० जी० इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट को और ज्यादा मजबूत किया। इसके ६ सर्किल्स से बढ़ाकर हमने १४ सर्किल कायम किये और तमाम सूबे में हमने जहां तक हो सका यह जलकल की योजना बढ़ाने की कोशिश की। चुनांचे हमको यह उम्मीद है कि अगली गर्मियों के पहले कम से कम ७३ वाटरवर्क्स हमारे पूरे सूबे में हो जायंगे और इसकी वजह से लोगों को काफी सुविधा हो जायगी। छोटी सी बात कहता हूं और जो गोरखपुर के माननीय सदस्य जानते होंगे कि वहां पर घेघे की बीमारी बहुत चल रही थी। अब डाक्टरों का यह कहना है और लोगों का ख्याल है कि अभी थोड़े ही अर्से में जब से साफ पानी मिलने लगा है इस बीमारी में बहुत कमी हो गई है। तो बहुत सी बीमारियां जिनको अंग्रेजी में "वाटर बौर्न" डिजीजेज कहते हैं पानी के रास्ते जर्म्स जिस्म में जाते हैं। तो वाटर पाइप्स की वजह से बहुत काफी फायदा हो रहा है।

इसके साथ यह भी खुशी की बात है कि महज शहरों में ही नहीं बल्कि देहातों में भी हमने यह कोशिश की है कि वहां पर भी पाइप के जरिये से पीने का पानी मिले। जाहिर है कि वहां बड़े-बड़े वाटरवर्क्स नहीं बन सकते, तो यह मुनासिब समझा कि जहां-जहां हमको इर्रीगेशन के टयूबवैल्स मिलें वहां के करीब जो गांव हों, छोटे गांव हों, उनमें हम पानी पाइप के जरिये से मुहैया कर दें ताकि उस पानी से यह नहीं कि अपने खेत सींच सकें बल्कि पानी पी भी सकें जो साफ होता है।

[श्री सैयद अली जहीर]

इन सब के साथ जहां पर हम पानी के इंतजाम कर रहे हैं हमने यह भी मुनासिब समझा कि ड्रेनेज स्कीम्स यानी नालिये के जरिये से मैला साफ करने की स्कीम भी लागू की जाय । चुनांचे इसमें भी कुछ तरक्की हुई है । बहुत से पुराने जो ड्रेनेज स्कीम्स बड़े-बड़े शहरों में थी इनको हम दुरुस्त कर रहे हैं और १० नये ड्रेनेज स्कीम्स शहरों में बना रहे हैं । इसमें दिक्कत यह पड़ रही है, जहां तक ड्रेनेज स्कीम्स का ताल्लुक है, इससे कोई रुपया हम वापस नहीं ले सकते म्युनिसिपल बोर्ड्स से । जहां तक पानी का सवाल है उसके जरिये से जो पानी सप्लाई करते हैं उनसे यह इसरार करते हैं कि तुम अपने यहां वाटर टैक्स लगाओ और उसके जरिये से जो रुपया कर्ज की शक्ल में केन्द्रीय सरकार से मिला है वह रुपया वापस कर सकते हैं म्युनिसिपल बोर्ड । लेकिन ड्रेनेज पर हम उनको मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वह टैक्स लगावें । लेकिन उस सिलसिले में यह कोशिश है कि जो सलेज फार्म हैं शहरों में कायम करें और जहां सलेज फार्म कायम हो जाते हैं उससे कुछ आमदनी म्युनिसिपिल बोर्ड की बढ़ जाती है तो कुछ थोड़ा बहुत कर्जा उससे अदा होता है। दूसरी बात यह कर रहे हैं कि जहां ड्रेनेज स्कीम होगी, तो उसको भी हम मिला देंगे वहां की वाटरवर्क्स की स्कीम से और वही रुपया जो वाटरवर्क्स और हाउस टैक्स का होगा उसी से ड्रेनेज का भी म्युनिसिपिल बोर्ड अदा कर सकेगें ।

अब मैं थोड़ा सा हाउसिंग स्कीम के बारे में बताना चाहता हूं । वैसे तो पहले से काम बहुत सा हो रहा है; लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि प्रान्तीय सरकार में एक अलग डिपार्टमेन्ट इसका होना चाहिये हाउसिंग का, जो कि किसी एक मिनिस्टर के चार्ज में हो । चुनांचे यह मुनासिब समझा गया कि हाउसिंग डिपार्टमेन्ट बनाया जाय और जून या जुलाई, १९५५ में वह कायम हुआ और उसके मुताल्लिक जो मुख्तलिफ किस्म की हमारी हाउसिंग स्कीम्स हैं वह सब कर दी गईं । इस वक्त जो हाउसिंग स्कीम्स चल रही हैं हमारे प्रान्त की वह चार-पांच तरीके की हैं । एक तो मिडिल क्लास हाउसिंग स्कीम है बहुत छोटे पैमाने के पर । थोड़ा सा रुपया हमारी सरकार ने दिया है तकरीबन ३० लाख रुपया और जिसके जरिये से कुछ मकान बनाये जा रहे हैं तीन-चार शहरों में, जोकि हम किराये पर कुछ गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को या जो गैर गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स हैं उनको देंगे । उसकी गरज यह है कि आजकल जो मकानों की बहुत सख्त तंगी हो गई है और अक्सर लोगों को मकान रहने के लिए मिलता नहीं है उसमें कुछ थोड़ी बहुत मदद हो सकती है, लेकिन जाहिर है कि इतना कम रुपया इस स्कीम में लगा है कि उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा । अगर हमको आगे चलकर सेंट्रल गवर्नमेन्ट से कुछ रुपया और मिलेगा तो उसमें कुछ और तरक्की होगी ।

दूसरी स्कीम जो कि हमारे यहां लागू है और जोकि हमारे यहां बहुत पापुलर हुई है, वह है लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम। इस सिलसिले में मुझे यह अर्ज करना है कि केन्द्रीय सरकार ने हमसे यह वादा किया था कि हमको वह तीन करोड़ रुपया इस साल में देंगे, ५५-५६ में, और उस रुपये को हम कर्जे पूर लोगों को बांट सकेंगे और वह लोग जिनकी आमदनी ५ सौ रुपये महीने से कम है उनको हम यह कर्ज दे सकेंगे और वह ३० वर्षों में इक्वेटेड इंस्टालमेंट में एक रकम मुकर्रर हो जायगी कि इस हिसाब से वह पे करें, उसे पे करेंगे । इसके ऊपर केन्द्रीय सरकार को हमें सूद भी देना पड़ता है, चार फीसदी के करीब। यह रुपया हमको अभी तक पूरा तो नहीं मिला है। इस वक्त तक १ करोड़ ७० लाख

रुपया इसमें से हमको मिल चुका है और केन्द्रीय सरकार ने यह वादा किया है कि आइन्दा चन्द महीने में ९६ लाख रुपया इस सिलसिले में हमको और देंगे । इसके जरिये से छोटे मकान जिनका कि स्पेसिफिकेशन मौजूद है, ऐसी जगहों के ऊपर कि जो डेवलपमेन्ट प्लाट्स हों, और लैन्ड हों, वहां के ऊपर वह बनेंगे । जहां कि पानी का इन्तजाम हो, रोशनी का इन्तजाम हो, सड़कें हों, इस किस्म की जगहों के ऊपर यह मकान बनाये जा सकेंगे । शुरू में हमारी यह कोशिश थी कि कोआपरेटिव के जरिये से यह रुपया तकसीम हो, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें पैदा हो गई और कोआपरेटिव ने जो शर्तें लगायीं उनकी वजह से यह न हो सका और सब बातों के अलावा एक दिक्कत यह हुई कि इस हैसियत के आदमियों को जमीन का मिलना ऐसा मुश्किल हो गया कि वह स्कीम चल नहीं सकी । जैसा माननीय सदस्य जानते हैं इसमें ८० फीसदी रुपया तो कर्जे की शक्ल में दिया जाता है और २० फीसदी रुपया जो कर्जा लेता है उसको अपने पास से लगाना पड़ता है, तो इस वजह से कोई ज्यादा कामयाबी नहीं हुई । तो हमने म्युनिसिपल बोर्डस के जरिये से इस रुपये को तकसीम किया । मुझे खुशी है कि म्युनिसिपल बोर्डस से जो स्कीम हमने बनवायी तो बहुत काफी रुपया इस तरह से बंट चुका है और बाकी रुपया लोग ले रहे हैं । मकान भी बनाये जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब यह बनकर तैयार हो जायंगे तो उससे बहुत हद तक मकानों की मुश्किल जो हमारे सूबे में है, वह हल हो सकेगी । इसी सिलसिले में एक तीसरी स्कीम का मैं और जिक्र करना चाहता हूं जो कि भंगियों के लिये, मेहतरों के लिये, म्युनिसिपल बोर्ड की स्कीम जारी की गई थी । इस सिलसिले में गवर्नमेन्ट ने यह तय किया था कि २,१५० छोटे-छोटे हटमेंट्स कहलाने वाले मकान जिनमें कि मेहतर रह सकें, उनके लिए बनवाये जायं और मुख्तलिफ म्युनिसिपल बोर्डस को हमने यह कहा था जिसमें से ३७ म्युनिसिपल बोर्डस जो थे, उन्होंने इस स्कीम को तस्लीम किया और उन्होंने यह मकान बनवाये । इस वक्त तक कोई २५ लाख रुपये के करीब इसमें खर्च हो चुका है, लोकल बाडीज को बहैसियत कर्जे के दिया जा चुका है और ३ लाख ८३ हजार रुपया उनको सब्सिडी की हैसियत से दिया गया है । तो इस तरह से काफी मकानात इस सिलसिले में उन बोर्डस में जिन्होंने इन शरायत पर कर्जा लेना मंजूर किया है बन चुके हैं। चौथी स्कीम जो हाउसिंग की चल रही है उसका कई दफा जिक्र इस हाउस में आ चुका है। वह सब्सिडाइज्ड इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम कहलाती है जिसके जरिये से ५० फीसदी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया हमको कर्जा देती है और बाकी ५० फीसदी के करीब सब्सिडी और उसको २५ बर्ष में वापस करना है और सवा चार फीसदी सूद देना पड़ेगा । इसके ४ फेजेज किये हैं। ४ फेजेज में ये मकान उन जगहों में जिसका कि कई दफा जिक्र हो चुका है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, इस किताब में भी आपको मिलेगा, जहां शहरों में इंडस्ट्रियल पापुलेशन है उनके लिए बनाये जा चुके हैं जहां तक सेकेंड फाइवईयर-प्लान का ताल्लुक है इस वक्त तक कोई २०,००० क्वार्टर्स बन चुके हैं और १७,५५० क्वार्टर्स हमारा ख्याल है कि हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना में उसके खत्म होने के पहले बन चुकेंगे ।

एक चीज का और जिक्र करता हूं जो बहुत जरूरी है और जिस पर कई बार हम गौर भी कर चुके हैं और केन्द्रीय सरकार की तवज्जह भी दिला चुके हैं । लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उसमें वैसी तरक्की जैसी कि हम चाहते थे नहीं हुई, यानी वह जगहें जहां पर हमारे मजदूर और दीगर काम करने वाले जो फैक्टरी में काम नहीं करते हैं, यह हाउसिंग स्कीम तो फैक्टरी वर्कर्स के लिये बनी

[श्री सैयद अली जहीर]

हैं लेकिन बहुत से गरीब आदमी ऐसी हालतों में अपनी जिन्दगी बसर करते हैं जो किसी इनसान के लिए ऐसी जगहों पर रहना एक निहायत शर्मनाक बात है और स्टेट के लिये कुछ न करना उससे ज्यादा अफसोसनाक है। तो हमको उन स्लम्स को क्लियर करना है। उसी के लिये यह स्कीम है। लेकिन यह ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा रुपये की जरूरत है। दो-तीन दफा केन्द्रीय सरकार की मीटिंग्स हुई जिन में मुझे जाना पड़ा। मैंने और तमाम दूसरे सूबों के जो वजरा आये थे उन सब ने बहुत इसरार किया कि हमको गवर्नमेन्ट इसमें कोई न कोई सब्सिडी या हेल्प दे तभी हम उसको हटा सकते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितनी तवज्जह का यह मसला मुस्तहक था उतनी तवज्जह इसकी तरफ नहीं की गयी। चुनांचे नतीजा उसका यह है कि हम सिर्फ कानपुर में जहां ऐडमिनिस्ट्रेटर ने बहुत कोशिश की और उनकी फाइनैन्शियल हालत जरा अच्छी है जिसकी वजह से वह कुछ कार्यवाही ऐसी कर रहे हैं जिससे वहां के स्लम्स किसी हद तक साफ हो जायं और वहां पर साफ सुथरी हवा में और अच्छी हवा में हमारा मजदूर तबका रह सके। लेकिन उसके अलावा जितनी तरक्की हम चाहते थे उतनी नहीं कर सके। कहीं पर थोड़ी बहुत हुई है स्वीपर्स और लेबरर्स के लिये क्वार्टर्स बनाये गये हैं जिससे थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ है लेकिन जैसा रिलीफ हम चाहते थे वैसा नहीं पहुंचा सके। हमें उम्मीद है कि आगे चल कर इसकी तरफ जरूर तवज्जह होगी और हमको केन्द्रीय सरकार से मदद मिलेगी ताकि हम इस स्कीम को और भी आगे चला सकें।

आखिर में एक और अच्छा हमारा डिपार्टमेंट है, मैं उसकी तरफ भी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। वह टाउन ऐंड विलेज प्लानिंग डिपार्टमेंट है। इसकी अहम गरज यह है कि जो हमारे शहर आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और कस्बे जो बढ़ रहे हैं तो जो वह तरक्की करें वह एक प्लांड तरीके से करें। चुनांचे सन् १९४८ में सब से पहले यह डिपार्टमेंट क़ायम हुआ था और उस वक्त हमने एक फारेन एक्सपर्ट को बुला कर उसके चार्ज में यह डिपार्टमेंट शुरू किया, लेकिन अब इसमें खुद हमारे सूबे के अफसरान, यहां पी० डब्लू० डी० से हमने खास कर चुन करके लिये हैं और वह तमाम मुख्तलिफ शहरों के मास्टर प्लान बना चुके हैं और उन शहरों में मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने मौजूदा जो आर्किटेक्चुरल प्वाइंट आफ व्यू है और जो डेवलपमेंट होना चाहिये उसको ख्याल में रख कर प्लान तैयार किये हैं और उनसे बहुत मदद मिल रही है। उन शहरों का डेवलपमेंट प्लांड तरीके से हो रहा है और जो एक अनप्लांड ग्रोथ इन शहरों की हो गई है जिससे बहुत से लोग वहां के खुश नहीं हैं और उनकी तन्दुरुस्ती दुरुस्त नहीं रहती है वह उन बातों को रोक सकते हैं। उसके साथ-साथ आर्किटेक्ट्स उनमें होंगे यानी ऐसे एक्सपर्ट्स जो माडर्न हों, जरूरियात को पूरा करें और ऐसे प्लान बनाये जो आंखों को भले लगे, यह चीज इस डिपार्टमेंट में है। इसके मातहत बहुत हमारी पब्लिक बिल्डिंग्स शहरों में बनती हैं। साथ ही मार्टेयर्स मेमोरियल सन् १९५७ में बनाने का का खयाल है, वह नक्शा भी इस डिपार्टमेंट में बन रहा है और गालिबन उसमें देख कर यह भी कहा जा सकता है कि और क्या होगा।

यह चन्द अल्फाज में, मैंने जो काम हुए वह, माननीय सदस्यों के सामने पेश कर दिये और उम्मीद है कि इस अनुदान को स्वीकृत किया जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जो अनुदान इस वक्त सदन में उपस्थित है उसमें मैं एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं। आज प्रान्त में जितने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं उनका चुनाव सन् १९४८ में हुआ था और जबसे उनका समय समाप्त हुआ तब से यह बराबर इस सदन में भी कहा गया, क्वेश्चनों के द्वारा भी कहा गया कि जल्द से जल्द नये चुनाव डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के कर दिये जायं, लेकिन कभी इस बहाने, कभी उस बहाने,

कभी यह कह दिया गया कि विधेयक तैयार नहीं है, अभी हमको ऐक्ट बनाना है, इस तरीक़े से चुनावों को टाल दिया गया। जब कि सन् ५२ में कैबिनेट की एक सब-कमेटी बनी इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के विधेयक के बारे में राय देने के लिये कि किस प्रकार का विधेयक हो, उस कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन अब भी कोई विधेयक इस सदन के सन्मुख नहीं आया और इस तरह से चुनाव टाल दिया गया और मैं समझता हूं कि अगले दो साल में भी वह नहीं होने वाला है। अगले साल तो जनरल इलेक्शंस होंगे, उसके बाद ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एलेक्शन हो सकेगा।

श्रीमन्, जहां तक कि रिपोर्ट का सवाल है उसको देख कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। इसमें यह लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा जो डिस्पेंसरीज चलाई जा रही हैं आज प्रान्त में उनसे एक करोड़ आदमियों की दवायी करायी गई। जब कि हमारे प्रान्त की कुल ६ करोड़ की आबादी है तो एक करोड़ आदमियों की दवाई महज इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरीज से हुई, जब कि प्रान्त में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के द्वारा जो टीका लगाया गया वह महज २७ लाख आदमियों को लगाया गया। क्योंकि टीका तो सब को लगाया जाता है लेकिन दवाई तो सब की होती नहीं। जो बीमार पड़ता है उसी की होती है। तो साल भर में एक करोड़ आदमियों का बीमार पड़ना और उसके अतिरिक्त कई करोड़ आदमी अन्य अस्पतालों में बीमार हो कर गये होंगे तो इस हिसाब से आधे आदमी कम से कम हमारे प्रान्त में बीमार पड़ गये। इस तरह से ये फिगर्स गलत मालूम होती हैं, या तो छापने में ग़लती हो गयी और एक लाख की जगह १ करोड़ छप गया या जानबूझकर गलत आंकड़े दिये गये हैं।

दूसरी बात यह है कि जब स्कूलों की वृद्धि हुई तब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों में विद्यार्थियों की कमी हो गयी। इसका कोई कारण तो इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन जहां तक मैं समझता हूं उसका एक ही कारण हो सकता है कि हमारे प्रान्त के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है और पैसे के अभाव में विद्यार्थी स्कूलों में नहीं जा सकते। दूसरा कारण और कोई नहीं है। क्योंकि जब स्कूलों की संख्या बढ़ी तो लड़कों की संख्या घटे, यह कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। जहां तक म्युनिसिपल बोर्डों का सवाल है आज ११४ म्युनिसिपैलिटियां काम कर रही हैं। सरकार ने इसमें लिखा है कि अलीगढ़ में अभी तक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, क्या दिक्क़त पड़ गयी, जब हर जगह हुआ तो वहां क्यों नहीं हुआ यह समझ में नहीं आता है।

श्रीमन्, उरई की म्युनिसिपैलिटी में बनवारीलाल जी प्रेसीडेंट थे म्युनिसिपल बोर्ड के। एलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया। उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में रिट दाख़िल की, रिट उनको मिल गयी तो उनके ख़िलाफ जो लड़े, वह अपील में नहीं गये। यह सरकार चली गई क्योंकि यह सरकार तो चाहती नहीं कि दूसरी किसी पार्टी का आदमी प्रेसीडेंट रहे और दूसरा कोई रहेगा तो किसी न किसी तरह से सरकार चाहती है कि उसको हटायें। या तो सरकार उस म्युनिसिपैलिटी को ही सुपरसीड करने की चिन्ता में रहती है और अगर हाईकोर्ट में रिट आये तो या एलेक्शन ट्रिब्यूनल में कुछ हो तो सरकार ही अपील करती फिरती है। यह हालत इस सरकार की है। इस तरह से कोंच की म्युनिसिपैलिटी के प्रेसीडेंट पर अविश्वास का प्रस्ताव आया। उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद सरकारी गजट हुआ कि फलां तारीख़ को चुनाव होगा। गजट हो गया, सब आफिसर्स चले गये। उसके बाद वहां के कमिश्नर ने फौरन् लिख कर भेज दिया, चूंकि वहां के जो पुराने प्रेसीडेंट खड़े थे और कांग्रेस के एक और सज्जन खड़े थे उन पुराने प्रेसीडेंट साहब के पक्ष में ज्यादा वोट्स पड़ने की संभावना थी, इसी वास्ते उस चुनाव को भी रोक दिया गया। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं जो कि सरकार को नहीं करना चाहिये। इस तरह की एक नहीं, मैं गिनाने लगूं तो, बहुत सी जगहों की बात बता सकता हूं।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

जहां तक अनुदान की बात है मैंने सवाल भी पूछा था और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किस तरह से अनुदानों में गड़बड़ी की जाती है। एक मिसाल मैं अपने जिले की आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे जिले में तीन म्युनिसिपैलिटियां हैं बरहज, देवरिया और पडरौना। बरहज की आबादी करीब १५ हजार है, देवरिया की क़रीब २० हजार और पडरौना की १२ हजार है, लेकिन बावजूद इसके कि आबादी में बहुत कम फर्क है, बरहज को १६ हजार, देवरिया को १५ हजार, और पडरौना को साढ़े सात हजार रुपये सड़कों के लिये अनुदान दिये गये हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरीके से क्या हो रहा है। इससे मुझे मालूम होता है कि जिस तरीके से एक मिनिस्टर साहब ने जब म्युनिसिपैलिटियों का चुना व हो रहा था उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारा बोर्ड नहीं बनेगा उनको हम पैसा नहीं देंगे, तो मालूम होता है कि यह सरकार उसी नीति पर काम कर रही है। इस तरीके की चीजें श्रीमन्, नहीं होनी चाहिये। दूसरे लोगों के साथ इस तरह की चीजें करना अच्छा नहीं है। सरकार को चाहिये कि किसी तरह का भी बोर्ड हो, सबके साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिये तभी काम ठीक से चल सकेगा। अगर इस तरह की चीजें की गयीं तो मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं होगी। जहां तक स्कूलों का सवाल है, मैं समझता हूं कि सरकार से जो म्युनिसिपल बोर्डों को स्कूल प्राप्त हुये हैं उसमें श्रीमन्, पारसाल से इस साल ३१९ स्कूल ज्यादा खुल गये और इस साल जो खर्च पड़ा स्कूलों पर वह १ करोड़ २९ लाख ७० हजार और पिछले साल १ करोड़ १४ लाख १० हजार रुपये यानी करीब २५ लाख रुपये ज्यादा खर्च हुये और स्कूल ज्यादा खुले ३१९। इसको देखते हुये मालूम होता है कि ८ हजार रुपया एक प्राइमरी स्कूल पर लगा है। इसके देखने से तो ऐसा मालूम होता है कि ८-८ हजार रुपया प्राइमरी स्कूलों में ही लग रहा है। पता नहीं आंकड़े ही गलत हैं या क्या बात है। २५ लाख का तो आपका बजट बढ़ा और ३१९ स्कूल खुले जैसा कि आपकी रिपोर्ट में दिया गया है। मैं समझता हूं कि ये सब आंकड़े सही नहीं हैं।

इसके बाद जहां तक माननीय मंत्री जी के लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट इंजीनियरिंग विभाग का सम्बन्ध है, मुझे तो यह देख कर ताज्जुब हुआ कि जब यह डिपार्टमेंट माननीय मंत्री जी के हाथ में है तो स्वास्थ्य विभाग के बजट में यह कैसे पास हुआ। मेरी समझ में नहीं आता है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से और स्वास्थ्य विभाग से क्या सम्बन्ध है। मंत्री जी से पूछा गया कि यह स्वास्थ्य विभाग में क्यों है, तो कहते हैं कि पहले से चला आ रहा है। अब कोई चीज पहले से ग़लत चली आती हो तो मंत्री जी उसको मानेंगे। जबपूरा कंट्रोल इस डिपार्टमेंट का है तो उस ग्रान्ट से यह, कैसे पास हुआ। मैं तो इस राय का हूं कि इस डिपार्टमेंट ही को तोड़ देना चाहिये और वह इसलिये भी कि इसकी सिफारिश एस्टीमेट्स कमेटी ने भी की है कि इसको तोड़ दिया जाय और पी० डब्ल्यू० डी० में मिला दिया जाय। इससे यह होगा कि जितना रुपया का खर्चा है वह बच जायगा। कोई जरूरत नहीं कि इसके लिये एक और इस्टेब्लिशमेंट खोला जाय और तमाम स्टाफ रखा जाय। हर जिले में जैसे उनके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उस तरह से रखें लेकिन जो ऊपर के स्टाफ़ का लाखों का खर्चा होता है यह बच सकता है। इसलिये मैं तो इस राय का हूं कि जो एस्टीमेट्स कमेटी ने सिफारिश की है उसको जल्द से जल्द सरकार को कार्यरूप में परिणत करना चाहिये, नहीं तो फिर एस्टीमेट्स कमेटी के सिफारिश करने से ही क्या फायदा।

दूसरी चीज, श्रीमन्, आप को सुनकर ताज्जुब होगा कि मंत्री जी इत्तफाक से न्याय मंत्री भी हैं और उन्हीं के विभाग में न्याय का इतना वह हो रहा है। एक ओवर सियर साहब हैं जिनका नाम आर० सी० वर्मा है।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---माननीय मेम्बर ने कहा कि उनके डिपार्टमेंट में बहुत "वह" हो रहा है, तो यह "वह" क्या होता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--"वह" के माने अन्याय होते हैं। उनके ऊपर झूठा चार्ज लगा कर पहले सस्पेंड किया गया, फिर डिसमिस किया गया। वह हाईकोर्ट से डिक्री ले आये। उसके बाद उनको नौकर रखा गया मगर फिर डिसमिस कर दिया गया। वह फिर हाईकोर्ट से डिक्री ले आये मगर फिर उनको हटा दिया गया। आप एक आदमी के पीछे इस तरह से पड़ गये कि कुछ कहना नहीं और जब हाईकोर्ट कहता है कि आप उसको रखिये। यह न्याय की हत्या नहीं तो और क्या है? इतना ही नहीं, उनको निकाला भी गया और गवर्नमेंट को साढ़े चार हजार रुपये उनको देने भी पड़े। तो इस तरह से जो साढ़े चार हजार रुपये मुफ्त में उनको दिये गये इसकी जिम्मेदारी किस पर है? या तो आप कह दीजिये कि हम हाईकोर्ट वाई कोर्ट को कुछ नहीं मानते। हम खुद हाईकोर्ट हैं। छोटी मोटी नौकरी के मामलों में हाईकोर्ट की रूलिंग को इस तरह से अपनी एक्जीक्यूटिव पावर्स से न मानना यह कोई उचित बात नहीं है। हां, कोई ऐसा मसला आ गया हो जिससे सरकार का कोई नुक्सान होता हो तो दूसरी बात है। लेकिन एक मामूली आदमी को निकालने के लिये भी आप हाईकोर्ट के आर्डर की अवहेलना करें यह कोई अच्छी बात नहीं है और मैं समझता हूं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। श्रीमन्, एक और प्रान्त भर में झगड़ा चल रहा है क्योंकि सरकार ने एक आदेश निकाला है कि जो माल म्युनिसिपल हद से पास होता है उस पर ट्रांजिट-फी लगा दी गयी है यानी जो कोई माल ले कर सड़क से जायगा उसको फी गाड़ी तीन आना देना पड़ेगा इसका झगड़ा चारों तरफ चल रहा है, तमाम अर्जियां आईं, केन डेवलपमेंट फेडरेशन ने रिजोल्यूशन पास किया क्योंकि सोसायटीज की गन्ने की गाड़ियां जाती हैं उनसे भी फीस ली जाती है। हमारे यहां यह झगड़ा चल रहा है। केन की गाड़ियां आती हैं और गाड़ीवान झगड़ा करने के लिये तैयार हैं, वह कैसे वसूल करें, इसके लिये झगड़ा चल रहा है। झूठमूठ का टैक्स लगा दिया है जो एक दफा सड़क से पास हो गया कि उस को फी गाड़ी तीन आने देने पड़ते हैं। इससे चारों तरफ बड़ी गड़बड़ी पैदा हो गई है। मैं समझता हूं कि सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिये ताकि गन्ने की गाड़ियों पर टैक्स न लग सके। बहुत सी म्युनिसिपैलिटियों में श्रीमन् गन्ने की कोआपरेटिव्ज ने अपनी सड़कें बनवा ली हैं फिर भी उनसे टैक्स लिया जाता है।

दूसरी चीज यह है कि सरकार महानगर स्कीम चला रही है। इसके बारे में मुझे यह कहना है कि वहां प्लाट्स बेचने का ठेका प्रान्त के बाहर के आदमी को दिया गया है। क्या प्रान्त में कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको यह ठेका दिया जा सकता? करीब करीब डेढ़ लाख रुपया उसको मिल चुका है। यह गड़बड़ी है। मैं समझता हूं कि जो प्लाट्स इसमें रखे गये थे, उसमें यह था कि पत्रकार या छोटे लोगों को दिये जायें लेकिन वहां जो अच्छे-अच्छे प्लाट्स थे वह बड़े-बड़े आफिसर्स और बड़े-बड़े लोगों को दे दिये गये। सड़कें जो नकशे के अन्दर थीं उनको छोटा कर दिया गया और जो प्लेग्राउंड था उधर नाली खुदवा दी गई है। मैं समझता हूं सरकार ने क्यों नहीं इसका ठेका किसी कोआपरेटिव को दिया? आज इसका ठेका अगर किसी कोआपरेटिव को दिया गया होता तो कम से कम उसे आज लाख डेढ़ लाख रुपये का मुनाफा हो गया होता। लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ी है? किस तरह से हिकमत की गई है। यह तो वही जानेंगे जो ठेकेदार हैं या जिन्होंने ठेका दिया है वही जानेंगे लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिये था और निश्चत रूप से उनके द्वारा ही यह प्लाट्स बिकवाने चाहिये थे जिससे उनको फायदा होता और उन सोसाइटीज की आर्थिक हालत सुधरती। इन शब्दों के साथ में अपना कटौती का प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखता हूं।

***श्री अवधेश प्रताप सिंह** (जिला फ़ैजाबाद)---मान्यवर, मैं सब से पहले आप के द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, यह एक सत्य है कि जिससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि आठ आज साल हो रहे हैं जब कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

उनका चुनाव हुआ था और इसके बाद आज भी सरकार निश्चयात्मक रूप से यह नहीं बतला सकती कि नये इलेक्शन्स कब तक करने वाली है। श्रीमन्, यह देखा जाय कि जब एक तरफ तो जनतंत्र की दुहाई हम देते हैं, डेमोक्रेसी में पूर्ण विश्वास रखते हैं तो कौन सी ऐसी विशेष परिस्थिति थी जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शंस आज तक टाले गये और एक तरफ जब कि म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस हो चुके हैं तो यह आशा थी कि अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शंस का भी समय आ रहा है। लेकिन देखा यह जाता है कि जनरल इलेक्शंस हो जायंगे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव नहीं हो पायेंगे मैंने यह देखा कि जब केन्द्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार के सामने इतनी कठिनाइयां हैं जब कि स्टेट्स का रिआर्गेनाइजेशन होता है जब कि डिलिमिटेशन आफ़ कांस्टीट्यूयेन्सी आदि के झगड़े पड़ते हैं, उन सब आपत्तियों और विपत्तियों के होते हुये वह इलेक्शन करा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं लेकिन यह एक आश्चर्य की बात है कि आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन के सम्बन्ध में यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसका क्या रूप होगा। वह इन्डायरेक्ट होगा या डायरेक्ट होगा। इन्डायरेक्ट इलेक्शन का अनुभव काफी हो चुका था और उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन कराया गया तत्पश्चात् हमारे माननीय मंत्री जी ने उसको भी उचित न समझ कर एक तीसरा रास्ता अपनाया है और वह और कोई नहीं, वह इंडायरेक्ट पर फिर आ गये। जैसे ट्रेन के कंपार्टमेंट के सम्बन्ध में पिछले दिनों देखा गया कि पता नहीं फर्स्ट, सेकिन्ड या थर्ड, किस डब्बे में हम चल रहे हैं, उसी तरह से डायरेक्ट और इन्डायरेक्ट के सम्बन्ध में आज तक सरकार समझ नहीं पायी कि क्या करना चाहिये। यह एक मोटी सी बात थी। हर सरकार को समझना चाहिये कि अगर आप डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसीडेंट का कराते हैं तो वह कभी काम नहीं चला सकता जब तक कि आप उसको इतना शक्तिशाली न बना दें कि वह बोर्ड के अधीन न हो।

श्रीमन्, जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के अस्पतालों के संबंध में कहा गया, वास्तविकता यह यह है कि हर जिले में बहुत से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पताल हैं जो केवल नाम मात्र के लिये हैं। जो वेतन वहां के डाक्टर और कम्पाउन्डर का होता है उससे कहीं कम दवाइयों की कीमत है। बोर्ड ने दवाइयों के लिये रुपया पास भी कर दिया तो साल गुजर जाता है लेकिन दवाइयां उस बदनसीब डाक्टर के पास नहीं पहुंच पातीं। यह तो पब्लिक हेल्थ है।

श्रीमन्, जहां तक अध्यापकों का प्रश्न है, यह देखा जाता है कि सरकार ने आर्थिक सहायता दी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो मास्टर हैं उनको तनख्वाहें उसी तरह से मिलती हैं जैसे कि पुरानी रियासतों में कर्मचारियों को मिलती थीं। उनको तो ऊपर से कुछ और लाभ भी हो जाता था लेकिन मास्टर के पास और कोई सहारा नहीं है। श्रीमन्, यही नहीं, जब पंचायत आई और उसका नारा लगाया गया तो यह समझा गया था कि राम राज्य आ रहा है। उनमें हालत यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कामों और पंचायतों के कामों में इतनी ओवर लैपिंग है कि कुछ कहा नहीं जाता। इससे बड़ी कठिनाई है और इसको शीघ्रातिशीघ्र दूर होना चाहिये। लेकिन यदि इसके लिये कहा जाय कि इलेक्शन टाल दिया जाय या यह कहा जाय कि सरकार के पास समय नहीं है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई सार नहीं है।

यही नहीं, म्युनिसिपैलिटीज की क्या हालत है, श्रीमन्, वह भी सबको ज्ञात है। यह सत्य है कि आप उनको रुपया देते हैं लेकिन उन के पास इतना बल नहीं कि जो आप ग्रान्ट या लोन उनको देते हैं उसका वह सदुपयोग कर सकें। श्रीमन्, एक नहीं अनेकानेक म्युनिसिपैलिटीज हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी डावांडोल है कि जब तक सरकार उनको काफी आर्थिक सहायता न देगी, मैं समझता हूं कि तब तक उनका काम चलना असंभव है। श्रीमन्, मैं इस डिपार्टमेंट की अहमियत समझता हूं और मंत्री महोदय को यह भी बता दूं कि उनकी कठिनाइयां क्या हैं इसको भी समझता हूं। माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि लोकल सेल्फ इंजीनियरिंग

डिपार्टमेंट को तोड़ देना चाहिये या इस दूसरे डिपार्टमेंट को खत्म कर देना चाहिये, मैं कहता हूं कि इसके कोई माने नहीं होते, क्योंकि जहां स्वायत्त शासन का प्रश्न उठता है वहां उनके पास इतने अधिकार होने चाहिये, उनके पास हर प्रकार के इतने साधन होने चाहिये ताकि उनके अपने काम में किसी प्रकार की रुकावट न हो सके। श्रीमन् यह देखा गया है कि पी०डब्लू०डी० पर यदि आप भरोसा करते हैं तो उनका काम ट्यूबवेल डिपार्टमेंट करता है और ट्यूबवेल के पास जाते हैं तो वह किसी दूसरे के पास भेजता है। इसी तरह से दूसरे विभाग कामों को टालते रहते हैं और वहां का काम पड़ा रहता है।

मैं अंत में कहना चाहता हूं कि महानगर के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें हैं। और उसको माननीय मंत्री जी देखें कि आखिर उन शिकायतों के पीछे क्या राज हैं और क्या वजह है। यही नहीं आज हाउसिंग स्कीम के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर कहा। मुझे प्रसन्नता है कि यह विभाग उनके अधीन हुआ। मुझे उम्मीद है कि उनकी वजह से बहुत कुछ काम हो जायगा। लेकिन मैं आपके जरिये से उनसे इस्तदुआ करूंगा कि वह यह देखें कि आखिर लो हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत किस तरह से लोगों को रुपया मिल सकता है। जो कठिनाई उसमें हैं उसमें वह कोआपरेटिव के पास जायं, प्लानिंग के दफ्तर में जब वह पहुंचता है तो वहां बहुत समय तक ठोकरें खाने के बाद वह यह सोचता है कि अच्छा है वह इस रुपये के पास न जाय। आपने लोगों के लिये रुपये का इन्तजाम किया लेकिन उसका प्रोसीजर ऐसा है कि जिससे लोगों को मिलना मुश्किल है। अगर आप उस प्रोसीजर को परिवर्तित नहीं करते तो लोग उस रुपये का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

श्रीमन्, मैंने यह देखा है कि लोग यह चाहते हैं चाहे वह मिडिल क्लास के हों या अपर मिडिल क्लास के हों कुछ भी उनको नाम दीजिये कि उनके पास मकान रहने के लिये हो जाय। आज उनके पास घर नहीं है और यदि है भी तो उसकी हालत ऐसी है जिसमें वह आनन्दपूर्वक नहीं रह सकते हैं। उनकी जितनी भी सहायता की जाय उतनी कम है। केन्द्रीय सरकार ने उनके लिये तीन करोड़ रुपया दिया है लेकिन मैं अधिक प्रसन्न होता यदि इनके लिये कुछ अधिक रुपया मिला होता। माननीय मंत्री जी को यह देखना चाहिये कि इस मद में काफी रुपया आये जिससे सही माने में उनकी मदद कर सकें। अगर जिलों में देखा जाय तो मालूम होगा कि यह रुपया बहुत कम उठा है।

यही नहीं कुछ मदद सरकार ने उन बोर्ड्स को की है जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में थे, यह ठीक है कि उनको तात्कालिक सहायता जो दी गयी वह उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये बहुत कुछ हो सकती थी लेकिन वास्तविकता यह है कि जो आपने दिया वह न देने के बराबर थी और जो आइन्दा भी देना चाहते हैं वह भी इसी तरह की है। पूर्वी जिलों में बाढ़ से मकानों की हालत चाहे वह व्यक्तिगत हों या सामूहिक सब की हालत इस तरह की हो गयी है कि अगर बाढ़ भी न आवे और बरसात अच्छी हो जाय तो वे सब धराशायी हो जायेंगे। किन्तु जब विशेष परिस्थिति रही और शताब्दियों से इस तरह की बाढ़ नहीं आयी तो वहां की इमारतों की क्या हालत है और म्युनिसिपल बोर्ड की क्या हालत है यह अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। तो अगर आप मदद करना चाहते हैं और सही रूप में मदद करना चाहते हैं तो इस तरह से उनकी मदद कीजिये जिससे वह पनप सकें और सही रास्ते पर आ सकें।

मैंने यह भी देखा कि जहां तक यह म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं यह ऐसी चीज नहीं है जिनको इस हाउस में ऐक्ट में संशोधन करके बदल दिया जाय। यह हेरा-फेरी इलेक्शन के सम्बन्ध में जो की जा रही है कि रिप्रजन्टेशन आफ प्युपिल्स ऐक्ट में संशोधन करके किया गया यह सही नहीं मालूम होता है। आपके पास कमेटीज की रिपोर्ट मौजूद हैं। उनको आप देख सकते हैं। पहले भी इनके इलेक्शन होते रहे हैं। आपके पास वक्त है तो इस तरह के संशोधन आप लायें जिससे कि सदन में रखने पर मालूम हो कि आप लांग रेंज पालिसी

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

को चलाना चाहते हैं और जिससे लोगों का हित हो सके। यह जो मामूली संशोधन किये जाते हैं इनको मैं बंगलिंग कहता हूं।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, आज जो अनुदान सदन के सामने है उसमें मैं केवल कुछ म्युनिसिपैलिटीज की बाबत ही कहना चाहता हूं। मैं सरकार की किसी नीति या जो मंत्री जी ने उसकी कार्यवाही बतायी है उसके बारे में न कह कर केवल इस विभाग में किस तरह से काम चलता है, कैसी शिकायतें हैं, उनके ऊपर ही आपके द्वारा सदन के सामने कुछ रोशनी फेंकना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उस म्युनिसिपैलिटी को लेता हूं जिसमें कुछ बातें हुयीं, एक मेंबर साहब के खिलाफ कुछ भ्रष्टाचार की शिकायत हुयी। इन शिकायतों की जांच की गयी। उस मेम्बर को वहां से अलहदा किया गया। उस मेम्बर ने उसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की एक रिट की शक्ल में। सबसे ज्यादा अफसोस की बात जो मेरी समझ में नहीं आयी और जिसके बारे में मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको नोट कर लें और मुझे बतायें ताकि मुझे तसल्ली हो सके वह बात यह हुई सरकार की तरफ से सरकारी वकील को हाईकोर्ट में यह ताकीद की गयी कि इस रिट की मुखालिफत न करो। उस रिट का फैसला हाईकोर्ट ने किया और उस मेम्बर को बहाल किया। फिर उसकी नजरसानी की गई और उसमें भी वह बहाल रहा। अब मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर वे रोशनी डालें।

अब मैं दूसरी मिसाल पेश करना चाहता हूं। एक मम्बर साहब की ५-६ साल से भ्रष्टाचार की शिकायत थी। श्रीमन्, उनकी शिकायतें यहां तक थीं जिनको मैं यहां नहीं कहना चाहता हूं, मुझ में जुर्रत नहीं है कि मैं उन शिकायतों को आपके सामने रख सकूं। जिस किस्म की वे शिकायतें थीं उनको सदन के सामने किस जबान से रखूं, उनको रखने में मुझे शर्म आती है और मैं समझता हूं कि ऐसा करने में किसी आदमी को भी शर्म आयेगी। इन शिकायतों की जांच तीन चार एस०डी०ओज० ने की, ३-४ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों ने की। उसके बाद उनको निकाला गया। उन्होंने सरकार में अपील फाइल की। सरकार ने कहा कि डी०एस० को निकालने का कोई हक न था। उनको बहाल किया और उस मामले को कमिश्नर के पास भेज दिया गया कि वे इस मामले में अपना फैसला दें। अव्वल तो जब इस मामले में इतनी देर हुयी तो सरकार इस मामले को सीधे कमिश्नर के पास भेज सकती थी? दोयम अगर उसने कमिश्नर के पास भेजा ही था तो जल्दी करती। आज ६ महीने से ज्यादा हो गये हैं लेकिन उस मामले में कोई फैसला नहीं हुआ है। यह कहना कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें कुछ देरी लग ही जाती है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती क्योंकि म्युनिसिपल बोर्ड के मामले में जल्दी की मिसाल मिलती है। मिर्जापुर बोर्ड के मामले में फौरन कार्यवाही हो गयी। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको ध्यान में रक्खें और अपने अल्फाज में कुछ बतायें ताकि मुझे कुछ तसकीन हो सके। कोंच म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में जगन्नाथमल्ल जी ने बताया। मैं भी कुछ वाकआत जो मेरी जानकारी में हैं, उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। कोंच के ४ म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों के खिलाफ रिश्वत भ्रष्टाचार और जो कोई भी गलतियां हो सकती हैं उन सबकी शिकायतें की गयी और उस पर जो कुछ भी कायदे की कार्यवाही होनी चाहिये, एस०डी०ओ० की जांच, डी०एस० की जांच और कमिश्नर की जांच सब कुछ हो चुका, ६ मास हो चुके लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। तो श्रीमन्, मैं बड़ी-बड़ी चीजों पर न जाकर चन्द वाकयात आप के द्वारा मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और वह केवल इसलिये कि वह उन को देखें और दिन प्रति दिन छोटे छोटे बोर्ड्स में किस तरह की कार्यवाहियां होती हैं और किस तरह से गलत तरीके से चीजें की जाती हैं इस सब को ध्यान में रख कर वह इन शिकायतों को रफा करने की कोशिश करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शारदा बख्श सिंह (जिला हरदोई)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत अनुदान के सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। मेरा भी एक नगरपालिका के अध्यक्ष के नाते और जो हमारी स्वशासन सरकार की नीति है उसके अवलोकन करने का मेरा निकट से सम्बन्ध रहा है। मैं जानता हूं कि जब हमने अपने इस विशाल देश में एक जनतांत्रिक पद्धति अपनाई है तो भिन्न-भिन्न विचारों और कार्यक्रमों को लेकर नये-नये राजनीतिक दलों की आवश्यकता ही नहीं है बल्कि उनको प्रोत्साहन भी मिलना चाहिये। पिछले आम चुनाव में भारतीय जनसंघ ने अपने कार्यक्रम को देश की जनता के सामने रखा और उसे जनता से समर्थन प्राप्त होने पर लगभग ३९ अध्यक्ष और सैकड़ों की तादाद में सदस्य निर्वाचित हुये और इस आशातीत सफलता को देख कर जनसंघ एक ईर्षा का कारण बन गया और हमारी सरकार की नीति से अब यह स्पष्ट प्रकट होता है कि येन केन प्रकारेण जनसंघ के कार्यों को रोका जाय और अब सरकार द्वारा इसके लिये एक योजना सी बना ली गयी है। एक दो नहीं, आधा दर्जन अध्यक्ष जो भिन्न-भिन्न नगरपालिकाओं में निर्वाचित होकर आये उनके ऊपर मिथ्या और निराधार आरोप लगाये गये और तरह-तरह की कार्यवाहियां की गयीं और अनेक प्रकार से उनको अपने पदों से निलंबित किया गया। शायद जो मैं कह रहा हूं वह बात न हो लेकिन मैं गर्व के साथ माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि छोटे-छोटे आरोप उनके ऊपर लगाये गये और उनके सम्बन्ध में हर मामले में हाईकोर्ट में रिट हुआ, मैं मिर्जापुर के अध्यक्ष श्री भगवान दास जी का उदाहरण देकर बता सकता हूं, वह जनसंघ से आये थे, उनपर आरोप लगाया गया और उन्हें मुअत्तल किया गया, फिर उस पर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया और उसके फलस्वरूप वह फिर पदासीन हुये लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि एक मास के अन्दर ही फिर उनपर चार्ज लगाने के बाद उन को मुअत्तल कर दिया गया, फिर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया गया और वह फिर बहाल हुआ और फिर वह पदासीन हुए। उसके बाद भी तीसरी बार फिर उनको मुअत्तल किया गया और फिर वही हाईकोर्ट में रिट हुआ और फिर हाईकोर्ट ने उनको बहाल किया। क्या यही सरकार की नीति है और क्या यह किसी सरकार के लिये शोभनीय है? माननीय मंत्री जी तो हाईकोर्ट के उच्च कोटि के वकील रहे हैं वह समझ सकते हैं कि इन हाईकोर्ट्स के आर्डर्स की क्या स्थिति होगी यदि हम उनको कोई महत्व न दें।

दूसरा मामला अनूपशहर के अध्यक्ष श्रीकांत प्रकाश का है, वह भी जनसंघ से ही आये थे, वहां के उपाध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में.....।

श्री अध्यक्ष--अब आप बाद में जारी रखें, इस समय आप के ४ मिनट हो गये ६ मिनट बाकी रहे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री शारदा बख्श सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वशासन मंत्री की नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में जो नीति है पक्षपातपूर्ण उसके सम्बन्ध में कुछ विवरण दे रहा था। दूसरा उदाहरण मैं अनूपशहर का दे रहा था। वहां उपाध्यक्ष महोदय, श्री गंगोली प्रेसीडेंट थे और गंगोली जी की अनुपस्थिति में कान्तीप्रसाद जी की अध्यक्षता में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि डा० श्यामाप्रसाद जी की मूर्ति स्थापित की जाय और इस सम्बन्ध में जब कदम उठाया और मूर्ति मंगाने का प्रयत्न कर रहे थे तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोग इसको कैसे मान सकते थे, हृदय उनका तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस महापुरुष की मूर्ति की स्थापना उनको पसन्द नहीं आयी और जब रिपोर्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदा बख्श सिंह]

लिखी गयी तो उसमें साधारण सी गल्ती निकाल कर उपाध्यक्ष गंगोली प्रसाद जी फौरन मुअत्तल कर दिये गये। इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया गया। इस बीच में स्वशासन सचिव और वहां गये और जो वहां के अध्यक्ष थे उन पर इस बात का दबाव डाला कि वे मूर्ति की स्थापना न करायें। जब उन्होंने यह बात नहीं मानी तो उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया और गंगोली जी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया। लेकिन कांतीप्रसाद जी ने जो रिट दाखिल कर रक्खी थी उसमें हाईकोर्ट ने उनको बहाल किया और वे वहां फिर पदासीन हो गये। इससे सरकार को शंका हुयी कि अगर कांती प्रसाद जी को कार्य करने दिया गया तो श्यामा प्रसाद जी की मूर्ति जरूर स्थापित हो जायगी और यह अत्यन्त शर्म की बात है कि उस नगरपालिका को भंग कर दिया गया।

तीसरा कासगंज का उदाहरण है। वहां के अध्यक्ष जनसंघी बनवारीलाल जी थे। उन पर कुछ चार्जेज लगाये गये और उनको मुअत्तल कर दिया गया। जो चार्ज लगाया गया वह बहुत हास्यास्पद था कि आपको ऊंचा सुनाई देता है और आप बीमार रहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में बड़े-बड़े ओहदों पर ऐसे लोग हैं जिनको ऊंचा सुनाई देता है और वे लोग दवा के लिये बाहर जाते हैं। हम बाहर नहीं जा सकते। बहरहाल इन चार्जेज पर उनको मुअत्तल किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया गया और वे बहाल हुये और पदासीन किये गये। चौथा फैजाबाद का उदाहरण है। वहां गुरदत्त सिंह एक रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर हैं। कहा गया कि आप शासन करने में ढिलाई कर रहे हैं और इसलिये उनको भी मुअत्तल किया गया और उन्होंने भी हाईकोर्ट में रिट दाखिल की और हाईकोर्ट से वे बहाल हुये लेकिन इस सारे झंझट को देख कर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पांचवां उदाहरण पुरुषोत्तम दास एटा का है। जनसंघ के अध्यक्ष थे। इन पर भी ऐसे ही मिथ्या और निराधार आरोप लगाया गया और उनको पद से अलग कर दिया गया। उन्होंने हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया और उनको भी फिर से बहाल किया गया। मैं समझता हूं कि ऐसे और कई केसेज हैं। मैं इन सब बातों को केवल इसलिये कहना चाहता हूं कि शायद आप हंस कर उड़ा दें क्योंकि आपका बहुमत है लेकिन जो सरकार उच्च न्यायालय का आदर न करे और एक के बाद एक उस उच्च न्यायालय की आज्ञाओं का उल्लंघन करे यह एक कलंक की बात है। इस तरह से आप अधिनायकवाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि निरन्तर इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि कोई विरोधी पार्टी कार्य न कर सके। इसके एक नहीं कई अनुभव हुए हैं कि जब गलत तरीके से अध्यक्ष को बाहर निकाल दिया जाता है और अध्यक्ष को परेशान किया जाता है तो वहां के जो कर्मचारी हैं वे यह समझते हैं कि सरकार इन अध्यक्षों को काम नहीं करने देना चाहती है और इस तरह उनका सहयोग प्राप्त नहीं होता है जिसके कारण आज सारी नगरपालिकाओं का काम एक प्रकार से बिगड़ता चला जा रहा है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आप लोकतांत्रिक शासन और जनतंत्रवाद का ढिंढोरा पीटते हैं तो क्या यही इंसाफ है कि स्थानीय निकायों और नगरपालिकाओं में अगर दूसरी पार्टियों के आदमी आ जायं तो आप उनको फूटी आंखों न देख सकें। आप प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह यह अध्यक्ष निकाला जाय और वहां पर दलगत स्वार्थों और पक्षपातपूर्ण नीति से उनके खिलाफ कदम उठाया जाय। यह तो एक ऐसी बात है कि कोई भी सरकार होती और किसी देश में होती तो शायद उसको सोचना पड़ता कि किसी उच्च न्यायालय ने जहां हम पर आक्षेप लगाया है, और वह भी ऐसे मंत्री पर जो कानून को भली भांति जानते हैं तो उन्हें जानना चाहिये था कि हमको दूसरा कदम उठाना चाहिये। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह कम से कम भविष्य में लोगों को आश्वासन दें कि स्वशासन में कोई इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जायगा।

अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि लोकल सेल्फ इंजीनियरिंग विभाग की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक अध्यक्ष के नाते से यह कह सकता हूं कि उनको इसका कोई अनुभव नहीं है,

जितना भी कार्य आज हो रहा है, जितना भी कार्य वाटरवर्क्स का, नालियां वगैरह बनाने का हम लोग कर पाते हैं, उसमें उस डिपार्टमेंट ने जितनी सहायता की है, और जितनी जल्दी में उन्होंने काम किया है, हमारी दिक्कतें जितनी जल्दी सुलझ जाती हैं, उसका श्रेय इस विभाग को ही है। इसलिये इस विभाग का होना बहुत आवश्यक है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृत की एक कहावत है—

"भयं लज्जां परित्यज्य त्रैलोक्यं विजयी भवेत्"

भय और लज्जा को आदमी छोड़ दे तो वह तीनों लोकों को जीत ले। यहां साफ साफ यह देखने को मिलता है। हमारे पूर्व वक्ता ने अच्छा हुआ यह प्रश्न छोड़ दिया और वह स्वयं जाल में फंस गये। मिर्जापुर नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में जिन सज्जन की हिमायत वे कर रहे हैं मैं बताऊं कि उन सज्जन ने क्या किया है और यदि वह उनके दल की तरफ से हैं तो इस दल की भी क्या नीति है वह भी साबित होती है। उनके कारनामे इस तरह के हैं कि उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया, वे जन संघ की ओर से चेयरमैन हैं। दो वोट से वह गिर रहे थे। उनके ऊपर आक्षेप है कि उन्होंने एक सदस्य को अपने दवाखाने में बुलाया और उसको बेहोश कर के कमरे में बन्द कर दिया। एक दूसरे सदस्य को, डाक्टर को, रात को ग्यारह बजे मरीज के नाम पर बुलाया और हमला कर के गिरा दिया, छुरी और गड़ांसा दिखा कर जीप में मुंह में लत्ता ठूंस कर उठा ले गये और कमरे में बन्द किया। पांच दिन तक वह बन्द कर रखे गये। जब वोट खत्म हो गया उनको अपने कारागार से मुक्त किया। ये उनके कारनामे हैं। इस तरह से वह कार्य कर रहे हैं। वक्ता महोदय ने शिकायत की कि इस सरकार ने उनको हटा दिया तो ऐसे आदमी को हटाया न जाय तो क्या वहां पर रहने दिया जाय? जो गुन्डागीरी कर रहा है, जो अपहरण कर रहा है, लोगों को कमरे में बन्द कर देता है, उसको हटा कर सरकार ने उचित कदम उठाया। अब वह कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तीन मरतबे हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया और वहां से बरी होते आ रहे हैं। यह क्या साबित करता है? यह तो यही साबित करता है कि जिस मंत्री की वह शिकायत कर रहे हैं, उसी मंत्री के दूसरे विभाग की वह सराहना करते हैं कि उनका न्याय विभाग इतना स्वतंत्र है। स्वायत्त शासन मंत्री जी ने एक चेयरमैन को हटाया लेकिन उन्हीं का न्याय विभाग उनके हाथ बांध देता है, यह क्या साबित करता है? यही न कि हमारा न्याय विभाग कितना स्वतंत्र है। वह जो शिकायत करना चाहते हैं वही हमारे लिये सराहना की बात हो जाती है।

मैं उनके कारनामे और बताऊं। चार लाख रुपये सरकार ने दिये कि पानी को डिस्टिलेशन किया जाय। उन्होंने अपनी गद्दी बनाये रखने के लिये, चीप पापुलरिटी हासिल करने के लिये, रुपया वापस कर दिया, क्योंकि वहां पर टैक्स लगाना पड़ता। आज मेरे साथ चलिये, मिरजापुर नगर के निवासी एक-एक बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं। गड्ढा खोद कर पानी पी रहे हैं। जहां पर इतनी दिक्कत है, वहां डबल पाइप लाइन लगायी गई। टांडा रिजर्वायर को ऊंचा करके क्षमता बढ़ायी गयी, पर फिर भी पानी की दिक्कत है। मैं अपने पूर्व वक्ता को चुनौती देता हूं कि एक दिन को खाली वह मिरजापुर को चले जायं, तो वहां इतने मच्छर हैं कि अगर उनको चारपाई से बांध करके रखा जाय तो शायद मच्छर उठा ले जायं। वहां नालियाँ बदबू कर रही हैं। चेयरमैन कुछ भी नहीं देखते। केवल कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं व दांवपेंच कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि इसी प्रकार की अगर वह डेमोक्रेसी चलायेंगे तो एक म्युनिसिपल बोर्ड में तो उनका यह रवइया है अगर कहीं सारे प्रान्त का या देश का शासन मिल गया तो भगवान जाने हम लोग बचेंगे या नहीं बचेंगे। यह उनकी हालत है टैक्स नहीं लगाते। इतनी गंदगी है कि मेहतरानियां नाली में मैला फेंक देती हैं सारे शहर में गंदगी है। न वहां

[श्री ब्रजभूषण मिश्र]

रोशनी का समुचित प्रबन्ध है। सड़कें नष्ट हो रही हैं। वह हजरत मुकदमेबाजी में पड़े हुये हैं। तो वहां के म्युनिसिपल बोर्ड की यह हालत है। तिस पर बन्दा महोदय उनकी हिमायत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जनसंघ का चेयरमैन डेमोक्रेसी को चुनौती दे रहा है और यह हमारे मिर्जापुर के नागरिकों के लिये एक कलंक सा है और हमारा मस्तिक लज्जा के मारे झुक जाता है। आपने और कई जगह का नाम लिया कि फलां-फलां जगह के जनसंघ के चेयरमैन हैं। तो मैं समझता हूं कि सभी जगह उनका ऐसा ही रवैया होगा। हांडी का एक ही चावल टोया जाता है अगर सरकार पीछे पड़ी हुई है तो गन्दगी की सफ़ाई करने के लिये पड़ी हुई है, और होना भी चाहिये। जिस तरह से उन्होंने आदमियों को किडनैप कर लिया, उसी तरह अगर सरकार चाहती तो उनको भी किडनैप करा सकती थी लेकिन सरकार कानूनी लड़ाई लड़ रही है।

अब दो, एक बात मुझे अपने यहां के बारे में कहना है। वह यह है कि हमारे यहां चुनार में पानी की शिकायत है सन् १९५० से फ़ाइल चल रही है और मंत्री जी कहते हैं कि एल० एस० जी० डिपार्टमेंट को फुर्सत नहीं रहती तो मैं कहूंगा कि आप उस स्कीम को नहर विभाग के सुपुर्द कर दें वह जल्दी कर देगा क्यों कि वहां तो पानी चाहिये। खरा पानी पीना पड़ रहा है जब कि गंगा और जरगो दो-दो नदियां वहां बहती हैं। अहरौरा बाजार की हालत यह है कि अहरौरा के पानी से एक ओर हम बनारस जिले को मिर्जापुर जिले को सींच रहे हैं दूसरी ओर अहरौरा के निवासी पानी पीने को तरस रहे हैं। उनके दरवाजे पर बह रहा है। विन्ध्याचल में नलकूप बना कर के पानी की व्यवस्था कर दी गई लेकिन जो पाइप लगाये गये उनका पानी सड़कों व गड़हयों में बहता है। पानी का आराम जरूर हुआ लेकिन गन्दगी ज्यादा बढ़ गई है। वहां नालियां बननी चाहियें। इस वास्ते मैं चाहूंगा कि मंत्री जी का ध्यान इस तरफ होना चाहिये। हमारे यहां का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सन् १९५१–५२ से जब्त है उस समय वहां पर अनाचार था, बुराई थी और मंत्री जी से निवेदन किया गया और उन्होंने जब्त किया। लेकिन हमने अनन्तकाल के लिये जब्त करने के लिये नहीं कहा था। तो मैं कहूंगा कि अब वहां पर या तो चुनाव किया जाय या कोई ऐसी कमेटी बनायी जाय जो ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके ऊपर निगाह रख सके।

टाउन प्लानिंग के बारे में कहा गया, जो लो हाउसिंग लोन स्कीम निकली है इस सम्बन्ध में कहूंगा कि तमाम काम बड़ा त्रुटिपूर्ण है और विलम्बकारी है। अप्रैल और मई में दरख्वास्त दी गई लेकिन अभी तक रुपया नहीं मिल सका उस में कई टेक्नीकलिटीज़ हैं जिससे रुपया आसानी से नहीं मिल सका। इस वास्ते उस में ऐसी कार्यवाही की जाय जिससे रुपया जल्दी और आसानी से मिल सके और सरकार जिस इरादे से रुपया देना चाहती है वह लक्ष्य पूरा हो। बस इतना ही मुझे कहना है।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट इस वक्त और जो मांग इस वक्त इस सदन के सामने पेश है उस में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उस के बारे में कुछ सफाई दें। लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के खर्चे में लगातार कमी होते जाना कुछ बहुत अच्छी चीज मुझे नहीं मालूम होती। एक-एक करके जितनी मांगें इसमें दी हुई हैं उनकी रकम कम होती जा रही है। पहले ग्रान्ट इन ऐड फार सिविल वर्क्स टु म्युनिसिपल बोर्ड्स में सन् १९५४–५५ में ३ लाख ८३ हजार ५०० रु० था, १९५५–५६ में कुछ नहीं, १९५६–५७ में कुछ नहीं। इस हद तक म्युनिसिपल बोर्ड्स को अगर सिविल के लिये उतना रुपया नहीं मिलेगा तो म्युनिसिपल बोर्ड्स के काम करने में कमी हो जायगी।

दूसरे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लिये पारसाल १९५५–५६ में रिवाइज्ड एस्टीमेंट्स में २ लाख ६० हजार रुपया था। अब सिर्फ १० हजार रुपया रह गया है। जो यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं पांच, चार इम्प्रूवमंट ट्रस्ट और एक डेवलपमेंट बोर्ड, उनके लिये १० हजार रुपया कहां तक काफी होगा जब कि इसके पहले साल २ लाख ६० हजार रुपया था, यह भी देखने की बात है।

श्री सैयद अली जहीर--यह शायद आप गलत पढ़ रहे हैं। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट-नानरेकरिंग में कुछ नहीं है और न था। यह "अदर्स" में है।

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां। "अदर्स" में है। जो २ लाख ६० हजार था वह इस साल दस हजार रह गया है। फिर एक चीज आती है कि ग्रान्ट्स टु डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आफ सरप्लस रिसीट्स आफ फेरीज। फेरीज का प्रबन्ध जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सुपुर्द है उस में बचत होती है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को मिला करती थी। दो साल पहले वह १ लाख ८१ हजार २४० था ऐ चुअल्स। अब १ लाख रह गया है यानी इसका मतलब यह हो सकता है कि या तो फेरीज की आमदनी कम हो गई है या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का खर्चा बढ़ गया है जिससे १ लाख ८१ हजार में से सिर्फ १ लाख करीब-करीब आधा रह गया है। अगर फ़ेरीज की आमदनी कम हो गई है, तब तो मुझे कुछ कहना नहीं लेकिन अगर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट में इतना बढ़ जाय कि जो आमदनी है वह आधी रह जाय तो यह देखने की बात है और मैं चाहता हूं कि इस पर सरकार गौर कर ले। फिर एग्जीक्यूशन आफ ड्रेनेज ऐंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिये दो साल पहले साढ़े सात लाख ग्रान्ट्स मिला करती थीं, वह पिछले साल भी कुछ भी नहीं रहीं और इस साल भी कुछ नहीं है। ड्रेनेज एक ऐसी चीज है जिससे आमदनी नहीं होती और ड्रेनेज में जो कुछ लागत लगायी जाती है उसे अदा करना मुश्किल होता है और यह ड्रेनेज एक बहुत बड़े खर्चे की चीज हो गई है। तो उसके लिये अगर थोड़ी सी ग्रान्ट्स इन एड हो तो बहुत अच्छा रहता है नहीं तो म्युनिसिपल बोर्ड्स जो अपना खर्च पहले से ही आसानी से नहीं चला सकते उनको ड्रेनेज भी बनाना पड़े तो वह कहां से बना सकते हैं? वाटर वर्क्स तेजी से बनें इसकी मुझे खुशी है लेकिन जहां वाटर वर्क्स हैं और ड्रेनेज नहीं हैं तो वहां की हालत और भी खराब हो जाती है, उस शहर के लिये और भी मुसीबत हो जाती है और ड्रेनेज के लिये सिर्फ लोन से रुपया खर्च करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उन लोन्स का लौटाना उनके लिये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिये उसमें जो ग्रान्ट्स की रकम थी वह बहुत ही उचित थी और पिछले दो सालों से नहीं है वह बहुत ही गलत चीज है। रिपेयर्स आफ रोड्स ऐण्ड बिल्डिंग्स के लिये भी १९५४-५५ में ५ लाख रुपया था। वह इन दो सालों में न है और न आगे होगा। इससे मेरा अन्दाज है कि जो कुछ नुक्सान होगा वह दूसरी तरफ से आ जायगा, सप्लीमेण्ट्री में आ जायगा। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत रकम होती तो ज्यादा अच्छा था। सब से बड़ी जो बात मुझे कहनी है वह यह है कि १९५४-५५ में २० लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रोड्स को ग्रान्ट के लिये था। उसके बाद शायद उस वक्त की गवर्नमेंट का यह खयाल था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रोड्स को बहुत ज्यादा तरजीह देना चाहिये और उनको दुरुस्त करना चाहिये।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रोड पर जितने आदमी चलते हैं वह कम नहीं हैं, उन रोड्स से जो कि गवर्नमेंट की यानी पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कें हैं या नेशनल हाईवेज हैं। काफी सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। इतनी खराब कि आफिसर्स अपनी कार लेकर जा नहीं सकते इस डर से कि कहीं कार टूट न जाय। इसलिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रोड्स का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। मेरा खयाल है कि टीचर्स की तनख्वाह देने के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सामने अगर कोई सबसे बड़ा सवाल है तो वह उनकी रोड्स का है। दो साल पहले खयाल यह था कि ३० लाख रुपया केन्द्र से मिलेगा और ३० लाख रुपया यहां से देने का विचार था, २० लाख बजट में था उस वक्त और कोशिश यह थी उस वक्त की गवर्नमेंट की कि अगर २०

[श्री मोहनलाल गौतम]

लाख रुपया और मिल जाय तो एक करोड़ रुपया, दो-दो लाख करके सब बोर्ड्स को बांट दिया जाय तो कुछ सड़कों की हालत दुरुस्त हो जाय। वह २० लाख रुपया दो साल पहले था, आज कुछ भी नहीं है। कल जो अनुदान था जिसमें आठ दस करोड़ रुपया पिछले दो सालों में दिया है वह सिर्फ उन सड़कों के लिये जो पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कें हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों के लिये दो साल पहले २० लाख रुपया था, इस साल कुछ नहीं है। तो उन सड़कों की क्या हालत होगी, यह समझा जा सकता है। यह बहुत जरूरी चीज है और मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों का खयाल गवर्नमेंट को कम नहीं करना चाहिये, उतना ही करना चाहिये जितना कि और सड़कों का है। यह बटवारा नहीं हो सकता कि पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कें हमारी चीज हैं, हम उनको टार्ड बना दें और सीमेंटेड बना दें और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कें सौतेला लड़का है। इसलिये जब कि गवर्नमेंट एक है, जनता एक है, सहूलियतें एक हैं और जिन सड़कों पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जनता चलती है उनको वही कष्ट होता है जो कि उन सड़कों के अच्छे होने की वजह से सहूलियत होती है, इसलिये उन सड़कों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। पिछले दो साल में, करेंट ईयर में और आगे आने वाले साल में एक पैसा भी इस मद में नहीं दिया गया है। होगा तो कहीं और पड़ा होगा, बहरहाल इसमें नहीं है। कहां तो यह कोशिश थी कि एक करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों के लिये दिया जाय, हर एक जिले को दो लाख के करीब दे दिया जाय और वह जिला अपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कें ठीक करे और कहां हम देखते हैं कि सन् १९५४-५५ में २० लाख रुपया था वह भी इस साल नहीं रहा और न अगले साल कोई रकम होगी। मैं समझता हूं कि इस तरफ जरूर ध्यान दिया जाय और अगर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कें नहीं ठीक कर पायेगी तो जनता को वह सहूलियतें जो देना चाहती है नहीं दे पायेगी।

एक लफ्ज और है। यहां पर लोकल सेल्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में कहा गया। मेरा जाती तजुर्बा है कि अगर यह डिपार्टमेंट नहीं होता तो जितनी तेजी से यह काम हुआ है वह नहीं हो सकता था। मैं विस्तार में तो नहीं जा सकता, एक बात साफ कह सकता हूं और वह अथारिटी के साथ, कि अगर यह डिपार्टमेंट न होता तो जितने वाटरवर्क्स ,आज सूबे में हैं वह नहीं हो सकते थे। अंग्रेजी गवर्नमेंट अपने डेढ़ सौ वर्ष के जमाने में सिर्फ २७ वाटर वर्क्स छोड़ कर गयी और यहां एक साल में ही ३१ वाटर वर्क्स बन जाना छोटा रिकार्ड नहीं है। उसमें खराबियां हों तो उनको दूर कीजिये। इंजीनियर्स अच्छे हों, बुरे हों, वह दूसरी बात है लेकिन जहां तक मेरा जाती तजुर्बा है। मुझे तो उस में कोई शिकायत खास नहीं दिखाई दी।

इन शब्दों के साथ में गवर्नमेंट का ध्यान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रोड्स की तरफ दिलाना चाहता हूं कि उस तरफ जरूर कुछ न कुछ रुपया रखा जाय।

*श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष जी, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय मल्ल जी ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। श्रीमन्, इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मुझे माननीय मंत्री जी से आप के द्वारा कुछ बातें कहनी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि क्या पांच नगर पालिकाओं का चुनाव न कराना कोई न्याय संगत बात है? क्या यह सही है कि इनका चुनाव न कराना यह सरकार की ईमानदारी जाहिर करता है? आखिर किस कारण से सरकार इनके चुनाव टालती चली जा रही है? जहां तक मेरा संबंध है, मैं प्रयाग का रहने वाला हूं। इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव ११ वर्ष से नहीं हुआ और सदैव यह कह कर टाला गया कि यहां कार्पोरेशन बन जायगा। परन्तु आज तक वहां न कार्पोरेशन बना और न उसका बिल आया। बिल आया तो इस महीने में ही सदन के सामने पेश हुआ, पता नहीं यह चुनाव कब तक होगा या नहीं होगा। सरकार जानती है कि इन ५ कबाल टाऊंस का इलेक्शन क्यों नहीं कराया जाय, क्योंकि सरकार को पता है कि इन जगहों का चुनाव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कराने में सरकार को पता चल जायगा कि वह किस स्थान पर है। सीधी सी बात है, जिस जगह पर सरकार ने चुनाव कराया वहां पर सरकार को इस बात का पता चला कि सरकार का प्रबन्ध किस प्रकार का है। जहां तक इलाहाबाद नगर का सवाल है चुंगी वापसी का मामला हमेशा सरकार के सामने आता रहा और सरकार हमेशा उसको टालती रही। चुंगी विभाग में वहां के अधिकारी किस प्रकार की धोकेबाजी और बेईमानी जनता के साथ करते हैं। इसके कई मामले हमारे प्रयाग में चलाये गये। मैं सरकार से इसके बाद अनुरोध करता हूं रिक्शा लाइसेंस की जो प्रथा इस प्रान्त में है उसको बन्द किया क्योंकि रिक्शा चलाने वाले वही लोग हैं जिनको और कोई रोजगार नहीं मिलता है और रिक्शा चलाने से कितनी मौतें हुआ करती हैं यह भी आपको मालूम है। इसके अतिरिक्त जहां पर प्रशासकों की नियुक्तियां हुई हैं वहां का प्रबन्ध दिन प्रति दिन बिगड़ता जा रहा है। जहां तक इलाहाबाद की सड़कों की बात है उनकी बुरी दशा हो रही है, सफाई की बुरी दशा है। मैं सरकार से कहूंगा कि वहां के प्रशासक शीघ्र से शीघ्र हटा करके या तो वहां के पुराने चुने हुये मेम्बरों या वहां के पांच आदमियों का बोर्ड बना दिया जाय। इसके पश्चात् वहां मेडिकल कालेज की स्थापना के लिये सरकार से बराबर कहा गया। लेकिन सरकार बराबर इधर-उधर की बातें करके टालती रही है। और शहरों में और कानपुर में मेडिकल कालेज के लिये आज्ञा दे कर उसने इलाहाबाद के साथ अन्याय किया है। मैं चाहूंगा कि इलाहाबाद में एक मेडिकल कालेज की स्थापना शीघ्र से शीघ्र हो।

वहां के इम्प्रूवमेंट की दशा बहुत खराब है। स्कीमें अधूरी पड़ी हुई हैं और जिन पर काम भी होता है वह ठीक से न होने के कारण बेकार हो जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार उन कामों को पूरा कराये जो अधूरे पड़े हुये हैं।

श्रीमन्, जब से इलाहाबाद में प्रशासक आये हैं टेक्सों की भरमार होती जा रही है। उन जगहों और चीजों पर भी टैक्स लगाया गया है जिन पर कभी टैक्स नहीं था। हमारे प्रयाग की दशा बहुत शोचनीय है। जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रद्धेय टंडन जी जैसे प्रेसीडेंट थे उस बोर्ड को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में करके जनता की सहानुभूति ग्रहण की उसके लिये मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई क्या दूं। अगर सरकार इसी प्रकार के कार्य करती रहेगी तो बहुत जल्दी ही उसको पता चल जायेगा कि वास्तविकता क्या है? मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वहां के म्युनिसिपल कर्मचारी संघ की ओर से जो मांगें आपके विचारार्थ आई हैं उस पर विचार कर लीजिये।

श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ग्रांट रखी गयी है उसके सम्बन्ध में कतिपय सदस्यों ने कुछ बातें कही हैं। मैं भी एक जिला बोर्ड से सम्बन्ध रखता हूं उसके सम्बन्ध में बहुत सी बातें यहां बतलाऊंगा। मैं आजमगढ़ जिला बोर्ड का सीनियर वाइस प्रेसीडेंट हूं और कई वर्षों से देख रहा हूं कि बोर्डों के सामने निर्माण सम्बन्धी कैसी विकट समस्यायें हैं। उनको कोई धन नहीं मिलता है, तरह-तरह की परेशानियां हैं। जिला बोर्ड आजमगढ़ हर साल करीब-करीब २२ लाख रुपया खर्च करता है। उसमें जो सरकारी अनुदानें मिलती हैं हम लोगों को निर्माण विभाग में केवल डेढ़ लाख रुपया मिल पाया है। उसमें भवनों का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है और छोटी-मोटी मरम्मतों का काम है। नतीजा यह होता है कि सड़कें इतनी खराब हैं कि जहां पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क पर २०, २५, ३० मील प्रति घंटा की रफ्तार से कारें चलाई जा सकती हैं वहां बोर्ड की सड़कों पर तो कहीं-कहीं ऐसा होता है कि ५ मील की रफ्तार से भी नहीं चलायी जा सकती हैं। जब किसी ऐसी सड़क को लोग देखते हैं तो तब वे कह उठते हैं कि "यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क है"। उसका साफ मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कें इतनी खराब हैं कि अब उनकी निन्दा और ज्यादा शब्दों में करके इतना ही कहते हैं कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क है।

[श्री तेजबहादुर]

अभी मेरे पूर्व मोहनलाल जी ने तमाम बातें बतायीं। उन्होंने बताया कि बहुत सी ग्रांट्स कम की जा रही हैं। इधर कई वर्षों से बाढ़ आ रही है जिसके कारण सड़कों की हालत बहुत खराब हो गयी है और आजमगढ़ की सड़कों की तो यह हालत है कि अगर आप आजमगढ़ सदर से गाजीपुर की ओर चलें तो जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क है वह आज भी ठीक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास इतनी ताकत नहीं है कि उस सड़क को ठीक करा सके और सरकार से यदि हमें सहायता नहीं मिलेगी तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड समर्थ नहीं है। मैं यह देख रहा हूं कि बाढ़ के कारण मदद के लिये जो रुपया दिया जाता था वह इस साल नहीं दिया जा रहा है, जब कि आजमगढ़ में बाढ़ का इतना प्रकोप रहा जैसा पहले कभी नहीं हुआ।

मैं और म्युनिसिपैलटियों की हालत तो नहीं जानता लेकिन हमारे आजमगढ़ की म्यूनिसिलिटी की यह हालत है कि गर्मी के दिनों में आपको नाक बन्द करके चलना पड़ता है, नालियों की हालत इतनी खराब है।

एक सदस्य--क्या वह भी जन संघी हैं?

श्री तेजबहादुर--न कम्यूनिस्ट हैं न जनसंघी। इत्तफाक से वह आपकी बिरादरी के ही प्रेसीडेंट हैं। मगर वह किसी भी बिरादरी का प्रेसीडेंट हो सब के सामने एक ही दिक्कत है। पैसा है नहीं, कर लगाने की हिम्मत नहीं है अगर वह फिर प्रेसीडेंट होना चाहता है। वह तो इतना कमजोर होता है कि उससे कहीं मजबूत तो एक वेतन भोगी नौकर आपका है। इसलिए सरकार का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि नालियों और सड़कों को बनाने के सम्बन्ध में वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के प्रति ज्यादा से ज्यादा उदार हों।

*श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद)--श्रीमन्, कटौती का जो प्रस्ताव पेश है मैं उसकी मुखालिफत में खड़ा हुआ हूं। मेम्बर साहबान ने, जिन्होंने इस कटौती के प्रस्ताव की ताईद की और यह कहा है कि हमारे मंत्री जी ने हाई कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सिलसिले में रूलिंग को वह वकत नहीं दी जो उन्हें देनी चाहिये थी। मैं यह अर्ज करूंगा कि ऐसी शिकायत करते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि किन हालात और किन वाकयात में ये पिछले इलेक्शन्स हुये हैं। मेम्बरान को मालूम है कि बड़ी-बड़ी तब्दीलियां खासतौर से पिछले कानून में की गयीं। मसलन यह कि पहले सेपरेट इलेक्टोरेट था अब ज्वाइण्ट इलेक्टोरेट हुआ और सब से बड़ी चीज यह कि एडल्ट फ्रेन्चाइज की रू से इलेक्शन्स हुये हैं। तो नया कानून बनने के बाद ऐसी बहुत सी चीजें जो पिछले कानून में नहीं थीं हुयीं। हर शख्स को यह हक हासिल है कि वह कानून से फायदा उठाने की कोशिश करे और कानून को अपनी तरफ ला करके अदालत में चाराजोई करे। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि ऐसे कानून बनने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हाई कोर्ट में पहुंचेंगे और यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई रोक नहीं सकता। यह कहा गया कि गवर्नमेंट ने खुद ऐसे मुकद्दमात में अपील की जो उसे नहीं करना चाहिये हाई कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ। तो मैं निहायत अदब के साथ यह भी अर्ज करूंगा कि यह गवर्नमेंट का फर्ज था। एक कानून के बनने के बाद गवर्नमेंट के लिये यह जरूरी हो जाता है कि वह यह देखे कि जो कानून बना है और जो एक कोर्ट ने राय दी है उसको आखिरी हद्द तक ले जाना चाहिये ताकि मामले की सफाई हो सके और गवर्नमेंट भी आइंदा के लिये अपने कानून को मुनासिब तरतीब दे सके। तो मैं समझता हूं कि यह उनका फर्ज था कि वह इस मामले में अपील करते और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते ताकि कानून का मामला साफ हो जाता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के मातहत गवर्नमेंट को कम से कम इंटर फियरेंस करना चाहिये, कम से कम मदाखलत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के ऐडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहिये। लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह समझ कर कि इलेक्शन के बाद यह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मातहत आते हैं इसलिये हमें अखतियार है कि हम अपनी म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को जिस तरह से चाहें चलायें। इससे नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की यह पालिसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये मुजिर होगी। मुझे मालूम है कि बाज बोर्ड्स ऐसे हैं जिनकी फायनेंशियल हालत खास तरीके से खराब हो चुकी है और मुझे अपने यहां के अमरोहे का तजुर्बा है। जहां तक आपस की पार्टीबंदी का ताल्लुक है वह और जगह भी हों इसका कोई ताज्जुब नहीं है। लेकिन बाज बोर्ड्स ने तो ऐसा किया है कि उन्होंने अपनी चेयरमैनी के जमाने में उन बोर्ड्स के मुलाजमीन को जिन्होंने उनकी पार्टी के खिलाफ वोट्स दिये थे उनके खिलाफ नाजायज कार्रवाई की है और बहुत से मामलों में तो मुलाजमीन को अलग कर दिया गया है। जो हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं और उसके अहकाम के बाद भी उन्होंने तामील नहीं की। मैं निहायत अदब के साथ मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि ऐसे मामलों में वह खास तौर से तवज्जुह करें और देखें कि जो यह गलत और नामुनासिब चीजें हो रही हैं और जो मामले सालों से पेंडिंग पड़े हुये हैं उनको जल्द से जल्द तय किया जाय ताकि म्युनिसिपैलटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मुलाजमीन अपनी मुस्तकबली को ध्यान में रख कर तय करें कि उन्हें कहां रहना चाहिये। यह बड़े अचम्भे की बात है कि मुलाजमीन के खिलाफ ऐसी नाजायज कार्रवाई की जा रही है हालांकि उनका कोई कसूर नहीं है। मुझे अर्ज करना है कि यह जरूर है कि अब काफी कोशिश की जा रही है कि जल्दी हो लेकिन फिर भी ताखीर हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी हिदायत करेंगे कि इन अपीलों की तरफ जल्द तवज्जुह की जाय। मैं अर्ज करूंगा कि जिन म्युनिसिपैलिटीज की हालत खराब हो चुकी है उनके लिये डी० एम० और कमिश्नर को पूरी ताकत दी जाय और वह उनकी हालत देख कर गवर्नमेंट को रिपोर्ट दें और गवर्नमेंट उन पर काफी ध्यान देगी।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)––मान्यवर, इस अनुदान के सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करते हुये आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा और मैं समझता हूं कि मंत्री जी इधर ध्यान देंगे। जो पुस्तिका हमारे बीच में वितरित की गई है उसका अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के द्वारा जो स्कूल चलाये जाते हैं उनकी प्रान्त में लड़कों के स्कूलों की संख्या २५,९२४ है और लड़कियों के स्कूलों की संख्या १,९७८ है और जिन लड़कों के स्कूलों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से सहायता प्राप्त है उनकी संख्या १,७६५ है और जो लड़कियों के इंस्टीटयूशन्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की सहायता से चलाये जा रहे हैं उनकी संख्या केवल १३५ है। मैं सिर्फ उनसे यह निवेदन करूंगा कि अपने देश में और खास तौर से अपने राज्य में स्त्रियों की शिक्षा को देखते हुये जिनका प्रतिशत ३.५ है तो फिर क्या हमारे लिये आवश्यकता नहीं है कि हम उनके विकास के हेतु नगरों में जहां पानी की तरह रुपया हम बहाते चले जा रहे हैं, वहां उनकी पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान दें। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि आज के इस प्रजातांत्रिक युग में जब प्रजातन्त्र के विकास के लिये हर व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है, क्या एक स्त्री इस राज्य की पूर्ण नागरिक कही जा सकती है? और क्या वह नागरिकता की अधिकारी हो सकती है? शहरों में जहां शिक्षा का विकास आवश्यक है और सरकार भी इसका पूरा ध्यान रखती है, आज उनकी शिक्षा की व्यवस्था

[श्री रामेश्वर लाल]

इसी तरह की है जो नहीं के बराबर है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि नगरपालिकाओं को इस प्रकार के आदेश दिये जाने चाहिये कि जहां लड़कों की शिक्षा की तरफ उनका ध्यान है, वहां बालिकाओं की शिक्षा की तरफ भी वह पूरा ध्यान दें।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि आज डिप्टी इंस्पेक्टर्स आफ स्कूल्स पुरानी परिपाटी पर ही चल रहे हैं, जो कि अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी। उसी आधार पर आज वह काम कर रहे हैं। वह आज स्कूलों में जाकर अध्यापकों के पैसे पर खाते हैं और सलामी लेते हैं। उनको टेण्ट मिला करते हैं और अगर वह टेण्ट नहीं है तो वह टेण्ट का किराया लेते हैं। हालत यह है कि आज टेण्ट के नाम पर किराया ले लेते हैं लेकिन टेण्ट उनके पास नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसकी जांच करायें कि क्या उनके पास टेण्ट हैं कि जिसका किराया वह वसूल करते हैं ?

दवाओं के सम्बन्ध में मैंने देखा कि आज अपने प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पास ५२३ औषधालय हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही कम हैं और जहां यह दिखलाया गया है कि उनके द्वारा १ करोड़ व्यक्तियों का उपचार हुआ है यह तो मैं समझता हूं कि गलत है। मैं समझता हूं कि जिस तरह के गलत आंकड़े सरकार के पास पहुंच जाते हैं उसका ही प्रतिफल यह होता है कि माननीय मंत्री जी मजबूर होते हैं कि उन्हीं का सहारा लेकर अपना व्याख्यान यहां दें या पुस्तक लिख कर हमारे सामने पेश कर दें। मान्यवर, इन दवाखानों के सम्बन्ध में मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो दवाखाने हैं और खास कर देहातों में जो आयुर्वेद औषधालय हैं उनकी हालत बड़ी खराब है। बहुत से वैद्य केवल गोलियां बनाते हैं पत्ती आदि की और वह जनता में डिस्ट्रिब्यूट होती हैं।

म्युनिसिपल बोर्ड के टैक्सेशन के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि उसकी वसूली के तरीके में कोई अन्तर करना चाहिये। इसकी वही पुरानी परिपाटी है, वही तरीका है जो डंडेबाजी और जुल्म का तरीका था। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी, जो न्याय मंत्री भी हैं और स्वायत्त शासन मंत्री भी, इस पर विचार करें कि टैक्सेशन की वसूली के लिये कोई नया तरीका इस्तेमाल किया जाय।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान देवरिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां के लोगों ने बार-बार कहा कि वहां एक पार्क होना चाहिये। वहां एक छोटा सा पार्क भी नहीं है। इसके लिये कई बार रिप्रेजेन्टेशन्स हुए हैं और मुझे याद है कि माननीय चरणसिंह जी ने एक बार उसके लिये नकारात्मक उत्तर दिया था। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह वहां एक पार्क की पूर्ति कराने की चेष्टा करें।

देवरिया नगरपालिका के सम्बन्ध में एक और निवेदन करना है। मैं समझता हूं कि उसका जिक्र इस रिपोर्ट में भी होगा कि आज उसकी क्या हालत है। वहां के सदस्य इस्तीफा देते चले जा रहे हैं और जो पार्टी इन पावर वहां है उसके पास केवल ९ सदस्य हैं। मैं चाहूंगा कि वह अपने अधिकार से वंचित न हो जायं इसके लिये माननीय मंत्री जी को कोई न कोई उचित कदम उठाना चाहिये। इसके अलावा एक मिनट में मैं और दरख्वास्त करूंगा कि नगरों में जो नगरपालिकायें हैं उनके सर पर यदि कोई कलंक है तो वह है नगरों में वेश्यावृत्ति, रिक्शा और भिक्षा। इसके लिये माननीय मंत्री जी को सोच समझ कर कोई न कोई उचित कदम उठाना चाहिये। मैं समझता हूं कि दुनिया के अन्य देशों में जिन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्त की है इधर उनके सम्बन्ध में हम अखबारों में नित्य ही देखते हैं कि प्रायः सब ने अपने यहां

वेश्यावृत्ति का निषेध कर दिया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन नगरपालिकाओं को इस तरह का आदेश दें कि इस भारत से उस कलंक के टीके को बिना किसी विचार किए प्रतिबन्धित कर दें। हमारा भारत सारे विश्व में एक तरह से गण्यमान्य देश रहा है तो उसके माथे पर यह वेश्यावृत्ति एक कलंक का टीका है। माननीय मंत्री जी को ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे नगरों से यह कलंक उठ सके।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)––मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस अनुदान के लिये आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल––श्रीमन्, इधर इस अनुदान के लिये समय बढ़ा दिया जाय उधर उस अनुदान के लिये जितने समय की आवश्यकता होगी तो उधर बढ़ा लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष––क्या इसमें माननीय मंत्री जी को कोई एतराज है?

श्री सैयद अली जहीर––कोई ऐतराज नहीं।

श्री उपाध्यक्ष––तो इस अनुदान के लिये आध घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)––माननीय कल्याण चन्द मोहिले जी ने अभी प्रयाग के बारे में चर्चा की। वहां पर म्युनिसिपैलिटी का शासन एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा होता है। सिद्धान्ततः हम लोग कोई भी नहीं चाहते कि जनता द्वारा शासन हटाकर एडमिनिस्ट्रेटर सरकार की तरफ से नियुक्त हों। लेकिन कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की आ गयी थीं कि जिनके अन्तर्गत कबाल टाउन्स के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करना पड़ा। जहां तक शासन का प्रश्न है मैं खुद चाहता हूं कि यह व्यवस्था जल्दी से दूर हो जाय लेकिन अगर मोहिले जी का यह कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर इलाहाबाद में गड़बड़ कर रहे हैं तो मेरे खयाल में यह कहना मुनासिब नहीं है। यह हो सकता है कि म्युनिसिपैलिटी होती तो एक शहरी जिन्दगी का एक दूसरा ही ढर्रा होता और म्युनिसिपैलिटी ससपेंड हो जाती है तो उसका नागरिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। वहां तक तो मैं सहमत हूं, लेकिन इसको देखते हुये एडमिनिस्ट्रेटर जहां तक हो सकता है मुनासिब काम कर रहा है। माननीय मोहिले जी को मालूम होगा कि इस वक्त हमारे शहर के अन्दर सीवर की बहुत बड़ी स्कीम चल रही है। उसका काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो व्यक्तिगत रूप से अगर एडमिनिस्ट्रेटर के शासन पर कोई आक्षेप किया गया तो वह मेरे खयाल में सही नहीं है।

अभी शारदा बख्श सिंह जी ने कुछ मेम्बरों के निकालने की बात कही। जहां तक म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर को निकालने का प्रश्न है वह म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट के अन्दर दफा ४० में होता है। यह कहा गया कि हाईकोर्ट में रिट हुई। मुझे नहीं मालूम कि रिट किस कारण हुई? मुझे यह भी मालूम नहीं कि हाईकोर्ट में उनकी रिट किस आधार पर मंजूर हुई और किस वजह से हुई? लेकिन यह आक्षेप लगाना कि सरकार किसी के पीछे डंडा लेकर पड़ी हुई है, उनको वहां से हटाना चाहती है, यह मेरे खयाल में मुनासिब नहीं है। अभी माननीय मंत्री जी जब इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे तो सदन को भी मालूम हो जायगा कि कौन व्यक्तिगत दोषी है। जैसा कि अभी मिर्जापुर के माननीय सदस्य ने कहा कि वहां की नगरपालिका का ही दोष है। बहुत सारी बातें जो यहां पर रखी गयीं वह सदन के सामने आना उचित नहीं हैं। बहुत सारी बातें जो म्युनिसिपैलिटी की होती है वह जिन म्युनिसिपैलिटीज से संबंध रखती हैं वह वहीं के लिये मुनासिब हैं। मैं निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपल ऐक्ट के अन्तर्गत प्रांत के शासन को कुछ अधिकार दिये गये हैं, सुपरवाइजरी पावर दी गई है जो जरूरी है। यदि म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर ही अपना काम ठीक न करें और उनको जो अख्तियार दिया गया है, उस पर ठीक न चलें तो फिर सरकार को दोष देना मुनासिब नहीं है।

[श्री शिवनाथ काटजू]

यहां यह भी कहा गया कि जिन म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर कांग्रेस का बहुमत नहीं है उनके साथ विरोध होता है यह भी मुनासिब नहीं है। आज हमारे यहां बहुत सारी ऐसी म्युनिसिपैलिटीज हैं जहां कांग्रेस के सदस्यों का बहुमत नहीं है लेकिन यह सोचना कि जहां कांग्रेस है उसी के पीछे सरकार है और जहां कांग्रेस नहीं है वहां सरकार का सहयोग नहीं है, यह मुनासिब बात नहीं है। अगर आप देखें तो कबाल टाउन्स में बहुत से ऐसे शहर हैं जहां कांग्रेस के लोग चेयरमैन थे लेकिन शासन की नीति के अन्तर्गत छुरी चली तो उन पर भी चली। आज म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का काम सारे सूबे में बढ़ रहा है। शहरों की आबादी बढ़ रही है, शहरों को ऐमीनिटीज दी जा रही हैं, म्युनिसिपैलिटीज और सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। जैसा कि गौतम जी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि सरकार की तरफ से जो मदद दी जा रही है उसमें कुछ कमी हो लेकिन आज सरकार के सामने एक प्रश्न है कि कहां रुपया दिया जाय और कहां न दिया जाय। यह जरूर है कि शहरों में सड़कों की मांग है और यह एक ऐसी रकम है जिसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपैलिटीज अपने कोष से पूरा नहीं कर सकतीं। इसके साथ-साथ यह भी है कि आज जिलों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के लिये थोड़ी बहुत रकम दी जा रही है, यह नहीं है कि केवल प्राविंशियल रोड्स ही बन रही हों बल्कि उसके अन्तर्गत नयी सड़कें भी बन रही हैं।

हाउसिंग स्कीम के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा। मैं खासतौर से मेहतरों की बस्ती के बारे में माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। इसकी प्रयाग में बहुत आवश्यकता है और कई साल से इसकी मांग चली आ रही है। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि वह बहुत जल्द उसका खयाल करेगी।

अभी कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव होने चाहिये। बहुत दिनों से चुनाव नहीं हुये। हम लोग नहीं चाहते कि चुनाव रोकें। लेकिन इसमें कुछ वैधानिक बाधायें हैं और उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के नये चुनाव हो जायेंगे।

श्रीमान् जी, हमारे सामने आज म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की नयी-नयी समस्यायें हैं अब ये समस्यायें गांवों में भी फैलती जा रही हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की योजना में गांव सभायें और नोटीफाइड एरियाज भी छोटी-मोटी म्युनिसिपैलिटीज के रूप में होंगे मगर अभी इसका ठीक खाका नहीं बन पाया है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गांव सभा और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दोनों के तहत आ जाती हैं लेकिन जैसे-जैसे सरकार की नीति आगे चलती जा रही है यह समस्यायें हल होती जा रही हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में बैठे हुये मैंने विरोधी भाइयों को बोलते हुये सुना। इससे ज्यादा प्रमाण सरकार की ईमानदारी का नहीं हो सकता कि जनसंघ के मेम्बर भी यहां मौजूद हैं और वे म्युनिसिपल बोर्ड के प्रेसीडेंट भी हैं इसलिये उन्होंने जो तर्क पेश किया वह उनकी अपनी दलील से ही कट गया। म्युनिसिपल बोर्ड फैजाबाद का चेयरमैन भी जनसंघ का है, मिर्जापुर का चेयरमैन भी। लेकिन सिवाय गन्दगी और बदबू के वहां कुछ भी नहीं है। वहां की पब्लिक ने १४ पेज की शिकायत लिखकर दी है। मैं बता देना चाहता हूं कि मेम्बरों के पास मकान हैं जो किराये से चल रहे हैं और वे बीस रुपया के बजाय बारह रुपया दे रहे हैं। इससे बड़ा नमूना वे क्या पेश कर सकते हैं? हम सन् ३७ से आज तक चले आ रहे हैं। बहुत से पीरियड इस बीच से गुजरे। हिटलरिज्म का खात्मा हुआ साम्राज्यवाद का खात्मा हुआ, इजिप्ट की सरकार बदली, सब जगह परिवर्तन हुआ लेकिन हमारी सरकार आज भी मौजूद है, हम विश्वास करते हैं और जैसा कि कहा है कि 'क्षमा चाहिये बड़न को, छोटन को उत्पात' तो तुम गालियां दिये जाओ हम बरदाश्त करते हैं और यह साबित है कि हमारी सरकार सब के साथ निष्पक्षता का व्यवहार करती है, हमारी हिटलर की नीति नहीं है, हमारी शांति की नीति है, और हम सब को बराबर उन्नति का मौका देना चाहते हैं।

कोई गाली भी देता है तो हम बरदाश्त करते हैं, हाथी अपने रास्ते जाता है कुत्ते भौं-भौं किया करते हैं। हमारे यहां बस्ती में म्युनिसिलिटी में १२ मेंम्बर इधर हैं और १२ मेंम्बर उधर, वहां के म्युनिसिपल चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया और उसको निकाल दिया गया। नालियां सड़ रही हैं और इतने मच्छर हो गये हैं कि मच्छरों का बाजार लगा हुआ है। पतली नालियां हैं, निहायत गन्दगी है और उन की सफाई नहीं होती और छोटी नालियां बन्द पड़ी रहती हैं। मैं अपने यहां के इंजीनियरिंग विभाग की शिकायत करना चाहता हूं। बस्ती में मैं मौजूद था और वहां के चेयरमैन और इंजीनियर में कुछ खटपट हो गई बस इतने पर ही सारे शहर का पानी ३ दिन तक बन्द कर दिया गया और जनता त्राहिमान-त्राहिमान करने लगी। मैंने टेलीफोन भी किया तो मालूम हुआ कि उनकी आपस की खटपट का यह नतीजा है। मैं तो चाहता हूं कि बस्ती की म्युनिसिपैलिटी इन हालतों में जब्त कर ली जाय और वहां चुनाव करा दिये जायं तो हम उनको दिखा देंगे कि अबकी बार कौन किस को हरा सकता है।

जहां तक रिट का सवाल है हमारे यहां का न्याय बहुत उत्तम है और यह तो इस बात का सबूत है कि हमारे यहां सबको बराबर न्याय मिलता है और हमने जनतंत्र में सब को न्याय पाने का अवसर दिया है, हमारे यहां न्याय की ईमानदारी है और यह सर्वश्रेष्ठ बात है। आप जनता से सम्पर्क कीजिये, "गो टु दि मासेज एन्ड ट्रेन दि मासेज" जनता आपका साथ देगी यही जनतंत्र का उसूल है। हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत वाकई खराब है, वहां लोगों को तीन तीन चार-चार मास तक वेतन नहीं मिलता, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नवम्बर-दिसम्बर की विद्यार्थियों की फीस माफ हुई लेकिन उनको उसका भी लाभ नहीं मिला, इससे भी वहां बहुत लोगों को परेशानी है और न अध्यापकों का वेतन ही समय से दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि तमाम सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० को दे दी जायं और इस बटवारे से काम नहीं चलता कि कभी इधर पैसा लगाया जाय कभी उधर, सब सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० के पास चली जायं।

जो हमारे यहां रिक्शापुलर्स हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिये और उनके कष्ट को दूर करना चाहिये। मैं आपको लखनऊ शहर की ही बता दूं कि यहां बरफखाने में ही ८,००० हरिजन बसते हैं, लेकिन वह भी मच्छरों की तरह रहते हैं और माननीय मंत्री जी यहीं रहते हैं कम से कम उनकी हालत भी किसी दिन जा कर देख लें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारे माननीय मंत्री जी अपनी सरकार की बड़ाई करते हैं तो वह कहते हैं कि हम सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोशिश करते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि हम अपने यहां पावर का डिसेंन्ट्रेलाइजेशन कर रहे हैं और निष्पक्ष रूप से राज्य प्रभाव के बिना सारा कार्य चलाया जाता है। मैं इस पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं समझता था लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि गोंडा म्युनिसिपैलिटी में जब तक कांग्रेस का चेयरमैन था तब तक तो वहां की म्युनिसिपैलिटी बहुत पाक-साफ थी मगर ज्योंही गोंडा से कांग्रेस का चेयरमैन हटा, अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया औ गोंडा की म्युनिसिपैलिटी सुपरसीड हो गई। अब माननीय मंत्री जी अपनी ओर से कुछ भी सफाई दें और कुछ न कुछ कारण बतला ही देंगे और श्रीमन्, आप जानते हैं कि खूनी भी अपनी सफाई हर मुकदमें में पेश करते हैं लेकिन मुझे वह सफाई नहीं चाहिये, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वे दिल से सोचें कि आम जनता क्या सोचेगी। इसी तरह से सहारनपुर के बारे में सोचें। मऊ के बारे में सोचें। आजमगढ़ में जो मऊ की म्युनिसिपैलिटी है उसकी आज क्या दुर्दशा है? कांग्रेस पार्टी के बहुत से सदस्य भी पता नहीं क्यों अपने जजबात का इजहार नहीं कर सकें। हमारी ओर से बराबर कहा जाता है कि मऊ में बड़ा घपला है। पूरी लिस्ट माननीय मंत्री जी के पास जरूर होगी और वह हमसे ज्यादा जानकारी में होंगे कि कितने म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं, कितने टाउन एरियाज हैं, कितने नोटिफाइड एरियाज हैं जहां कि कांग्रेसी

[श्री राजनारायण]

उम्मीदवारों, कांग्रेसी चैयरमैनों के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ हो पर उस प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं होने दिया जाता और अगर किसी जगह दूसरी पार्टी का चेयरमैन हो तो सरकार की ओर से सतत प्रयत्न होता है, सारे सरकारी कर्मचारी प्रयत्न करते हैं, सारी पुलिस प्रयत्न करती है। माननीय ग्रामवासी जी ने निर्जापुर के बारे में कुछ कह कर अपना दुखड़ा गाया। लेकिन बदायूं का हाल भी ऐसा ही है। अहरौरा के बारे में ग्रामवासी जी शायद जानते हों कि वहां क्या हुआ था ? अहरौरा बोर्ड के मेम्बर को पुलिस की संरक्षता में बोर्ड की मीटिंग में ले जाया गया और दो रोज उनको अपने यहां कमरे में बन्द रक्खा गया। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से निश्चित रूप से पक्षपात हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को हर प्रकार से प्रश्रय दिया जाता है और दूसरी पार्टियों पर झूठा दोषारोपण किया जाता है। आपके इसी इंजलास में श्रीमन्, रामनगर म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के संबंध में कामरेडों ने प्रस्ताव पेश किया था। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई जानकारी नहीं है, इन्क्वायरी हो रही है लेकिन दूसरे ही दिन चेयरमैन सस्पेंड कर दिया गया। हाई कोर्ट में रिट दायर किया गया और अब वह अपने चेयरमैन के पद पर सुशोभित हैं। पूरी इन्क्वायरी होने पर भी कोई पदाधिकारी उनके खिलाफ कोई चार्ज बतलाने को तैयार नहीं है। कौन सा दोष, कौन सा अपराध उन्होंने किया ? चार्ज लगाने के लिये तो पूरा-पूरा चार्ज लगा दिया। बिल्कुल अनर्गल और झूठे चार्ज पर निकाला गया।

मैं माननीय मंत्री जी से अध्यापकों की तनख्वाह पर भी कुछ कहना चाहूंगा। अध्यापकों की तनख्वाह समय पर नहीं मिलती। अध्यापकों की तनख्वाह की बात आ जाती है तो शिक्षा मंत्री बीच में आ जाया करते हैं, शिक्षा प्रेमी होने के नाते लेकिन स्वशासन मंत्री का भी फर्ज है कि अध्यापकों की तनख्वाह ठीक वक्त पर मिले। ४,५,६ और ८,८ महीने तक अध्यापकों की तनख्वाह रुकी रहती है।

रिक्शा चलाने वालों की दशा भी बड़ी दयनीय है। सरकार को ऐसा आदेश करना चाहिये कि म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से उन पर अतिरिक्त टैक्स न लगना चाहिये। रिक्शा चलाने वालों से कोई टैक्स न लेकर जो रिक्शों के मालिक हैं उनसे ही टैक्स वसूल किया जाय। फिर यह जो दो-दो टैक्स देने पड़ते हैं—अगर टाउन एरियाज की सड़क पर चलायें तो वहां का टैक्स दें और म्युनिसिपल बोर्ड की सड़क पर चलायें तो यहां का टैक्स दें तो एक ही टैक्स लिया जाय। यह जो दो शासन चल रहे हैं इसको भी खत्म करना चाहिये।

चुंगी टैक्स के लिये एक शब्द कहना है। माननीय मंत्री जी एक कमेटी बैठायें और जो चुंगी (टैक्स) है वह प्रदेश भर में कम से कम एक टैक्स हो, और नामिनल (थोड़ा) सा टैक्स लगे, वापसी का झंझट दूर हो।

*श्री सुल्तान आलम खां—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, इस सिलसिले में मुझे उस डिमांड की ताईद करनी है जो माननीय मंत्री जी ने पेश की है और जो कटमोशन आया है उसका मैं इख्तिलाफ करता हूं। इसकी वजह यह है कि जो नक्शा इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का खींचा गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं यह जानता हूं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में और दूसरे मुहकमों की तरह खामियां हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं हो सकता और इसके मुताल्लिक दो राएं नहीं हो सकतीं कि पिछले आठ साल के अन्दर इसमें काफी तरक्की हुई है। जिस वक्त माननीय मंत्री तकरीर फरमा रहे थे तो उन्होंने खुद इस बात का एतराज किया कि इस बात में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर जो रुपया खर्च हो रहा है वह एक ही हेड के अन्दर नहीं बल्कि मुख्तलिफ हेड्स के अन्दर है। मुझे जरा ताज्जुब सा होता है कि वह रुपया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ से खर्च हो और मुख्तलिफ हेड्स में हो।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या अच्छा हो कि कोई तरीका एकाउंटिंग और बजेटिंग का ऐसा बदला जाय जिसमें कुल रुपया जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर सर्फ किया जाता है वह एक ही मद में निकाल कर रख दिया जाय ताकि वजीर मुताल्लका उसकी अच्छी तरह निगरानी कर सकें और माननीय सदस्यों को भी मौका मिल सके कि वह अच्छी तरह से इस बात की जांच कर सकें कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर कितना रुपया सर्फ हुआ है। जनाबवाला, यह एक वाकया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बहुत से ऐसे कानून जिनकी जरूरत थी अब तक नहीं सामने आ पाये हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिआर्गनाइजेशन कमेटी जो कई साल हुए बैठी थी उसने कुछ सिफारिशें की थीं। उनमें से एक सिफारिश यह थी कि लोकल बाडीज की तमाम सर्विसेज को प्राविंशियलाइज किया जाय। उसने यह भी सिफारिश की थी कि एक बोर्ड बनाया जाय, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड जो कि यहां की सर्विसेज के रेक्रूटमेंट की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सके। लेकिन वह अभी तक चीज नहीं आयी। मैं माननीय मंत्री से बहुत दर्दमन्दाना तौर पर इल्तजा करूंगा कि जल्द से जल्द एक ऐसा काम्प्रीहेंसिव बिल आना चाहिए जिससे लोकल बाडीज की पावर्स डिफाइन की जायं। पंचायतें जो गांवों में काम कर रही हैं उनकी पावर्स और बोर्ड्स की पावर्स अलग-अलग डिफाइन हों। आज कल जो टैक्सेशन का तरीका है उसमें बाज वक्त बड़ी तकलीफ होती है। डबल टैक्सेशन होता है। उस टैक्स के मुकदमे मुख्तलिफ अदालतों में जाते हैं जिससे बहुत सा पब्लिक का खर्चा बेकार होता है, और परेशानी भी होती है। अगर इस बात पर गौर किया जाय कि टैक्सेशन का एक उसूल हो, उसको उनकी जरूरत के मुताबिक तकसीम किया जाय, तो उससे आसानी भी होगी और बचत भी होगी।

जनाबवाला, मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि जहां तक प्लानिंग का ताल्लुक है और जिस पर हम सब से ज्यादा जोर दे रहे हैं उसमें म्यूनिसिपल बोर्ड्स को इगनोर किया गया है। हम यह देखते हैं कि प्लानिंग के जरिये देहाती रकबे में काफी रुपया दिया जा रहा है और यह बड़ी खुशी की बात है। इस पर किसी को भी एतराज नहीं होगा। लेकिन जैसा कि खुद माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि टाउन एरिया कमेटीज की एक अजीब हालत है, न वह म्यूनिसिपैलिटीज में हैं और न रूरल एरियाज में हैं। मैं अर्ज करूंगा कि म्यूनिसिपैलिटीज को भी वह रुपया मिलना चाहिए। यह सही है कि मुख्तलिफ मदों में म्यूनिसिपैलिटीज को रुपया मिलता है। लेकिन उनकी जरूरतें बड़ी हैं। लेकिन इसके बावजूद कि मुख्तलिफ मदों से डिस्ट्रिक्टबोर्ड को रुपया दिया जाता है, देहात जो उसका दायरा है उसे प्लानिंग के जरिये रुपया मिलता है और जब कि हमने यह भी रखा है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन होता है। तो कोई मानी नहीं होते कि म्यूनिसिपल बोर्ड को प्लानिंग से रुपया न दिया जाय। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त बहुत ओवरडयू हो गया है। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो जाय तो मैंने जैसा कि अर्ज किया, एक तो यह होगा कि लोकल बाडीज की पावर्स डिफाइन हो जायंगी बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतों की। मुझे यकीन है कि माननीय मंत्री, मैंने जो यह सुझाव उनके सामने रखे हैं उनके ऊपर गौर फरमायेंगे और उसके बाद इस बात की कोशिश करेंगे कि आइन्दा जो बजट हमारे सामने आये तो उसमें एक ही हेड हो ताकि हम सब रुपये को स्क्रुटिनाइज कर सकें। और इस बात की कोशिश की जाय कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी ने जो प्रोपोजल्स दिये थे अगर उनका पूरा इम्प्लीमेंटेशन न हो सके तो कम से कम शुरुआत हो जाय। इन अल्फाज के साथ मैं इस डिमांड की ताईद करता हूं।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने और उनसे कुछ निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उसके पूर्व हम आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं कि दो महीने हुए मैं इस सदन में एक नया सदस्य होकर आया, कोई चीज हृदय से और आपस में विचार विमर्श करके हो, मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रस्ताव पेश किया जाय सरकारी पक्ष से चाहे जो हो तो श्री राजनारायण भीषण भाषण करके उसका विरोध करते हैं और माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा उसका समर्थन करें और स्वागत करें।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य के लिये समय बहुत कम है, वह अनुदान पर बोलें।

श्री बलदेवसिंह (गोंडा)—और अन्त में चाहे सभी लोग विरोध करें और हम कहें, दुनिया कहे लेकिन अन्त में विवश होकर उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी शाम को कह देना पड़े कि हां की संख्या अधिक है, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहता।

यह स्वशासन की जो बात पेश है, जिस पर चर्चा की जा रही है हमारे राजनारायण जी ने गोंडा की बात कही। मैं गोंडा के विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गोंडा म्युनिसिपैलिटी बड़ी काफी सावधानी से चलती थी और कारण वहां के जो चेयरमैन थे उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव १५ आदमियों ने दिया और वह प्रस्ताव पास हो गया। कुल २५ सदस्य थे जिसमें १५ गये थे अविश्वास का प्रस्ताव दे आये। कोई वजह नहीं थी उनको अवसर न दिया जाता उस म्यूनिसिपैलिटी के चलाने का। लेकिन न मालूम क्या पक्षपात था या क्या था, इस पर सदन विचार करेगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिला किसी वजह से वह भंग कर दी गई और फिर चुनाव होने जा रहा है। खैर चुनाव होगा उसका भी परिणाम चन्द दिन में आपके सामने आ जायगा। लेकिन इसे अगर यह न कहा जाय तो और क्या समझा जाय कि यह पक्षपात नहीं तो क्या है?

अब मैं मंत्री जी का ध्यान गोंडा जिले की ओर दिलाना चाहता हूं और अभी गौतम जी ने बताया चेयरमैन महोदय के खिलाफ १८ किस्म के चार्जेज थे और सब के सब ऐसे थे कि जिनको कलेक्टर ने माना और उस पर वोट लिया और कुछ ऐसी बात नहीं थी कि कोई नई हो, पुराने आदमी भी थे और वह हिसाब-किताब देने में बहुत कमजोर थे हमेशा। एक मर्तबा जब कांग्रेस के प्रेसीडेंट थे तब भी वहां के हिसाब किताब का यही हाल था, लेकिन आज तक उस पर विचार नहीं हुआ। लेकिन मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गोंडा जिले में एक बलरामपुर राज था और वास्तव में उनकी १२० मील सड़क इतनी बेहतरीन रहती थी ८ महीने बरसात के बाद कि आप ५० मील की रफ्तार से अपनी मोटर चला कर चले जायं। और जब राज समाप्त हुआ तो वह सड़कें भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में आ गईं। आज उन सड़कों पर बैलगाड़ी का चलना बहुत नामुमकिन हो गया है। तो मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन सड़कों को, अस्पतालों को जिनकी बाबत मैं कह चुका हूं, उन पर ध्यान दे कर और उन्हें पुनः ऐसी हालत में कर दें, जिसमें थे। जब हम लोग जाते हैं वहां के लोग कहते हैं कि आप तो कहते थे कि राज खत्म होगा, अंग्रेज जायंगे तो सुख समृद्धि होगा, लेकिन यहां के तो अस्पताल खत्म हो गये, सड़कें चली गईं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक न कह कर अन्त में मंत्री महोदय से कहूंगा कि जो सूरत पहले थी या अंग्रेजों के समय थी कम से कम उतनी तो वह अपने इस राज में करने की कृपा करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, जितने लोगों ने अपनी राय इस अनुदान पर दी मैंने बड़े गौर से सुना। माननीय भगवान सहाय जी ने यह कहा कि जो कोंच की म्यूनिसिपैलिटी है वहां पर ४ आदमियों के खिलाफ आरोप है, अगरचे वहां आरोप हों तो निकालिए। मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस शक्ल में नहीं आरोप किया जाना चाहिए कि चूंकि प्रेसीडेंट का चुनाव होने वाला है और वह प्रेसीडेंट कांग्रेस का ही होना चाहिए इसलिए जो दूसरा कोई हो उसको निकाल दो, यह गलत है। हां, अगर उसने गलत काम किये हों, उसके ऊपर आरोप हों और वह आरोप सही हों, तो जरूर आप हटाइए उसे चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। श्रीमन्, मेरे पास तो यह सबूत भी है। इस कोंच में पांच-पांच सौ रुपये देकर मेम्बर तोड़े जा रहे हैं, खत मेरे पास मौजूद है। अगरचे आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। मैं तो खुद ही उसे भेजने वाला था सम्पूर्णानन्द जी के पास। श्रीमन्, और मैं आपको बताऊं, जैसा कि अध्यक्षों के बारे में अभी एक सदस्य ने कहा कि बहुत से अध्यक्षों को हटाया गया, तो ठीक है बहुत से अध्यक्षों को हटाया गया है और सरकार इस किस्म के काम करती है। लेकिन जहां तक मिर्जापुर का सवाल है वहां पर सरकार ने ऐक्शन लिया वह बिल्कुल ठीक लिया। चाहे वह किसी पार्टी का अध्यक्ष हो, इस किस्म का प्रजातन्त्र के साथ खिलवाड़ करे, किसी मेम्बर को कहीं बन्द कर के रखे तो चाहे वह हमारी ही पार्टी का क्यों न हो, उसके ऊपर जरूर सरकार को ऐक्शन लेना चाहिए। यह बिल्कुल प्रजातन्त्र के खिलाफ बात है और सदन को याद होगा, जब यह मसला यहां आया था तब भी मैंने कहा था कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए। श्रीमन्, जहां तक काटजू साहब का सवाल है उन्होंने कहा कि सरकार पक्षपात नहीं करती। लेकिन क्या माननीय काटजू साहब एक भी ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं कि कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष हटाया गया हो सरकार की ओर से? यहां तक कि बलरामपुर में जहां के अध्यक्ष के खिलाफ कितने ही आरोप हैं, छः महीने तक जांच हुई है और उनके ऊपर जो आरोप हैं वह सत्य सिद्ध हुए हैं लेकिन आज भी वह वहां से हटाये नहीं गए हैं। इससे ज्यादा क्या प्रमाण आप चाहते हैं? दूसरे लोगों के ऊपर इस किस्म के ऐक्शंस लिए गए। अगर वह किसी दूसरी पार्टी के अध्यक्ष होते तो न मालूम कब के हटा कर किनारे कर दिए गए होते। जहां तक माननीय ब्रजभूषण मिश्र जी ने कहा कि मैंने तो एक ही चावल देख कर सारी हांडी के भात का अन्दाजा लगा लिया तो मैं उनसे कहूंगा कि इस तरह से एक चावल देख कर पूरी हांडी का अन्दाजा उनको नहीं लग सकता। चूंकि मिर्जापुर के अध्यक्ष ने गलती की तो हर जगह के अध्यक्ष ने गलती की होगी और सरकार ने जो किया है वह सब न्याय ही किया है, यह उनका खयाल गलत है। तो इस किस्म की चीजें हुई हैं।

लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जहां तक सवाल है, बहुत से लोगों ने मेरे कहने का मतलब नहीं समझा। मैंने यह नहीं कहा कि जितने भी आदमी इसमें काम करने वाले हैं सब को निकाल कर बाहर करो। कुछ लोगों ने यही समझा श्रीमन्, मैंने तो यह कहा कि जैसी कि एस्टीमेट्स कमेटी की सिफारिश है इसको पी० डब्ल्यू० डी० के साथ मर्ज कर दिया जाय, यह मैंने कहा और भाईजान लोग कहते हैं कि वह तो यह कहते हैं कि सबको हटा दिया जाय। यह सही है श्रीमन्, कि काम जल्दी किया है इस डिपार्टमेंट ने। जो बात सही है उसको मानना ही होगा। काम किया है और जल्दी भी किया है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह भी माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह जो इनके टाउन प्लानर की तरफ से गृह निर्माण के नक्शे बने हैं वह बिल्कुल खराब बने हैं। एक ही कमरा है उसी में से आने जाने का रास्ता है। सोचिए तो वह

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

क्वार्टर किस किस्म का होगा अगरचे आंगन में आने-जाने का रास्ता होता जैसा कि एल० एस० जी० ई० डी० ने बनाया है तो वह भी ज्यादा अच्छा होता। गारे की चुनाई और एक ईंट की दीवार, पता नहीं कितने दिन तक चलेंगी। स्वीपर्स क्वार्टर्स इसी तरह से बने हैं। दो-तीन बरसात के बाद वह जरूर ढह जायेंगे। इस किस्म का नक्शा बना हुआ है। दूसरी चीज यह है कि इस सदन में उसकी चर्चा भी हो चुकी है। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ७५ हजार रुपया सरकार ने अनुदान दिया। इसलिए अनुदान दिया कि जो बाढ़ से सड़कें खराब हुई हैं उनको बनाया जाय। लेकिन वहां के बोर्ड ने वह सारा रुपया इधर उधर खर्च कर दिया। आपने क्या ऐक्शन लिया उनके ऊपर। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कुछ गड़बड़ी हुई है। तो जब माननीय मंत्री जी यह समझते हैं कि गड़बड़ी हुई तो सरकार ने क्या ऐक्शन लिया? अभी दूसरे किसी का होता डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तो अब तक सुपरसीड कर दिया गया होता। चाहिये यह कि जो भी नियम आप बनायें उसका पालन हर एक से करायें। ऐसा नहीं कि कुछ से तो पालन करायें और कुछ से नहीं।

एक बात और माननीय मंत्री जी से कहनी है। श्रीमन्, एक यह ऐक्ट है बदरीनाथ सेनिटेशन ऐंड इम्प्रूवमेंट ऐक्ट। इस ऐक्ट के मातहत ये नियम बने हुए हैं कि जितना सफाई वगैरह का काम है या फल और तरकारी वगैरह जो लोग खराब लाते हैं उनका चालान करना और सजा भी करना यह सब वह कमेटी करेगी। श्रीमन्, वहां पर चाहिये तो यह था कि मंत्री जी एक टाउन एरिया कमेटी बना देते ताकि वह उन सब कामों को देखती। लेकिन ऐसा न करके ये सब काम बदरीनाथ टेम्पिल कमेटी के हाथ में दिये गये हैं। टेम्पिल कमेटी तो इसलिये है कि बदरीनाथ के मन्दिर का इन्तजाम करे। ये सब काम उसके हाथ में देना कोई उचित बात नहीं है। वहां की जितनी आबादी है उससे कम की आबादी वाली जगहों में टाउन एरिया बना रखे हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि हम ही चालान करें और हम ही सजा दें। ये तो न्याय मंत्री जी हैं, काफी जानकारी रखते होंगे, जो मुकदमा चलाये वही सजा दे तो यह कहां तक न्याय होगा? तो मैं चाहूंगा कि वहां पर टाउन एरिया बना दिया जाय और यह मैं इसलिए और चाहूंगा कि वहां के दो दो डेपुटेशन्स मिल चुके हैं, माननीय खेर साहब जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे उनसे भी मिल चुके और माननीय गौतम जी से भी मिले और अब शायद अली जहीर साहब से भी लोग मिलने वाले हैं।

कहते हैं कि सरकार कोई पक्षपात नहीं करती। इस सम्बन्ध में मैं एक मिसाल देता हूं। एक श्रीनगर टाउन एरिया है, वहां के लोगों ने रिप्रेजेण्ट किया कि हमारे यहां नोटिफाइड एरिया कर दिया जाय। वहां की आबादी २,२६६ है। लेकिन वहां नहीं किया गया क्योंकि विरोधी पक्ष के उम्मीदवार की कांस्टीटुएंसी में है। उससे कम आबादी की जगहों को नोटिफाइड एरिया किया गया, जैसे कि देवप्रयाग में और दोगड्डा में। देवप्रयाग की आबादी १,०४० है और दोगड्डा की आबादी १,१२८ है। श्रीनगर की आबादी दूनी है लेकिन वहां नहीं कर रहे हैं। यह तो बिल्कुल सफा पक्षपात है। फिर भी अगर सदस्य कहते हैं सरकार पार्शियलिटी नहीं करती है तो इससे बड़ा नमूना और क्या मिल सकता है? इन शब्दों के साथ मैं अपने कटमोशन को प्रेस करता हूं।

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझ रहा था कि जो विभाग मेरे पास है वह इस तरह का है कि गालिबन ज्यादातर माननीय सदस्य खफगी, नाराजी और एतराज उस पर करेंगे। मगर मैं शुक्रगुजार हूं कि जितनी

नाराजगी में समझता था उतनी नहीं जाहिर की गयी है, उससे कुछ कम की गयी है। बहरहाल मैं जहां तक हो सकेगा जितने एतराजात किये गये हैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा।

पहली बात यह कही गयी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन आप नहीं करा रहे हैं। मेरे खयाल में यह पहली बार नहीं बल्कि कई बार इस सदन में इसका जिक्र आ चुका है और यह बताया जा चुका है कि पंचायत राज की वजह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम बहुत हल्का हो गया है और उनकी बहुत सी जिम्मेदारियां पंचायत राज ने संभाल लीं और इस वजह से यह भी सवाल दरपेश था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को रखा जाय या नहीं, चुनांचे एक कमेटी बैठी। उसने गौर किया और उसने रिपोर्ट जिसका तजकिरा आ चुका है के बाद तय पाया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स रहने चाहिये और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के पंचायत राज के अलग-अलग फरायज कर दिये जायं और उनके मखसूस टैक्सेज मुकर्रर किये जायं। इसके साथ-साथ माननीय सदस्य जानते हैं कि एक टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है जो तमाम टैक्सेशन को देख रही थी और उसकी रिपोर्ट का इन्तजार था कि किन पर टैक्स लगाया जाय और किन पर न लगाया जाय, किन पर मुनासिब है और किन पर नहीं और कौन-कौन टैक्सेज पंचायत को दिये जांय और कौन से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दिये जायं वगैरा-वगैरा सवालात थे। इस पर गौर करने के बाद तय पाया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स रहें और उनके अलग फरायज हों और कुछ आदमी उसमें जनता की तरफ से जायं और बाकी पंचायत से चुने जायं, इस तरह की बात तय पाई। कानून बन रहा है और वह जल्दी ही पेश होगा। मगर जाहिर है कि एक तरफ पंचायतों का इलेक्शन और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन यह दोनों एक साथ नहीं करा सकते थे। इसलिये सरकार ने पंचायत राज का इलेक्शन करा दिया। माननीय सदस्य जानते हैं कि यह कितना बड़ा काम था। किसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शन से कम नहीं था लेकिन क्योंकि इसमें देर नहीं थी और इसके कानून में संशोधन जल्दी हो गया था इसलिये इलेक्शन कराने में दिक्कत नहीं हुई और हमने इलेक्शन करा दिया।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन सरकार यकीनन कराना चाहती है लेकिन पहले इसकी रूपरेखा तो बन जाय तब मालूम होगा कि इसकी शक्ल क्या होगी, तब इलेक्शन का सवाल उठेगा और इसमें देर लगेगी क्योंकि मामला बड़ा दुश्वार है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन हो जाय। यह कहना कि किसी और गरज से सरकार नहीं करना चाहती है यह गलत खयाल है और इसकी कोई असलियत नहीं है। बहरहाल एक ऐतराज ऐसा है कि एक करोड़ मरीज इलाज के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की डिस्पेंसरीज में गये। यह गलत बयानी है मैं नहीं कह सकता हूं। जितनी हमारे यहां जनसंख्या है और जहां तक तरह-तरह की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की डिस्पेंसरीज हैं, कुछ आयुर्वेदिक हैं, कुछ होम्योपैथिक और कुछ एलोपैथिक हैं। यह भी हो सकता है कि एक ही आदमी कई बार जाय और उसका नाम चढ़ जाय इसकी वजह से यह ठीक हो सकता है। यह मामला ऐसा नहीं है जिससे यह समझा जाय कि यकीनन यह गलत होगा।

इसके बाद एतराज यह किया गया कि अलीगढ़ बोर्ड को क्यों सुपरसीड रखा गया है और वहां चुनाव क्यों नहीं कराया गया है? यह सही है कि वहां चुनाव हो सकता था। लेकिन असली वजह यह है कि वहां पर कुछ निर्माण के और उसकी तरक्की के कार्य किये जा रहे हैं। एक वहां पर ड्रेनेज की स्कीम चल रही है। जब यह पूरी हो जायगी तो उम्मीद है कि बहुत सी खराबियां दूर हो जायंगी। जैसे ही ड्रेनेज की स्कीम खत्म हो जायगी वैसे ही चुनाव करा दिये जायंगे। चुनांचे फीरोजाबाद में जो अलीगढ़ के साथ ही साथ सुपरसीडेड था वहां इस किस्म की बात नहीं थी। लिहाजा वहां हमने कर दिया। मगर अलीगढ़ में काम चल रहे थे और बीच में ऐडमिनिस्ट्रेशन

[श्री सैयद अली जहीर]

बदल जाता तो मुमकिन था कि काम खराब हो जाते और तरक्की का काम ज्यादा जरूरी था बजाय इसके कि चुनाव में जल्दी की जाय, लिहाजा वहां चुनाव नहीं हुआ। अब जैसे ही वहां काम खत्म हो जायंगे हमें वहां चुनाव कराने में कोई एतराज नहीं है।

इसके बाद कई म्यूनिसिपैलिटीज के मुताल्लिक बात की गई। अब मैं कहां तक अलग-अलग बोर्डों का हवाला दूं मगर मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि अक्सर जो शिकायतें हैं वह इस वजह से हैं कि पूरे वाकयात से इत्तिला नहीं है। अगर है तो शायद यहां बयान करना नहीं चाहते हैं, इसलिये की गई है। उरई के मामले में श्री बनवारी लाल के खिलाफ बहुत सी शिकायतें आई थीं और इसी वजह से सस्पेंड किये गये। लेकिन उसके बाद जब तहकीकात की गई तो यह मालूम हुआ कि यह जो शिकायतें हैं वह ज्यादातर सही नहीं हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--वह तो सस्पेंड नहीं हैं, इलेक्शन ट्राइब्युनल से हटा दिये गये हैं।

श्री सैयद अली जहीर--श्री बनवारी लाल के खिलाफ जो शिकायतें आयीं थीं, उनमें जो चार्जेज थे उनकी वजह से वह हटाये गये थे, लेकिन जब यह मालूम हुआ कि वह चार्जेज सही साबित नहीं हुए.....

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--आपके यहां चार्जेज नहीं सिद्ध हुए, न्यायालय ने सिद्ध कर दिया कि वह गलत थे।

श्री सैयद अली जहीर--लेकिन मैं उसके साथ यह भी कह दूं कि उनके खिलाफ और भी शिकायतें आई हुई हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां जेरे गौर हैं और अभी तक यह तय नहीं हुआ कि उनका क्या होगा।

अनूपशहर का मामला उठाया गया। अच्छा किया, क्योंकि इससे मालूम होता है कि एक नीति क्या हो और किस तरह से उसूल तय किया जाय। अनूपशहर में गंगोली साहब उसके प्रेसीडेंट थे उन्होंने बजाय इसके कि वह शहर के निर्माण का कोई काम करते या ऐसी कोई बात करते कि जिससे शहर की तरक्की होती, उन्होंने नाजायज तौर से म्यूनिसिपल बोर्ड के रुपये से वहां एक खास पार्टी के लीडर, श्यामाप्रसाद मुकर्जी का स्टैच्यू लगाने का निश्चय किया। माननीय सदस्य यह जान सकते हैं कि जो लोग म्यूनिसिपल बोर्ड में जाते हैं वह इस गरज से वहां नहीं जाते कि वह वहां किसी खास पार्टी का प्रोपेगैन्डा करें या उसको बढ़ाने की कोशिश करें। उनकी तो नीति यह होनी चाहिये कि वह शहर की खिदमत किस तरह से कर सकते हैं, अपनी जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं, शहर की हालत को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, लोगों की तकलीफों को कैसे रफा कर सकते हैं? मगर जब इस किस्म की बातें की जायं और चेयरमैन साहब अपने फर्ज को अंजाम न देकर अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करें तो यह ठीक नहीं है कि मेरे खिलाफ इस तरह की शिकायत हो। मेरे खिलाफ इस तरह की शिकायत कि मैंने जनसंघ के चेयरमैन क्यों हटा दिये, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। बदकिस्मती यह है कि मेरे सामने जो मामले आये उन सब में मैंने यह देखा कि बजाय इसके कि वह वहां की जनता की खिदमत करें, शहर की तरक्की के कोई काम करें वह अपनी पार्टी को, जनसंघ पार्टी को मजबूत कर रहे थे।

आपने शाहजहांपुर का भी नाम लिया। मैं सिर्फ एक बात उनके मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं चाहे वह अपनी जगह पर सही हो या गलत, लेकिन बहरहाल, मैं कहूंगा। आप लोगों को मालूम है कि उनके ऊपर यह कोई चार्ज नहीं लगाया गया लेकिन एक दूसरी और छोटी बात थी। जिस वक्त वह चेयरमैन थे तो उन्होंने एक साल

के अन्दर वहां के १२५ मुलाजिमों को कोई न कोई इल्जाम लगा कर नौकरी से निकाल दिया और वह सब मुसलमान थे। मैंने माना कि वह सब खराब थे लेकिन इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि जो उनका मकसद था वह यह नहीं था कि वह म्यूनिसिपल बोर्ड की हालत को बेहतर बनावें। अगर उसकी तरक्की होती, शहर की सफाई होती या वहां के लोगों की और कोई बेहतरी के काम होते तो मैं मानता कि मैंने गलत काम किया, लेकिन जो शख्स इस तरह के कामों में शरीक हो और वह यह कोशिश करे कि किसी न किसी तरह से जनसंघ की पार्टी को हम मजबूत करें और उसके लीडरों का स्टैच्यू लगावें, तो मैं समझता हूं कि यह गलत काम है और उसके बाद यह इल्जाम मुझ पर लगाना कि मैंने जनसंघ के चेयरमैनों को निकाल दिया, सही नहीं है।

श्री शारदाबख्श सिंह—वह जनसंघ के नहीं थे हिन्दू महासभा के थे।

श्री सैयद अली जहीर—बहरहाल, मिरजापुर की शिकायत भी की गयी, लेकिन उसका माननीय सदस्य ने जवाब दे दिया। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मैं यह जानता हूं कि जो हाई कोर्ट का फर्ज है वह एक है और गवर्नमेंट का फर्ज एक है। हाई कोर्ट का तो फर्ज होता है कि जो रिट पिटीशन जाय और उसकी दरख्वास्त में जो लिखा है और जो कानून की किताबों में लिखा है उसके हिसाब से वह उसका फैसला कर दें। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है हमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। हमें ऐडमिनिस्ट्रेटिव हालत उस शहर की देखनी पड़ती है, हमारे पास जो इत्तिलात आती हैं उनको देखना पड़ता है इन सब का लिहाज करते हुये ही हम फैसला करते हैं। अगर हम महज किताब में जो लिखा हुआ है या जो एक पार्टी का आदमी आकर कह जाय उसी को मान कर काम करने लग जायं तब तो काम सही नहीं हो सकता है, हमें तो हर पहलू पर गौर करना पड़ता है। गोंडा की म्युनिसिपैलिटी की शिकायत की गयी। आप देखें कि कानून में लिखा हुआ है कि जो चेयरमैन खास कर वह चैयरमैन जो चुन कर आया हो उनको यह अधिकार दिया गया है कि अगर उनके खिलाफ नो-कान्फीडेंस मोशन पास हो जाय तो वह रिक्वेस्ट कर सकता है कि बजाय उसके इस्तीफा देने के पूरा बोर्ड डिजाल्व कर दिया जाय। जब उनके खिलाफ हर क़िस्म के चार्जेज आये तब उन सब चीजों पर गौर किया गया और यह समझा गया कि यहां पर जो नो-कान्फीडेंस पास हुआ है वह ऐसी सूरत में पास हुआ है जिससे यह मुमकिन नहीं है कि वह बोर्ड चल पायेगा क्योंकि दो पार्टियां वहां पर इतनी करीब-करीब बराबर की थीं कि उसमें काम ठीक तरह से नहीं चल सकता था। यह मुमकिन नहीं था कि किसी की मेजारिटी हो सके तो फैसला किया गया कि उस बोर्ड को डिजाल्व किया जाय और चुनाव किया जाय। तो मेरा खयाल है कि कोई इल्जाम न गवर्नमेंट के ऊपर लगाया जा सकता है और न समझा जा सकता है कि गवर्नमेंट ने तरफदारी की। यह भी शिकायत की गयी कि कांग्रेस का खयाल किया जाता है तो सांभली म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन कांग्रेसी चेयरमैन था उसको हमने सस्पेंड किया। उनके खिलाफ़ चार्जेज थे। इस तरह की इत्तिला हमको मिली कि वहां काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है और शहर की हालत खराब हो रही है। वहां हमने उनको सस्पेंड किया। लेकिन यह खुशकिस्मती हो या उस तालीम का कुछ असर हो जो कांग्रेस वालों ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल जी के लीडरशिप में पायी है कि जहां-जहां कांग्रेस वाले हैं उनकी महज एक ही नियत है कि हमें जनता का काम करना है वह हर एक से कोआपरेट करते हैं। उनकी कोशिश यह नहीं रहती है कि कांग्रेस पार्टी इससे मजबूत होती है या नहीं होती है। इसी सिलसिले में और भी कुछ म्युनिसिपल बोर्डों का जिक्र किया गया है। अब हर म्युनिसिपल बोर्ड की अलग-अलग हालत क्या बताऊं। फैजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन जनसंघी जरूर था। एक जमाना था जब उनकी अकसरियत भी थी लेकिन आखिर में उनकी हालत यह हो गई थी कि उन्होंने कोई तजवीज पेश की तो जहां वह सदर थे वहां खाली चेयरमैन

[श्री सैयद अली जहीर]

और एक साहब और तो बैठे रह गये, बाकी जो २६ मेम्बर्स थे वे सब बाहर चले गये थे। यह उनकी मेजारिटी की हालत हो गई थी और बाद में यहां तक नतीजा हुआ कि बावजूद इसके कि उनकी रिट पेटीशन कामयाब हो गई थी उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। शाहजहांपुर के चेयरमैन साहब जानते थे कि वे अकसरियत खो चुके हैं और वे ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते इसलिये बावजूद उनके रिट पेटीशन कामयाब होने के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जहां तक सरकार का ताल्लुक है, जो आर्डर्स गवर्नमेंट के होते हैं जो हमारे अख्तियारात होते हैं उन पर ऐक्शन लेते हुये हम डरते नहीं हैं।

आर० सी० वर्मा साहब की रिट पेटीशन रेस्टोर हो गई थी लेकिन यह शिकायत की गयी कि सरकार ने उनको नहीं माना और सरकार ने उनको निकाल दिया। एक तरफ तो यह शिकायत आती है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और गवर्नमेंट कोई ऐक्शन नहीं ले रही है। वर्मा साहब के खिलाफ जो रिपोर्ट थी वह यह थी कि बहुत ज्यादा करप्शन था और उनका काम किसी तरह से दुरुस्त नहीं था। रिट पेटीशन में उनके सब खत निकाले गये थे लेकिन यह रिट पेटीशन में तय हुआ था कि जो प्रोसीडिंग्स होनी चाहिये थीं जिस तरह से उन पर चार्जेज थे उसके खिलाफ उनसे जवाब लेना चाहिये वह नहीं लिया गया, उनसे एक्स्प्लेनेशन नहीं लिया गया। लिहाजा वह गवर्नमेंट का आर्डर इल्लीगल है। लिहाजा वह आर्डर्स भी इल्लीगल हैं लेकिन उन्होंने यह कहा कि डिसिप्लिनरी ऐक्शन उन पर नहीं हो सकता। बाद को लिहाजा डिसिप्लिनरी ऐक्शन लिया गया। तब चार्जेज साबित किये गये और फिर उसके बाद उनको अलग किया गया।

श्री जगन्नाथ सल्ल—तो फिर वही कार्यवाही दोबारा कर के क्यों रुपया बरबाद किया गया?

श्री सैयद अली जहीर—कानूनी मामलों में इस बात की गुंजायश रहती है कि अगर एक राय एक तरह की होती है तो दूसरी राय दूसरी तरह की होती है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट देता है। एक बेंच के फैसले को हाई कोर्ट का फुल बेंच पलट देती है। तीन जजेज का फैसला ५ जजों की बेंच पलट देती है। अभी सेल्स टैक्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदला है। कानूनी मामलों में इस किस्म की बात हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो राय एक ने दी है वह ठीक है या नहीं हो सकती है, हमेशा इसमें गुंजायश है और हो सकती है।

गन्ने की गाड़ियों के बारे में कहा गया कि उनसे टैक्स लिया जाता है तो जहां तक बंडरौना का मामला है गवर्नमेंट ने इस पर गौर किया और यह मुनासिब समझा कि इन गाड़ियों से टैक्स नहीं लेना चाहिये। तो इस किस्म के आर्डर जारी होने वाले हैं।

यह भी कहा गया कि लो इन्कम ग्रुप के लिये कर्जा देने का मामला पेचीदा है। मैं यह अर्ज करूंगा कि सरकारी रुपये को हम कर्ज पर दे रहे हैं और हमको वह कर्जा वापस भी लेना है तो जाहिर है कि उसके लिये कुछ इतमीनान करना पड़ता है और कुछ न कुछ रूल्स और कायदों की पाबन्दी भी करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हमने बहुत इसको सहल कर दिया है। हमने म्युनिसिपैलिटीज से यह कहा है कि तुम लोग खुद मकान बना दो और उनको हायर परचेज सिस्टम पर जो खरीदना चाहे तो दे दो। इसमें यह सब जहमत खत्म हो जाती है। अगर वह चाहें तो इस तरह से ले सकते हैं और उतने ही दिनों में किस्तों से इस रुपये की अदायगी कर सकते हैं। तो मकानों के लिये हम इस तरह की सहूलियत मुहैया करते जा रहे हैं। हमारी कोशिश यह है कि यह स्कीम कामयाब हो और मकानों की तंगी दूर हो। और भी बहुत सी बातों का जिक्र किया गया जो बहुत अहम नहीं हैं और जिनके बारे में ज्यादा अर्ज करने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्यों को जिन मामलों में शिकायत हो वह हर वक्त मेरे पास आ सकते हैं और मैं उनको यह इतमीनान दिलाता हूं कि जो कुछ भी मुनासिब है वह किया जायगा। हमारी यह ख्वाहिश है कि यह लोकल

सेल्फ गवर्नमेंट के अन्दर जो भी खराबियां हैं चाहे वह म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर हों या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर हों वह दूर हों। लेकिन आखिर हमको यह भी समझना चाहिये कि यह जो जमातें हैं यह सब खुद मुख्तार जमातें हैं। इनको अपनी जगह पर दुरुस्त होना चाहिये। सरकार का काम सिर्फ इतना है कि इनकी निगरानी करती रहे और वे गलत रास्ते पर न चलें और कोई ऐसी बात न करें जिससे वहां की जनता का नुकसान हो जाय।

जहां तक मदद का ताल्लुक है हम मदद बराबर देते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो सड़कें हैं उनके मुताल्लिक जरूर हमारे सामने यह सवाल रहता है कि हम किस तरह से उनकी हालत को दुरुस्त करें। एक जमाने में यह फैसला हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तमाम सड़कों को सरकार ले ले लेकिन यह इतनी ज्यादा हैं कि उनको सरकार संभाल नहीं सकती है। जैसे पब्लिक की माली हालत अच्छी होती जायगी और जैसे केन्द्र से हमको रुपया सड़कों के लिये मिलता जायगा और साथ ही साथ सरकार की हालत भी अच्छी होगी तो वह इन सड़कों की हालत जरूर ठीक करेगी और मुझे उम्मीद है कि वैसे-वैसे जनता की हालत भी बेहतर होती चली जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३-(लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान) के अन्तर्गत, एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्याय—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य) के अन्तर्गत, ७२,४९,५०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५—न्याय प्रशासन (लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन) के अन्तर्गत, १,२८,७३,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस ग्रान्ट को पेश करते हुये मुझे यह अर्ज करना है कि जो पारसाल रुपया इस ग्रान्ट में रक्खा गया था वह १ करोड़ ५२ लाख के करीब था और इस साल वह १ करोड ५४ लाख के करीब है। अब यह जो फर्क है वह १ लाख ७१ हजार का, यह ज्यादती की रकम इस गरज से है कि सिविल ऐण्ड सेशन जज की कुछ नयी अदालतें कायम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नये अफसरान जुडीशियल केडर में भी बढ़ाने हैं। इस वजह से पिछले साल से इस साल कुछ रुपया ज्यादा खर्च होगा। इसके साथ ही साथ और दूसरे बजट हेड्स में भी कुछ रकम दिखलायी गयी है। मसलन ग्रान्ट नं० ३० में Expenditure on पब्लिक वर्क्स व ग्रान्ट नं० ४६ Outlay of civil works में भी इसके मुताल्लिक कुछ रकमें हैं, नीज इमारतों वगैरह के लिये भी कुछ रकम है। इसी तरह से ३ लाख रुपया ८१ सिविल वर्क्स में नये अखराजात के लिये दर्ज हैं। जो बिल्डिंग्स बनेंगी उनके ऊपर रुपया खर्च होगा।

(इस समय ४ बज कर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसी मद में १०,०७,४०० रुपये की यह रकम पिछले वर्षों में जो इमारतें बनाने के लिये जो आज्ञायें दी गई हैं उन पर आगामी वित्तीय वर्ष में खर्च होगी। जहां तक इस विभाग का ताल्लुक है सिर्फ दो मामले ऐसे हैं जिन पर माननीय सदस्य गौर करते हैं और वह उठा करते हैं।

[श्री सैयद अली जहीर]

एक चीज तो यह है कि मुक़दमों के फैसले में देरी होती है। बहरहाल इसमें शक नहीं कि जितना हम चाहते हैं और जितनी देर में अदालतें फैसला करती हैं, वह उतनी जल्दी नहीं हो पाता। जहां तक दीवानी के मुकदमों का ताल्लुक है यह कहना सही है कि तादाद मुकदमों की बहुत ज्यादा बढ़ गयी है और जितने आफीसरान इस वक्त हैं वह काफी नहीं हैं। हमने इसका अहसास किया और चुनांचे हमने यह तय किया है कि हम अब जुडिशियल सर्विसेज के केडर में ४४ अफसर बढ़ाने जा रहे हैं, हालांकि यह इस पर भी मुनस्सिर है कि हमें एक या २ साल में कितने योग्य आदमी मिलते हैं। आप को मालूम है कि शुरू में हमारे यहां उनकी तादाद बहुत कम थी, पहले हमारे यहां कुल ३० डिस्ट्रिक्ट ऐन्ड सेशन जजेज थे और १५ सिविल ऐन्ड सेशन जजेज थे फिर सन् ५१ में ३७ डिस्ट्रिक्ट ऐन्ड सेशन जजेज थे और ४० सिविल ऐन्ड सेशन जजेज हो गये, कुल ८२ थे लेकिन अब मालूम हुआ कि वह संख्या भी काफी नहीं है लिहाजा अब हम उस को बढ़ा कर पहले जो १३५ मुन्सिफ थे उन को बढ़ा कर हम १६६ कर रहे हैं और सिविल ऐन्ड सेशन जजेज को बढ़ा कर ५९ से ६५ कर रहे हैं, हम लीव रिजर्व का २२ से घटा कर १२ कर रहे हैं लेकिन डेपूटेशन रिजर्व को ६ की जगह २३ कर रहे हैं, कुल हिसाब लगा कर ४४ पोस्ट और बढ़ जायंगी और इस वक्त २५ टेम्पोरेरी मुन्सिफ काम कर रहे हैं जो नये एप्वायण्टमेंट हुये थे और अब जो इम्तहान हुआ है उस में से मेरा खयाल है कि हम ज्यादा मुन्सिफ लेंगे।

लेकिन यह सब अर्ज करने के बाद मुझे कहना पड़ता है कि गालिबन आप लोग भी जिनका ताल्लुक कचहरियों से रहता है वह जानते होंगे कि असिल में खास बात इंडिविजुअल आफिसर पर मुनस्सर होती है, कोई आफीसर तेजी से मुकदमे को समझता है, वकीलों और मुवक्किल को भी जल्दी इतमीनान हो जाता है और फैसला भी तेजी से हो जाता है बर-खिलाफ इसके बाज अफसर ज्यादा वक्त लेते हैं और उस से अक्सर ऐसा होता है कि इतमीनान भी लोगों को नहीं होता और उनको भी मुकदमें के समझने में देर लगती है और इस तरह से आखिर में फैसले में भी ताखीर होती है, कहने का मतलब यह है कि पर्सनल एली-मेंट इस में काफी आता है लेकिन जहां तक सरकार का ताल्लुक है हमारी कोशिश यही है कि हमारे यहां दीवानी के मुकदमात भी जल्दी से जल्दी फैसल हों। जहां तक डिस्ट्रिक्ट जजेज का सवाल है हमने पहले सिर्फ २ कोर्ट बहराईच और जौनपुर में बढ़ाए थे लेकिन उसके बाद ४ कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जजेज के और बढ़ा दिये गये हैं और मुजफ्फर नगर और बलिया वगैरह कई जगह हैं जहां के काम में आसानी हो गई है, सन् ५६ में हम सुल्तानपुर में भी डिस्ट्रिक्ट जजी बना रहे हैं। इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर जिला हेड क्वार्टर्स में ही अदालत होंगी तो न्याय में जल्दी हो सकेगी। जहां तक हाई कोर्ट का ताल्लुक है वहां भी पहले जजेज कम थे, एप्वाइंटमेंट नहीं हुआ था, हमारी सबसे ज्यादा तादाद हाई कोर्ट के जजेज की इलाहाबाद में २४ हैं। उनमें से मंजूरशुदा २३ हैं और सब नियुक्तियां हो चुकी हैं और वह जजेज काम कर रहे हैं लेकिन जहां तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का ताल्लुक है वहां दीवानी का पुराना काम बहुत रुक गया है और फौजदारी के मुकदमे भी अकसर दो तीन साल तक फैसल नहीं होते लेकिन अब चीफ जस्टिस की कोशिश यह है कि मुकदमों का फैसला जितनी जल्दी हो सके वह उन्होंने एक स्कीम पहले यह शुरू की कि रिट पिटीशंस पर कई बेंचेज बैठा दीं ताकि रिट के जितने मुकदमे हैं वे जल्दी से जल्दी फैसल हो जायं। चुनांचे पारसाल जो उन्होंने काम शुरू किया उसकी वजह से इतनी तेजी से काम शुरू हुआ कि जितने रिट के मुकदमे ६ महीने, साल भर, डेढ़ साल से पड़े हुये थे वे सारे मुकदमे फैसल हो गये और जहां तक मुझे इत्तिला है जो फौजदारी के पुराने मुकदमें पड़े हुये थे उनको भी वे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ७, ८ बेंचेज एक-एक दिन में बैठ कर जो फौजदारी के मुकदमे पेंडिंग रह गये थे उनका फैसला कर रही हैं। वे समझते हैं कि केसेज का बेंडिंग रहना मुनासिब नहीं है, इसमें जल्दी फैसला होना चाहिये और इसके लिये वे कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी फैसले हों और काम तेजी के साथ चले।

माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि सन् ५४ में हमने यहां एक सिविल लाज अमेंडमेंट ऐक्ट पास किया था और उसकी गरज यह थी कि हम अपने यहां प्रोसीजर को सिम्पलीफाई कर दें। यहीं नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस मामले पर गौर किया और उन्होंने भी एक दास कमेटी बैठाली और उस कमेटी की सिफारिशें भी किसी हद तक वही थीं जो हम पहले यहां कर चुके थे। जैसे कि ५ हजार तक की अपीलें सिविल जज के यहां जायं, या डिस्ट्रिक्ट जज के यहां १० हजार की अपीलें जायं। तो यह सब किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सी तरमीमात हैं जिनकी तफसील में मैं इस स्टेज पर नहीं जाना चाहता। दूसरा सवाल जो अक्सर उठा करता है वह जुडीशियरी और एक्जिक्यूटिव के सेपरेशन का है। अक्सर इसके ऊपर माननीय सदस्य भी अपनी राय का इजहार करते हैं। मुझे इस मसले पर यह अर्ज करना है कि जो कुछ हमने अब तक किया है उसे माननीय सदस्य जानते हैं उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। १८ जिलों में एक अलग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गया है जिसके मातहत जुडीशियल आफिसर्स अलग काम करते हैं लेकिन जाहिर है कि यह अपनी जगह पर काफी नहीं है। सवाल यह होता है कि हम आगे कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं और इसके ऊपर गालिबन कुछ न कुछ एक्सप्लनेशन देने की जरूरत है। जैसा कि मैं जानता हूं कांस्टीट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह है--

"The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State".

मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर इसको देखा जाय तो यह मालूम होता है कि यह चीज बजाते खुद एक आब्जेक्टिव नहीं है। यह तो एक खास मकसद हासिल करने का एक मीन्स है बाकी जैसे और दफात हैं--

"The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people.

The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties.

The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life".

तो ये चीजें जो हैं ये आब्जेक्टिव्स हैं। इनको हमें शामिल करना है। लेकिन सेपरेशन आफ एक्जीक्यूटिव ऐंड जुडीशियरी यह एक जरिया है इन चीजों के हासिल करने का। यह असली मकसद है। तो अक्सर शिकायत यह होती है कि हम इसको नहीं करते, हम इसको आगे नहीं बढ़ाते। मेरा कहना है कि और चीजें जो हम इस वक्त हाथ में लिये हैं, उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। हमें पहले अपने देश का डेवलपमेंट करना है, यहां की एकोनामिक और सोशल कंडीशन को बेहतर बनाना है। हमारी असली गरज है कि यहां पर क्राइम्स किसी न किसी तरह से कम हों। और माननीय सदस्य इससे मुत्तफिक होंगे। स्टेट की जितनी आज भी आब्जेक्टिज हैं अगर क्राइम्स ज्यादा हैं, ला ऐंड आर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, डिसआर्डर है तो यहां पर कोई चीज नहीं चल सकती। हर चीज चलाने के लिये जरूरत इसकी है कि सही किस्म का एक ऐटमास्फियर हो, उसको हमें क्रिएट करना है और इसलिये पहले जरूरत यह है कि हम पहले अपने यहां की इकोनामिक कंडीशन को दुरुस्त करें। इसी वजह से हम जोर दे रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हमारी सोशल और इकोनामिक कंडीशंस जल्दी से जल्दी इम्प्रूव हों। और हमारे प्लांस वगैरह जितने बन रहे हैं उनमें ज्यादा स्टेस इसी बात पर है कि हमारी इकोनामिक कंडीशन बेहतर हो, बेकारी दूर हो। सेपरेशन आफ इग्जिक्टिव और जुडीशियरी जैसी चीजें बाद में आयेंगी। वह आयेंगी जरूर लेकिन किस स्टेज पर आयेंगी यह चीज गौरतलब रहती है। अगर हमारे यहां जुर्म बढ़ते हैं और हम यह कहते हैं कि अभी सरेदस्त जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है इससे मदद मिलती है जरायम को कम करने में, यहां की ला ऐंड आर्डर पोजीशन ठीक करने में तो मेरे खयाल से इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिये।

[श्री सैयद अली जहीर]

दूसरी बात यह है कि अब आफिसर्स की क्या पोजीशन है ? आफिसर्स रिप्रजेंट करते हैं एक इलेक्टेड और रिप्रजेंटिव गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है किसको ? गवर्नमेंट इज रेस्पांसिबिल टु दि लेजिस्लेचर मेम्बरान असेम्बली, दे आर रेस्पांसिबिल टु दि प्युपल ऐंड दि मासेज। तो गवर्नमेंट में और आफिसर्स में अब फर्क नहीं रह गया जिसके लिये इक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन जरूरी है। जिस जमाने में बादशाही थी, फयुडल सिस्टम था या ब्युरोक्रेसी थी, अंग्रेजों के जमाने में तो गवर्नमेंट वाज नाट रेस्पांसिबिल टु दि प्युपिल आर दि मासेज। उस वक्त बहुत जरूरी थी कि कम से कम जुडीशियरी ऐसी डिपेंडेंट हो कि पब्लिक के राइट्स को वह प्रोटेक्ट करें। लेकिन अब एवरीबाडी इज रेस्पांसिबिल टु दि मासेज। तो क्या आप यह समझते हैं कि कोई अफसर इनजस्टिस करके या जबरदस्ती करके वह बच जायगा उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगेगा ? मैं समझता हूं, यह मैंने कहा कि कांस्टीट्यूशन में तसलीम किया गया है कि ये चीजें आयेंगी। मैं यह नहीं कहता कि इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत है क्योंकि जुडीशल आफिसर्स का सेंस आफ जस्टिस ज्यादा अच्छा होता है बनिस्बत एक्जीक्यूटिव आफिसर्स के। लेकिन यह कहना कि उससे बेइंसाफी होने का खतरा है मेरे खयाल में यह सही नहीं है। किसी तरह से यह आर्गूमेंट दिया जाना कि इंसाफ नहीं हो सकता, चूंकि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव मिली हुयी हैं, इसलिये इस बात का अंदेशा है कि इंसाफ नहीं होगा, यह दुरुस्त नहीं होगा। कोई भी अफसर हो वह उतना ही रेस्पांसिबिल है। इसलिये कि पूरे शासन की अब नवइयत बदल गयी है। अब सब हैं रेस्पांसिबिल टु दि मासेज, ऐंड हैव गाट टु कैरी आउट दीज डाइरेक्टिव्स हर आफिसर का यह फर्ज है। इस वजह से यह कहना कि महज जुडीशियल आफिसर्स सोशल जस्टिस मीट आउट कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं, एक्जीक्यूटिव आफिसर्स चूंकि वे एक्जीक्यूटिव आफिसर्स हैं लिहाजा इंसाफ नहीं करेंगे। इस कंसेप्शन में थोड़ी सी तरमीम की जरूरत है। जो चीज पहले है उसको पहले आना चाहिये। हमको अपने यहां ला ऐंड आर्डर सिचुएशन इम्प्रूव करनी है। बाइलैन्ड क्राइम्स को कम करना है और इसके लिये इकोनामिक हालत को ज्यादा दुरुस्त करना है। हमें उम्मीद है कि ज्यों-ज्यों हमारी इकोनामिक हालत बेहतर होती जायगी, जरायम भी कम होते जायेंगे। और फिर जरूरत भी नहीं रहेगी कि एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को साथ रखा जाय या एक्जीक्यूटिव आफिसर्स को जुडीशल पावर्स दी जायं। सेपरेशन होगा जरूर। लेकिन यह कहना कि जब तक सेपरेशन नहीं होता उस वक्त तक बेइंसाफी या ज्यादती होगी, या किसी सेक्शन आफ प्युपल के साथ ज्यादती होगी यह खयाल मेरे खयाल में गलत है। और हमें कोई अंदेशा नहीं है और न इसका कोई खतरा होना चाहिये। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं अर्ज करता हूं कि मैंने जो अनुदान पेश किया है यह मंजूर किया जाय।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या १५ में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमन्, जब हम राज्य के न्याय विभाग के बजट को ध्यान से देखेंगे तो यह विदित होगा कि न्याय विभाग से, न्यायालयों से राज्य को २ करोड़ १७ लाख रुपये की आमदनी है जब कि खर्चा केवल १ करोड़ ५४ लाख है। यानी न्याय विभाग से इस साल भी ६३ लाख रुपये की बचत सरकार को होने जा रही है। इस २ करोड़ १७ लाख की आमदनी में से १ करोड़ ७९ लाख रुपये जुडिशियल स्टैम्प से रेवेन्यू आयी है जो स्वयं राज्य के सारे न्याय बजट के खर्चे से ज्यादा है। श्रीमन्, आप जानते हैं, सर्वमान्य सिद्धांत है कि न्याय विभाग को आमदनी का साधन नहीं बनाया जायगा। न्याय विभाग का रुपया जो न्यायालयों से आमदनी प्राप्त होगी उसे पूरी तरह न्यायालयों के बढ़ाने में, न्यायालयों के सुधार करने में, अधिक जजों को नियुक्त करने में, उनको सुविधायें देने में ताकि न्याय सुलभ और सस्ता हो सके इसी हेतु खर्च किया जायगा। लेकिन सरकार वर्षों से लगातार इस सिद्धान्त की अवहेलना करती चली आ रही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और आज भी इस बजट में अवहेलना की है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के पैरा (iii) की ओर दिलाना चाहता हूं।

"At the same time, it has to be added that we find ourselves in entire agreement with a view which has been expressed by the Chief Justice of India and the Chief Justices of certain High Courts in replies which they kindly sent to us, at our specific request, on one or two points to the effect that court-fees (assuming they are charged at all) should only be on the basis of covering the expenses of the administration of justice".

यानी कहा है कि पूर्णतः सहमत हैं कि जो न्यायालय से आमदनी हो वह न्याय विभाग में हो खर्च की जाय आगे चल कर कहा—

"On the more restricted question of reduction of court-fees, however, we recommend an urgent review of these fees by those few State Governments which now derive from them a revenue which substantially exceeds the cost of administration of justice in order that the fees may be suitably reduced and re-adjusted as soon as possible".

यानी टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने सिफारिश की है कि जिन राज्यों में कोर्ट फीस या न्यायालय में कोर्ट के स्टाम्प फीस से अधिक रेवन्यू आता है न्याय विभाग के खर्चे से ज्यादा, तो वहां पर यह कदम उठाना चाहिये कि कोर्ट फीस घटायी जाय। और इसको प्रायरिटी दी है। "अर्जेन्ट" शब्द का प्रयोग किया गया है। अब मालूम नहीं मंत्री जी का इस ओर ध्यान गया है या नहीं। लेकिन शायद उनका ध्यान दिलाया नहीं गया कि कम से कम कोर्ट फीस घटाने की ओर ध्यान दें। हम कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़े जाने वाले कहे जाते हैं; समाजवादी राज्य की ओर। समाजवादी राज्य में न्याय सस्ता और सुलभ होना चाहिये। आप अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना उठा करके देखें कि न्याय को सस्ता करने की ओर कोई संकेत तक नहीं है। कोर्टफीस एक अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर है। केवल हमको इकोनामिक फार्मूलाज के आधार पर नहीं चलना चाहिये बल्कि हमें जस्टिस करना चाहिये और न्याय सस्ता करना चाहिये, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति सस्ता और जल्दी न्याय पा सके। सस्ता और जल्दी न्याय प्राप्त होने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में न्यायालयों के विस्तार के लिये सम्पूर्ण चेष्टा करनी चाहिये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इस सम्बन्ध में शून्य प्रायः है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है ४४ जज आप बढ़ा रहे हैं। राज्य की आवश्यकता क्या है? आज ऐवरेज ड्यूरेशन आफ केसेज कितना बढ़ रहा है, माननीय मंत्री जी क्या जानते हैं? आज से ५ साल पहले ऐवरेज ड्यूरेशन आफ केसेज सब-मजिस्टीरियल कोर्ट्स में २० दिन था आज वह २३ हो गया। सेशन कोर्ट में सन् ५० में एवरेज ड्यूरेशन एक केस का ९७ दिन था। सन् ५३ की जो रिपोर्ट सबसे लेटेस्ट है उसमें वह ड्यूरेशन १३४ दिन का हो गया। ९७ से बढ़कर १३४ दिन। एरियर्स की हालत यह है कि हाईकोर्ट के एरियर्स को ले लीजिये, हाई कोर्ट के एरियर्स जबकि सन ५० दिसम्बर मास में ५ साल से अधिक जो केसेज पेंडिंग थे उनकी संख्या ८७९ थी, दिसम्बर सन् ५३ में इस तरह के केसेज की संख्या जो ५ साल से अधिक पेंडिंग में हैं, उन केसेज की संख्या बढ़कर २१४९ हो गयी और पेंडिंग अपील्स की संख्या बढ़कर १२७० हो गयी। तो इससे यह पता लगाया जा सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना या किसी भी योजना में न्यायालयों को अधिक स्थान दिये जाने की, अधिक अनुदान दिये जाने की तथा अधिक जजों के स्थायी किये जाने की कितनी आवश्यकता थी।

सिविल ऐंड सेशंस जज को ले लीजिये। हर साल टेम्पोरेरी पोस्ट्स आपको क्रियेट करनी पड़ती हैं। किसी साल २८, किसी साल २९ जज आप टेम्पोरेरी क्रियेट करते हैं। उनमें से केवल ४ जजों को आप परमानेन्ट करने जा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की थी कि अधिक से अधिक कोर्ट्स ऐसे डिवीजन्स में हैं उनको स्थायी किया जाता ताकि वहां पर जो न्याय विभाग के ऊपर भार पड़ा है वह हलका हो सके। लेकिन इसकी ओर सरकार का एक नाम मात्र को ध्यान

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

गया हुआ है। इसके साथ ही साथ जहां पर सवाल है करप्शन का, भ्रष्टाचार का, यह सभी लोग जानते हैं कि न्यायालयों में जहां पर कि आम तौर से जो जजेज लोग हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाया जा सकता कि वह किसी प्रकार भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं, गलत होगा ऐसा कहना आम तौर पर, लेकिन जो उनके नीचे 'सबार्डिनेट्स काम करते हैं कोर्ट्स में उनके लिये कहा जा सकता है कि उनका भारी बहुमत है जो जनता को बहुत बुरी तरह परेशान करता है, फाइलों की नकल देने में, कोई जानकारी हासिल करने में, तमाम बातों में जिस तरह परेशानी होती है वह माननीय मंत्री जी को भली प्रकार विदित है। तो कोई ऐसा तरीका अपनाया जाना चाहिये कि जिससे कचहरियों के अन्दर जो भ्रष्टाचार हर जिले में है उसको दूर किया जा सके और मेरी दरख्वास्त मैजिस्ट्रेटों से भी यह होगी कि वह भी कृपा करके इस ओर ध्यान दें कि उनकी आंख के नीचे किस प्रकार गलत तरीके से मुकदमों के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है, किस प्रकार गलत तरीके से मुकदमों में दखल दिया जाता है। तो इस तरफ कोई विशिष्ट चेष्टा की जानी अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ ही साथ जब एरियर्स बढ़ जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि केसों में एडजर्नमेंट बहुत होते हैं। स्टुअर्ट साहब के नेतृत्व में एक सिविल जस्टिस सब कमेटी बनी थी, उसमें सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि एरियर्स बढ़ जाने के बाद जो डिफिकल्ट केसेज होते हैं उनको देर में फैसला करने की एक टेंडेंसी हो जाती है और जो आसान केसेज होते हैं वह ले लिये जाते हैं। अगर यह होता है कि इतने केसेज आपको तय करने हैं तो आसान केसेज को तय करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है और जो मुश्किल होते हैं उनको टाल देने की एडजर्नमेंट देने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। एडजर्नमेंट देने से क्या होता है कि मुकदमे का व्यय बढ़ता चला जाता है और न्याय महंगा पड़ता है। यह सब बातें ऐसी हैं कि जो बुनियादी बातें हैं जिनको सब लोग जानते हैं।

आवश्यकता तो इस बात की थी कि माननीय मंत्री जी अपने प्रशासन-काल में इन सब बातों की ओर ध्यान देते और इस बात की चेष्टा करते कि हाई कोर्ट के सहयोग से अपनी ओर से नहीं बल्कि हाई कोर्ट के सहयोग से और न्यायालयों के सहयोग से, न्यायालयों को अपने क्षेत्र में पूर्णतया स्वतंत्र रखते हुये, यह जो आज जनता को परेशानी होती है उसे दूर करने की कोई रचनात्मक चेष्टा करते। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री जी जैसे एक न्यायवेत्ता के शासनकाल में भी इस तरह की बातें हो रही हैं और जनता को इस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात यह है, विशेष रूप से चूंकि माननीय मंत्री ने इसमें काफी समय लिया, उन्होंने हमको बड़े विस्तार के साथ बतलाया कि एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के सेपरेशन में, अलग करने में उनके सामने क्या दिक्कतें हैं और उन्होंने एक सिद्धान्त को यहां पर प्रतिपादित किया कि एक्जीक्यूटिव आफिसर से उम्मीद करना कि वह न्याय नहीं करेगा और जुडीशियल आफिसर ही न्याय करेगा यह उचित नहीं है। मुझे अत्यंत ताज्जुब हुआ माननीय मंत्री जी की बात सुनकर वह एक बड़े बैरिस्टर भी रहे हैं और यह आज राजनीति का फेर है कि वे मंत्री के रूप में यहां विद्यमान हैं वरना अगर दूसरा फेर होता तो शायद आज खुद जज होते और शायद इससे भी ऊंचे हाईएस्ट जुडीशियरी के किसी पद पर होते। उनके मुंह से यह शब्द निकलना और एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी के सेपरेशन के सिद्धान्त की अवहेलना करना उनको शोभा नहीं देता। अभी तीसरा ही दिन है जब कि हाईकोर्ट के एक विद्वान जज श्री ए० एल० मुल्ला ने यू० पी० जूडीशियल आफिसर्स कान्फ्रेंस में भाषण देते हुये कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जो इतिहास में हर सरकार को और हर न्याय मंत्री को अपने डेस्क पर सामने लिखकर रख लेना चाहिये। मैं आपकी आज्ञा से उनको उद्धृत कर देना चाहूंगा क्योंकि वे अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं कम से कम मैं तो अपने लिये अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूं। मुल्ला साहब ने मुख्य मंत्री

जी की उपस्थिति में कहा था और उनको कहना पड़ा क्योंकि आप देखें आज ऐसी स्थिति आ गई है क्योंकि जो मेरा विचार है कि न्यायालय दो तरीके के है हाई-कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वहां तो ठीक है एरियर ज्यादा हैं लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जो प्रजातंत्र की इस देश में रहने की उम्मीद है वह अब भी इन्हीं रूल आफ दि ला में इन्हीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है लेकिन मैं आप से कहता हूं कि जो जुडीशियरी आज जिलों की है उनमें विश्वास जनता का नहीं रह गया है और उसका जीता-जागता सबूत उनका भाषण है आप देखेंगे :-

"No reasonable person to-day disputes the proposition that the Judicial Officers should be under the administrative control of the High Court. The only justification offered is that we are passing through a period of transition and tough ultimately this change must take place, the present time is not opportune for affecting it.

I do not know how this justification appeals to you, but it appears to me to be only a special pleading for prolonging the life of the Police State."

और यह पुलिस राज्य की प्रस्तावना को अधिक लम्बा करने के लिये एक जस्टीफिकेशन माना जाता है।

"It cannot be disputed that the primary concern of any Government worth the name is to preserve 'Law and Order'. But can it be urged even for a moment that 'Law and Order' can only be maintained by a subservient judiciary and not by an independent judiciary. I can only say that if any executive authority really holds this opinion it has no conception of democracy and is not fit to represent the people."

उन्होंने कहा जो इस प्रकार कहते हैं कि वह न्यायाधिकरण जो कि एक्जीक्यूटिव से दबा हुआ हो वही ठीक ला एन्ड आर्डर को समझेगा और स्वतंत्र नहीं समझेगा तो वही लोग ऐसा कह सकते हैं जिन्हें प्रजातंत्र का ज्ञान नहीं है और उन्हें जनता का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय मंत्री जी के लिये यह बड़ी भारी चेतावनी है।

जिला मैजिस्ट्रेटों के रवैये के सम्बन्ध में आप देखें कि हमारे जिला मैजिस्ट्रेट लोग कितना इंटरफियर करते हैं जो जुडीशियल आफिसर्स हमारे जिलों में हैं उनके कामों में और उसका एक सबसे बड़ा नमूना इसी भाषण में है। उन्होंने जुडीशियल आफिसरों को एक सलाह दी है और क्या सलाह दी है--

"Will you accept my advice, if I tell you would on no account permit the District Magistrate or the Additional District Magistrate to interfere with your work, either by express directions or by implied suggestions? If you cannot do so, you are not of the stuff of which a real Judicial Officer is made. You are named Judicial Officers and you can live up to your name, only if you realize that in this compound the accent is on the first word and not on the second word."

एक ही सलाह उनको दी कि जिला मैजिस्ट्रेट और ऐडीशनल जिला मैजिस्ट्रेट जब कि बहुत इंटरफियर करते हैं तो अगर आप डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली इन्कार नहीं करते तो आप जुडीशियल आफिसर्स नहीं हैं।

एक हवाला विधान का भी माननीय मंत्री जी ने दिया है कि विधान में लिखा हुआ है कि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है आर्टिकिल ५० विधान में यह जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव का यह कोई संकेत मात्र है और यह किसी और उद्देश्य के लिये और वह उद्देश्य क्या है जिनका संकेत किया गया है वह क्या है। आर्टिकिल १४ देखिये।

श्री सैयद अली जहीर—आर्टिकल ३८ देखिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आर्टिकल १४ में स्पष्ट लिखा हुआ है—

"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India".

यह चीज सर्वमान्य है चाहे सरकार हो और चाहे कोई हो रूल्स आफ दि ला में सब बराबर हैं और यह चीज भी सर्वमान्य है कि एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को सेपरेट होना चाहिये। और माननीय मंत्री जी ने एक कृपा नहीं की। जुडिशल सर्विसेज की विधान में परिभाषा दी हुई है। उसके लिये विधान के आर्टिकल २३६ को देखें। उसमें लिखा है—

"The expression 'Judicial Service' means a service consisting exclusively of persons intended to fill the post of District Judges and other Civil Judicial posts inferior to the post of District Judge".

तो जुडिशल सर्विस तो आपने बनायी ही नहीं। आप जुडिशल सर्विस बनाइये, पब्लिक सर्विस को जुडिशल सर्विस से अलग कीजिये। आप पब्लिक सर्विस के अन्दर जुडिशल सर्विस को बना रहे हैं। स्टेट सर्विसेज और जुडिशल सर्विसेज को मिक्स कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम विधान को मानने वाले हैं तो माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करें।

जहां तक कैपिटल पनिशमेंट को समाप्त करने का प्रश्न है मैं इतना अवश्य कहूंगा कि वह भी एक विचारणीय प्रश्न है। और व्हिपिंग (बेंत लगाने) की जो सजा होती है उसको एबालिश करना भी एक विचारणीय प्रश्न है ताकि हम एक मानववादी जनतंत्र के रूप में प्रस्तुत हो सकें।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय राज्यपाल जी के भाषण से और वित्त मंत्री जी के बजट के भाषण से और बजट को देख कर तो हम समझ गये थे कि माननीय मंत्री जी इस राज्य में नागरिकों को इन्साफ देने के लिये तैयार नहीं हैं। कोई भी व्यवस्था इस वक्त उन १६ जिलों के अतिरिक्त जिनका नाम उन्होंने अपने भाषण में लिया दो साल पहले जुडिशल आफिसर्स उन्होंने रखे थे उसके अतिरिक्त अन्य जिलों में नागरिकों को सही इन्साफ देने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है। आज उनके भाषण से और भी निराशा होती है जब बजट पेश करते समय कांस्टीटीयूशन में डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स के होते हुये उन्होंने यह कहा। इस सदन में प्रति वर्ष जब ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस का बजट आता है तो लोग इस बात की अक्सर चर्चा करते हैं कि जुडिशरी का एक्जीक्यूटिव से सेपरेशन हो जाय। यह वे जानते हैं कि कांस्टीट्यूशन में इसके लिये डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स हैं लेकिन उन्होंने यह डिफेन्स दिया कि यह जरूरी नहीं है कि सेपरेशन करने से लोगों को इन्साफ अच्छा मिल सकेगा। उनकी तकरीर यह थी कि यह इंडिविजुअल पर डिपेण्ड करता है। कोई व्यक्ति अच्छा न्यायाधीश हो सकता है और कोई अच्छा नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं इससे हम यह समझते हैं जैसा कि नारायण दत्त तिवारी जी ने और जस्टिस मुल्ला ने बताया कि आपकी प्रवृत्ति अब पुलिस स्टेट की ओर जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा फण्डामेंटल राइट है कि हर एक आदमी को इक्वालिटी आफ जस्टिस मिले और स्टेट का यह प्रथम कर्त्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को इन्साफ दे। इसका आब्जेक्ट यही हो सकता है कि नागरिकों को निष्पक्ष इन्साफ मिले और वह इन्साफ सुलभ और जल्दी होना चाहिये अगर हम निष्पक्ष न्याय चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप जुडिशरी को एक्जीक्यूटिव के कंट्रोल से

हटा दें । जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक कोई उम्मीद नहीं है कि आप नागरिकों को निष्पक्ष इन्साफ दे सकेंगे । मैं अनेक उदाहरण माननीय मंत्री जी के सामने दे सकता हूं । आजकल अदालतों में बहुत से लोग अन्डर ट्रायल्स चले जाते हैं । बिना कसूर के किसी एक्जीक्यूटिव के दबाव में आ करके महीनों तक अन्डर ट्रायल पड़े रहते हैं और अन्त में चालान भी कोर्ट में नहीं होता है न मुकद्दमा ही दायर होता है और न फायनल रिपोर्ट ही लगती है तो जो इस तरह के भोगी होते हैं अगर वह अपील या रिड्रेस करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिसल कहीं नहीं है थाने में नहीं है और न कोर्ट में है। फिर भी आप कहते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है कोई जरूरत नहीं है । आप फंडामेंटल ड्यूटी सरकार की समझते हैं और नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको आप आवश्यकता नहीं समझते हैं और उनको सब्सीडियरी समझते हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा और मैं यह कह सकता हूं कि सरकार का कोई अधिकार जिन्दा रहने का नहीं हो सकता है अगर वह नागरिकों के अधिकारों को नहीं देती है ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक १६ जिलों की जुडीशियरी की बात कही जाती है वहां पर भी सेपरेशन पूरे तौर से नहीं है, क्योंकि वहां पर जुडीशियल आफिसर्स ए० डी० एम० के अन्डर में रहते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज के अन्डर में होना चाहिये । यदि यह व्यवस्था माननीय मंत्री जी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मैं उनका ध्यान दो बातों की ओर दिलाऊंगा कि कम से कम बेल के मामलों में, जमानत के मामलों में अध्यक्ष महोदय हर एक बेलेबिल ओफेन्सेज में मनुष्य हक है कि उसकी जमानत ली जानी चाहिये । लेकिन आजकल अदालतें जमानत लेने से तो इंकार नहीं करती हैं लेकिन वैरीफिकेशन का बहाना लेकर दो-तीन महिने तक टाल-मटोल कर सकती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसे मामलों में जिनमें एक्यूज्ड को कानूनी हक है जमानत का उनमें वैरीफिकेशन की प्रोसेज का कोई ईजी रास्ता निकलना चाहिये जिससे वह पुलिस के पास न जाय बल्कि प्रोवीजनल ऐक्सेपटेंस ग्राम पंचायत के प्रधान के सिफारिश से हो जानी चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह बतलाना चाहता हूं कि अदालतों में मैजिस्ट्रेट लोग मनमाने तौर पर आते हैं । टाइम की कोई पाबंदी नहीं है । वह तीन बजे आते है और लिटीगेट्स उस समय तक परेशान रहते हैं और ५ बजे चले जाते हैं और दो घंटे में एक्जीक्यूटिव का काम होता है । इसलिये कुछ टाइम का डिवीजन होना चाहिये । एक्जीक्यूटिव का तो मुतफर्रिक काम होता है उसके लिए और समय रखा जाय और कोर्ट के समय और कोई काम नहीं होना चाहिये। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि अदालतों का काम इसलिये भी ठप्प रहता है कि जब मंत्रीगण जिलों में जाते हैं तो उनको जाना पड़ता है और रिसेप्शन वगैरा की पहले से तैयारी करनी पड़ती है । इसलिये ऐसे कामों में यानी मंत्री महोदयों की आवभगत में दूसरे अधिकारी होने चाहिये । यह नहीं कि वह मंत्री जी के साथ रहते हैं बल्कि जिले के सब अधिकारी पहुंचते हैं और जो उनके अधिकारी होते हैं उनके साथ वह लगे रहते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि कोर्ट के समय उनके पास और कोई काम नहीं होना चाहिये

श्री जगदीश सरन (जिला बरेली) —आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसी राज्य में न्याय कैसा है इस कसौटी पर सरकार का मूल्य आंका जाता रहा है । हमें संतोष ही नहीं बल्कि गर्व हो सकता है कि हमारे प्रदेश में अभी भी न्याय का काफी ऊंचा स्तर है। लेकिन अब हम इस जगह पर आ चुके हैं जब कि हमें इसका संरक्षण करना पड़ेगा । यदि हम इस तरफ सचेत न हुए तो कदाचित वह उस उच्च स्थान से गिर सकता है । न्याय के विषय में अध्यक्ष महोदय, तीन बातों

[श्री जगदीशसरन]

की परम आवश्यकता है। न्याय स्पीडी होना चाहिये यानी जल्दी होना चाहिये न्याय सब को ऐक्सेस में होना चाहिये यानी सबको सुलभ होना चाहिये और न्याय इंडिपेंडेंट होना चाहिये । इन तीन मूलभूत सिद्धान्तों पर हमें न्याय प्रशासन चलाने की प्रणाली को देखना पड़ेगा । सबसे पहली बात की ओर जब हम देखते हैं तो हमें यह पता लगता है कि आज न्याय स्पीडी नहीं है । न्याय हमें शीघ्रता से नहीं मिल सकता । आज जो एरियर्स हमारे न्यायालयों में पड़े हैं वह चिल्ला-चिल्ला कर बता रहे हैं कि कितना समय न्याय मिलने में लगता है जिससे न्याय मिलने का मतलब ही नष्ट हो जाता है । यह आंकड़े जो अभी हमारे सामने हैं वह बताते हैं कि १९५२ के अंत में १ लाख ६ हजार मुकदमे सिविल न्यायालयों में पेंडिंग थे, १९५४ के अन्त में उनकी संख्या २ लाख ११ हजार पहुंच चुकी है। १९५५ के अन्त के फीगर्स हमारे सामने आज नहीं है लेकिन अनुमान यह है कि यह भी अब डेढ़ गुना हो गये होंगे, यानी १९५५ के अन्त तक इनकी संख्या ३ लाख के करीब होनी चाहिये । तो इससे यह अनुमान होता है कि न्याय में कितनी देर हो रही है। इससे अधिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या हो सकता है। मैंने केवल संकेत किया और बरेली नगर के बारे में मेरा अपना अनुभव है। एक-एक मुकदमे में पहले तारीख १० महीने की और ११ महीने की लगती थी और जहां एक मुंसिफ के न्यायालय में ५ या ६ सौ के लगभग मुकदमे होते थे वहां उनकी संख्या २ हजार के करीब पहुंच गई है। तो यह रहा देर के बारे में ।

श्रीमन् समय के अभाव को देखते हुए मैं शीघ्रता से दूसरी बात की ओर ध्यान दिलाऊंगा और वह यह है कि न्याय ऐसा होना चाहिये कि जो सबकी एक्सेस में हो । आज इस तरफ भी हम कुछ पीछे जा रहे हैं और अब तो अनुभव यह बताता है कि आज उसी को न्याय मिल सकता है जिसके पास पैसा है और जो सब से ज्यादा व्यय कर सकता है । जिसके पास पैसा नहीं है वह न्याय से वंचित भी रह जाता है। तो मैं केवल संकेत रूप में इस समय यह कहूंगा कि इस ओर हमारे उन उच्चाधिकारियों का जिन पर शासन का दायित्व है, ध्यान रहना चाहिये । न्याय की प्रणाली में रेडिकल चेन्ज, महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है और ऐसी प्रणाली को हमें आज लाना है कि जो सबको सुलभ हो । हम अभी जनता के राज्य की बातें कह रहे थे और कह रहे थे कि जनता के सुख और समृद्धि के लिये हमें कार्य करना चाहिये । तो इस के लिये पहली आवश्यकता इस बात की है कि हम न्याय की प्रणाली में ऐसा परिवर्तन करें कि जिसमें जनता को वह सुविधा से मिल सके और सरलता से मिल सके । मैं इससे भी पूर्णतया सहमत हूं कि न्याय को हमें आमदनी का जरिया कतई नहीं बनाना चाहिये । न्याय को जितना भी हम सस्ता बना सकें, जितना भी जनता को वह सरलता और सुगमता मिल सके उतना ही अच्छा होगा।

तीसरी बात जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं इस समय वह यह है कि जो एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी के सेपरेशन की बात है और जो आज भी इस सदन के सामने आई और समय-समय पर आती रही है, उसके बारे में बड़ा ताज्जुब होता है देखकर वह व्यक्ति जो हमेशा एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी के सेपरेशन का नारा लगाते रहे आज पता नहीं किन परिस्थितिवश और क्यों वह इसके विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं । अभी हमारे सामने कांस्टीटूयूशन की बात आई, आर्टिकिल ५० की बात आई और माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह केवल एक डाइरेक्टिव प्रिंसिपल है। मैं यह निवेदन करूंगा कि भले ही वह एक डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल हो लेकिन हमें याद रखना है कि हमारा संविधान भी तो बिल आफ

दि पीपुल को रेप्रेजेण्ट करता है। हमने अपने कांस्टीट्यूशन में यह तय कर दिया है कि एक्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से अलग होना चाहिये तो अगर हम उस पर अग्रसर नहीं होते हैं तो हम उसकी अवहेलना करते हैं। अभी यह कहा गया कि आज के इस काल में जिसमें हम गुजर रहे हैं उसमें फर्स्ट थिंग फर्स्ट होनी चाहिये। आज हमारे सामने डेवलपमेंट की बातें हैं और दूसरी बातें हैं। मैं यह नहीं समझ सका कि यह सारी बातें कैसे एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के सेपरेशन में बाधक होती हैं। मैं चाहता था कि माननीय मंत्री जी हमें बताते कि इस जमाने के इन कामों से हमारे इस काम में यह दिक्कतें आ रही हैं, तब तो मैं समझ सकता था। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि यह तो माना होगा कि जो जूडिशियल आफिसर्स होते हैं उनका सेन्स आफ जस्टिस बुलन्द होता है, लेकिन फिर भी कौन सा कारण है कि आप इस ऊंची न्याय की प्रवृत्ति को नीचे लाना चाहते हैं। आखिर वह कौन सा कारण है जिससे उनकी सेन्स आफ जस्टिस ऊंची होती है। उसका कारण यही है कि वह स्वतन्त्र होते हैं। वह हाईकोर्ट के अन्डर में रहते हैं। आपने इस दिशा में जरूर कुछ कदम उठाया अलग जुडिशियल आफिसरों को बनाकर लेकिन जब जुडिशियल आफिसर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अन्डर रहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा। स्पष्ट रूप से कि यह कदम आपका बिलकुल बेकार हो जाता है। हम यह देखते हैं, जाब्ते फौजदारी में जब किसी का प्रासिक्यूशन हो जाता है और कोई परिवर्तन इन्टरफियरेन्स करती है तो वह केसेज ट्रान्सफर हो जाते हैं। लेकिन आज जिलों में स्टेट जब पार्टी होती है और वही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रासिक्यूटिंग अथारिटी होती है जो उन मैजिस्ट्रेटों के कर्ता धर्ता होते हैं। तो फिर हम कैसे आशा कर सकते हैं कि न्याय होगा। आखिर वह भी मनुष्य है। वह स्वतंत्र दृष्टिकोण रखे यह नहीं हो सकता। मेरा खयाल है कि इसके सवाल को हमें इस दृष्टि से देखना चाहिये।

*श्री मुहम्मद शाहिद फाकरी (जिला गोंडा)——जनाब स्पीकर साहब, आज जो डिमान्ड हमारे सामने है यकीनन हमारे इन तमाम हालात को देखते हुये जो इस वक्त सूबे में चल रहे हैं हमारी जिन्दगी से गहरा ताल्लुक रखती है। मुझे आज यह देख कर मुसर्रत हुई कि इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सब मेम्बर साहबान ने उन खास उमूर की तरफ तवज्जह दिलायी जिनकी वजह से आज काफी तकलीफ है। हमने मुख्तलिफ औक़ात में लोगों की मजहबी तालीम को देखा, मुख्तलिफ मजहबी लिटरेचर को भी हमने मुताला किया जिसमें इन्साफ के बारे में रोशनी डाली गयी, हमने हिन्दुस्तान के एक हजार वर्ष पहले की तारीख को देखा और बाहरी मुल्कों की तारीख भी देखी और दूसरी तारीख भी दुनिया की देखी इन सब में एक जज्बा बहुत से मुल्कों में बराबर पाया जाता है और वह यह है कि इन्साफ मुफ्त मिलना चाहिये। अभी योरुप के बहुत से हिस्सों में अमूमन यही चीज जारी है और वहां पर इंसाफ मुफ्त मिलता है। अंग्रेजों ने जब हिन्दुस्तान के अन्दर हुकूमत की और यहां हुकूमत करने का फर्क नुमायां है कि हिन्दुस्तान के अन्दर दूसरी पालिसी उन्होंने बरती और इंग्लैंड के अन्दर दूसरी पालिसी बरती और उनके मुख्तलिफ मुमालिक में दूसरी पालिसी थी। उनके यहां कई जगह इन्साफ ज्यादा से ज्यादा सस्ता मिलता था। हिन्दुस्तान में जब से यह गिरानी का दौर दौरा हुआ तो इन्साफ के ऊपर इसका खास असर पड़ा है। आज हम यह देखते हैं कि हमारे यहां गरीबों को, जैसा कि एक मुअज्जिज मेम्बर ने बताया कि इन्साफ मिलने में दुश्वारी होती है। वह इन्साफ हासिल नहीं कर सकता।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक फौजदारी का ताल्लुक है ९० फीसदी लोगों को पाया जाता है जो इन्साफ हासिल नहीं कर सकते हैं और वह बहुत मुद्दत तक इन्तजार करते रहते हैं। अभी एक मुरादाबाद के मुकदमें का ६ वर्ष के बाद फैसला हुआ है। इस ऐवान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

का हर मेम्बर इस बात पर फ़ख्र कर सकता है और कोई जरा भी इख्तलाफ नहीं करेगा कि दीवानी और करीब-करीब सारी अदालतें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जरा भी शुबहा नहीं किया जाता है निहायत दरजे यहां पर इन्साफ होता है जिस पर हम सब फख्र कर सकते हैं लेकिन जहां तक फौजदारी का ताल्लुक है जिसके बारे में मुझे मालूम है कि ६ वर्ष के बाद फैसला हुआ है लेकिन वे लोग बिलकुल बरबाद हो गये हैं खर्च करते करते तंग आ गये। यह बिल्कुल सही है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अन्डर में वे लोग भी हैं जिनकी बाबत अभी अभी हाल में ही हमारी सरकार ने इसलाह का कदम उठाया है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के मुताल्लिक़ यह बात है कि वे इसमें शक नहीं है कि, इंडिपेंडेंटली इन्साफ के तरीके से मुकदमों का फैसला नहीं करते हैं और न वह कर रहे हैं क्योंकि उस पर इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का असर मौजूद है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस मुख्तलिफ किस्म की पालिसीज से मुबतिला रहता है जो उमूमन चला करती है। यह हो नहीं सकता कि वह एक देवता हो और इन तमाम बातों में मुबतिला रहने के बाद भी वह उनसे अलहदा रह सके, यह मुमकिन नहीं है कि जब इंसाफ का मामला आये तो वह जजबात से अलहदा रह सके। सूबे के हर जिले में यह शिकायत मौजूद है कि इंसाफ बिल्कुल अलहदा होकर गैरजानिब-दारी के साथ अवाम को नहीं मिलता है। उसका असर वहां मौजूद है और उनकी राय के मुताबिक वहां पर इंसाफ होता है।

जहां तक केसेज में देर का ताल्लुक है बदकिस्मती से मैं अपने साथियों के साथ जो उन्होंने इजहारे खयाल किया है, उससे मुत्तफिक नहीं हूं। फौजदारी के जो मुकदमें होते हैं, मुकदमें की पैरवी के लिये काफी वक्त देकर उनका फैसला जल्दी होना चाहिये। लेकिन दीवानी के मामलात के लिये यह कहना सब धान बाइस पंसेरी वाला मसला हो जायगा। दीवानी के बहुत से मुकदमों में एक या बहुत से परिवारों के बनाव और बिगड़ाव का सवाल होता है। अगर वहां जल्दी का मतालिबा किया जायगा तो बड़ी-बड़ी जायदाद के मामले में इन्साफ न मिल सकेगा। मैं समझता हूं कि यह चीज चल नहीं सकती है। लेकिन जहां तक फौजदारी के मुक़दमों का ताल्लुक है उनमें जल्दी होनी चाहिये।

एक चीज बड़ी जबरदस्त है वह यह कि थोड़ी सी बातों में जब मैजिस्ट्रेट खफा हो जाते हैं तो ज्यादातर यह देखा गया है कि वह मुकदमों का फैसला शनिवार के दिन साढ़े पांच बजे सुनाते हैं जब कि कोई अदालत अपील मौजूद नहीं होती। जिससे वह दूसरे दिन जेल में रह सके। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह एक वाकआ है। जिसकी तरफ वजीर साहब को तवज्जुह फरमानी चाहिये। उनको तवज्जुह देनी पड़ेगी अगर सूबे के अन्दर उनको इंसाफ लोगों को दिलाना है।

श्री अध्यक्ष—आप किसी व्यक्ति का नाम न लें।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—जहां तक जनता का ताल्लुक है छोटे-छोटे मामलों में आबरूदार लोगों को पुलिस पकड़ लेती है और उनकी इज्जत आबरू का खयाल नहीं करती। ऐसे भी नजायर हैं कि छोटी-छोटी दफात में लोग पकड़े गये और १४—१५ दिन तक दौड़-दौड़ कर जब तक उनके दस्तगैब न भर दिये गये, नीचे से काफी रकम न दे दी गयी, उनको जमानत पर न छोड़ा गया। दूसरी तरफ बड़े-बड़े केसेज ऐसे हुये हैं जिसमें कुछ रुपया मिल जाने की वजह से पुलिस ने उनको फौरन् जमानत पर छोड़ दिया। इसलिये मेरी इस्तदुआ है कि बेलेबिल केसेज में जमानत जरूर हो जानी चाहिये।

*श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, इन्साफ़ जमहूरियत की रीढ़ होती है। हमारे सूबे में जैसी तमाम आर्थिक और सामाजिक असमानता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसमें जुडीशियरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। सच तो यह है कि जुडीशियरी या इंसाफ प्रदेश को मुफ्त मिलना चाहिये लेकिन सरकार की ओर से जो प्रयत्न इस ओर हो रहा है वह बिजनेस का हो रहा है। माननीय मंत्री जी के भाषण को सुनने से पता चलता है कि वह दूसरी ही दिशा में काम कर रहे हैं। जैसा कि माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा कि ज्यूरिप्रूडेंस के यह माने हैं, उसका यह सिद्धान्त है, देश और प्रदेश में जो विद्वान हैं, पंडित हैं, उनका कहना है कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिये। उस पर किसी प्रकार की फीस नहीं होनी चाहिये लेकिन आज हमारे यहां एक विशेष प्रकार के सूत्र का प्रतिपादन किया गया है। और वह यह है कि एक्जीक्यूटिव की तरफ से भी अच्छा इन्साफ हो सकता है और वह बड़ा अच्छा इन्साफ कर सकते हैं और यह कि हमारा देश एक विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है लिहाजा इसकी आवश्यकता है। यह उनकी दलील है। मैं अध्यक्ष महोदय, बताऊंगा कि हम एक्जीक्यूटिव के द्वारा इन्साफ का काफी तजुर्बा कर चुके और हमने देखा है कि तरह-तरह के असर और दबाव पड़ते हैं और जो बरसरे-इक्तदार पार्टी होती है, जिसकी पहुंच होती है उसी की बन आती है। और मैं अगर यह कहूं तो बेजा न होगा कि यह सरकार यहां तक बढ़ रही है कि हाईकोर्ट जहां वाकई अब तक इंसाफ होता है और जहां हमें जनतंत्र प्रणाली की रक्षा की उम्मीद है और जिस पर हमें नाज है उन पर भी असर डालने की कोशिश तरह-तरह के प्रलोभन देकर, किसी को ऊंची पोस्ट का दूसरी-दूसरी तरह का प्रलोभन दिया जाता है ताकि उनमें भी वही टेंडेंसी पैदा हो और वह भी हर मामलों में सरकार की तरफ नजर उठा कर देखा करें और उसके ही इशारे पर चलें। माननीय सदस्यों ने जानने की कोशिश की कि आखिर वह क्यों एक्जीक्यूटिव के जरिये न्याय कराना चाहते हैं तो वह वजह बताते हैं कि मुकदमों के इंसाफ के लिये, आज की परिस्थिति में यह जरूरी है। दूसरे अंग्रेजों के जमाने से अगर देखा जाय तो स्टाम्प और कोर्ट फीस के दाम बढ़ गये हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जब कि हमारे यहां आज भी आर्थिक असमानता है और एक तरफ आज भी लोग गरीब हैं जो आज न्याय नहीं पा सकते और मुकदमें की पैरवी नहीं कर सकते और सिर्फ बड़े आदमी ही न्याय हासिल कर सकते हैं। हमारे जो जुडिशियल आफिसर हैं वह तो आज कल के एक्जीक्यूटिव न्याय की जीती जागती तसवीर हैं, वह तो आज एक्जीक्यूटिव अथारिटीज के मातहत हैं और हर तरह से जो एक्जीक्यूटिव अथारिटीज चाहती हैं वही न्याय होता है। यहां तक मैं बता सकता हूं कि जो राजनीतिक संस्थाओं के खिलाफ मुकदमें चलते हैं उनके फैसले से पहले तो एडीशनल मैजिस्ट्रेट, जुडीशियल मैजिस्ट्रेट आदि सब जिलाधीश के यहां बैठकर पहले से ही तय कर लेते हैं कि क्या सजा इस मामले में दी जाय, बाराबंकी में ऐसा ही हुआ। जुडिशियल आफिसर डिप्टी कमिश्नर के मातहत हैं और अक्सर यह भी देखा जाता है कि अगर प्राजिक्यूटिव इंस्पेक्टर या उनके पक्ष के गवाहों के आने में देर हो जाती है या वह प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तब तो उनका इंतजार भी किया जाता है और तारीख भी बढ़ जाती है लेकिन अगर मुलजिम की तरफ से सफाई नहीं आती है तो हर्जा खर्चा दिलाया जाता है और उसकी कोई रियायत क्या जायज बात भी नहीं मानी जाती है। मुझे ताज्जुब है कि मंत्री जी उस एक्जीक्यूटिव की तारीफ करते हैं। यह सब दिक्कतें मैं समझता हूं। इसी कारण से है कि अब भी वह एक्जीक्यूटिव के अन्डर है। इसके अलावा जनता के केसेज और स्टेट केसेज में आज भी फर्क किया जाता है और सरकार के मुकदमों के साथ दूसरी तरह का बरताव किया जाता है और जो दूसरे लोगों के साथ मुकदमें हैं उनके साथ वही स्टेपमदरली ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं होता है।

अभी माननीय आनन्द नारायण मुल्ला ने जो जुडीशियल आफिसर्स की कान्फ्रेन्स में तकरीर की उसको आप ने देखा होगा और उनको इतने बड़े हाई कोर्ट का जज होते हुए भी माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने कहना पड़ा कि सरकार का यह निश्चित मत है कि वह इस राज्य में एक पुलिस स्टेट बनाना चाहती है और इस तरीके से वह उसको मजबूत

[श्री राम सेवक यादव]

करना चाहती है। एक बात मैं और कह दूं कि इस सरकार ने आनरेरी मेजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जो प्रथा चलाई है वह बहुत खराब है और इन आनरेरी मैजिस्ट्रेट के यहां सर्वथा अन्याय होता है, और अधिकतर वह नियुक्तियां पार्टीबन्दी के आधार पर या किसी को जगह देने के लिये होती है। वह मैजिस्ट्रेट अव्वल तो आते ही नहीं और आते भी हैं तो ११ बजे या २ बजे आते हैं, साल-साल दो-दो साल मुकदमें उनके यहां पड़े रहते हैं और वह कोई परवाह गरीब लोगों की नहीं करते। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि यह पद्धति सरकार को खत्म करनी चाहिये। उनकी यह दलील हो सकती है कि आखिर इतने मुकदमे कैसे खत्म हों। मैं कहूंगा कि सरकार इनको हाई कोर्ट के मातहत कर दे और उनकी जगह नए मैजिस्ट्रेट मुकर्रर कर लिये जायं। मंत्री जी कहते हैं कि इंसाफ एग्जीक्यूटिव के जरिये से ही हो सकता है लेकिन अगर ऐसी बात होती तो आज इतने जुर्म न बढ़ते, इस तरह से आप रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं, यह जो आप एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं वह तो केवल एक पोस्टमार्टम एडमिनिस्ट्रेशन है। उसका कोई मकसद नहीं है। अब काम यह रह गया है कि कोई घटना हुई, डकैती चोरी हुई तो एक चार्जशीट दे दी गई, कोई काम इसके अलावा नहीं रह गया है। इसमें हाईकोर्ट या अदालतों का कोई दोष नहीं। माननीय मंत्री जी ने उनके मुताल्लिक कुछ अर्ज किया, जिससे पता चलता था कि उन्हें दुनियां की बातों का पता नहीं चलता। हम लोग एग्जीक्यूटिव वाले जानते हैं कि असलियत क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि माननीय मंत्री के ख्याल से तो हाईकोर्ट वाले समाज में रहते ही नहीं। कोर्ट में कागजात जाते हैं। गवाह पेश किये जाते हैं और कितना करप्शन है इस सब का उनको पता है। कहां पर दरोगा ने रिश्वत ले कर मुकदमें को बिगाड़ दिया, कहां गवाह तोड़ लिया गया, यह सब उनको मालूम रहता है। बड़े अनुभवी जज हाईकोर्ट के होते हैं। उनकी बात न सुनी जाय तो मालूम नहीं इस राज्य का क्या होगा। सैयद अली जहीर जैसे बैरिस्टर जो जूरिसप्रूडेंस के सिद्धान्तों के बड़े हामी थे और कहते थे कि एक्जिक्यूटिव का जुडीशियरी से सेप्रेशन होना चाहिये, क्योंकि आज ट्रेजरी बैंचेज की तरफ बैठे हुये हैं, किन्हीं खास वजूहात से मैं देखता हूं, वह कहते हैं कि यह सब गलत है। मैं तो सुझाव रखूंगा कि एस० डी० एम० और तहसीलदारों से जस्टिस का काम न लेकर कुछ और काम उनसे लेने चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं चाहता हूं कि अभी विवाद इस विषय पर और जारी रहे।

श्री अध्यक्ष—कोई प्रस्ताव समय बढ़ाने का तो अभी आया नहीं है।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—अभी इस पर और लोग बोलना चाहते हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आध घंटा और इस अनुदान के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस अनुदान के लिये सदन का समय आध घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय मंत्री जी ने, अध्यक्ष महोदय, यह स्वीकार किया कि एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में खामियां हैं। मैं आपके द्वारा उनका ध्यान एक जरूरी बात की तरफ दिलाऊंगा। एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस की रिपोर्ट आम तौर से हाईकोर्ट से निकलती है और जहां तक मुझे मालूम है, सन् ५३ तक की रिपोर्ट निकली है और उसके बाद की कोई रिपोर्ट नहीं निकली। मेरे ख्याल में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हर साल के आखिर में यह मालूम हो जाय कि कितने मुकदमें

फैसले हुये और कितने अभी बाक़ी हैं। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस की रिपोर्ट दो-दो तीन-तीन वर्ष के बाद निकलेगी तो उसका मकसद जाया हो जाता है। जहां तक सिविल मुकदमों का ताल्लुक है, माननीय मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया कि इसकी हालत बहुत ही खराब है। बहुत मुमकिन है कि अगर इसी तरह से हालत रही तो सिविल केसेज के बारे में बहुत ही खराब हालत हो जायगी। हालत यह है कि अभी कुछ १९४५–४६ की अपीलों का फैसला नहीं हुआ और उसके बाद की अपीले काफी तादाद में, पेंडिंग फैसल नहीं हुई। जैसा माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि हाईकोर्ट की तरफ से बहुत कोशिश हो रही है कि मुकदमें फैसला किये जायं और रिट के लिये काफी बेंचेज मुकर्रर की गई हैं। आज कल फौजदारी के ऊपर उसी तरह से तवज्जह दी जा रही है लेकिन उसका नतीजा यह निकला है कि दीवानी के मुकदमें पिछड़े जा रहे हैं। मैं यह भी नहीं कह सकता कि जितने मुकदमें फौजदारी के फैसले होते हैं उससे कम नये मुकदमें आज कल दायर हो रहे हैं। इसका नतीजा बहुत मुमकिन है कि यह निकले कि फौजदारी का काम तो जैसा था वही रहेगा, लेकिन दीवानी का जहां तक ताल्लुक है वह बहुत काफी पिछड़ जाएगा। माननीय मंत्री जी ने अभी फरमाया कि वह सिविल और सेशन जजों की संख्या बढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल में उसकी भी जरूरत है बल्कि जरूरत यह है कि इस तादाद को और बढ़ायें। जहां तक हाईकोर्ट का ताल्लुक है, मैं निवेदन करूंगा कि इस वक्त हाई कोर्ट में जजों की स्ट्रेंथ २४ है और इस वक्त कुल मिलाकर वहां पर २३ जज हैं। अगर यही नक्शा कायम रहा तो एरियर्स बढ़ते चले जायेंगे और घटने की कोई उम्मीद नहीं है। जहां तक सिविल मुकदमों का ताल्लुक है वह तो कतई बढ़ते चले जायेंगे। मैं बहुत जरूरी समझता हूं और मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर हाई कोर्ट के जजों की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई जायगी तब तक हालत सुधरने का कोई तरीका नहीं निकलेगा। यह भारतीय विधान का मामला है। उसमें परिवर्तन करने की बात है। इस वक्त ऐडहाक जजेज रखे गये हैं, यह भी एक कंट्रोवर्सी का मामला आ जाता है कि ऐडहाक जजेज को मुकर्रर करना कहां तक मुनासिब है। मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन एडहाक जजेज से ही काम चल सकता है तो ऐडहाक जजेज और बढ़ायें। पहले एडीशनल जजेज हुआ करते थे। लेकिन नये विधान में ऐडीशनल जजेज की कोई जगह नहीं रखी गयी। लेकिन अब यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जजों की तादाद बढ़ायें क्योंकि अगर जजों की संख्या इसी तरह से रही तो मैं यह समझता हूं कि हालत के सुधार की कोई उम्मीद नहीं है।

मैं इसके साथ यह भी निवेदन करूंगा कि कहीं-कहीं अदालतों की इमारतें बहुत ही सस्ता और बोसीदा हैं। अगर किसी दिन यह खबर आ जाय कि कोई जज या वकील छत गिरने से दब गये तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। मैंने फतेहपुर की दीवानी कचहरी को खुद देखा है। वहां की हालत यह है कि जब मैं वहां पर था, मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे ऊपर छत न गिर पड़े। मुझे मालूम हुआ कि यह कंडेम्ड इमारत है। लेकिन मालूम नहीं कितने सालों से कंडेम्ड है। वह किसी दिन नीचे चली आ सकती है। इसी तरह से बहुत सी और कचहरियां हैं। वहां की इमारतें ठीक नहीं हैं। वकीलों के बैठने के लिये भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है। यह एक बहुत जरूरी चीज है। इस वक्त मुझे ज्यादा समय नहीं है। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी इन बातों को खुद जानते होंगे और इसीलिये मैंने उनसे यह निवेदन किया।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)––माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान पेश है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में बहुत से भाषण इस सदन में हुए, उनको मैंने गौर से सुना। मैं इस सम्बन्ध में आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और दिशा में दिलाना चाहता हूं। आजकल जो न्याय हमारी अदालतों में हो रहा है वह न्याय असल में न्याय नहीं है। वह वास्तविकता से, असलियत से बहुत दूर है। न्याय तो सच्चाई के ऊपर होना चाहिये। जो आज न्याय हो रहा है वह महज झूठ पर बना

[श्री रतनलाल जैन]

हूं। वहां पर सच्चाई की कोई जगह नहीं है। हमारे जो जाब्ता फ़ौजदारी या दीवानी के कानून हैं वे न्याय, वास्तविकता, असलियत की रक्षा करने के लिये बनाये गये, मगर उन्होंने असलियत को इतना जकड़ दिया है कि असलियत ही नष्ट हो गई है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। यहां जो फौजदारी का मुकदमा होता है, डाके वगैरह का केस होता है, तो वहां शनाख्त करायी जाती है।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्यगण बातें न करें। वक्ता का भाषण सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री रतनलाल जैन--एक डाका पड़ा है। डाका जिनके घर पर पड़ा है उनसे शनाख्त करायी जाती है। मैं कहता हूं कि जब डाका पड़ा हो और डाकू सिर पर सवार हों, तो यह नामुमकिन है कि वह उसको पहचान सके। या तो डाकू लोग अपने चेहरे पर कपड़ा लपेटे रहते हैं, या सिर पर साफा वगैरह बांध कर आते हैं, जिससे कोई न पहचान सके। अगर मान लिया जाय कि वैसे भी आये तो जिसके घर डाका पड़ता है उस की अक्ल तो खत्म हो जाती है, वह उसको पहिचान नहीं सकता, उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। यह बिलकुल असम्भव है, गलत है कि उन्हें वह पहिचान सके। मगर कोई मुकदमा डाके का तब तक चलता नहीं, जब तक शनाख्त न हो जाय। क्या हो रहा है? माननीय मंत्री जी जानते हैं जहां कोई डाके में पकड़ा गया तो उनकी शनाख्त करने के लिये पुलिस यह करती है कि गवाहों को पहले दिखा देती है, फिर वह मुकदमे में उसकी शनाख्त करते हैं। यह वाकया है, काम है, सब जगह हो रहा है। उनके ऊपर उनको सजा मिलती है, फांसी होती है। मैं कहता हूं कि यह शनाख्त का मसला बिलकुल गलत है, लागो है, झूंठ है। हमारे यहां भौतिकवाद की तरक्की हुई है, हमारे यहां दुनियाबी तरक्की हुई है, मगर जहां तक हमारी मौरेल वैल्यूज हैं, नैतिकता है, वह गिर रही है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। यह अदालतें जो सत्य की जगहें होनी चाहिये आज असत्यता की जगह बन रही हैं। यह समझा जाता है कि यह अदालतें जो हैं इनमें झूंठ नहीं है। ऐसा समझा जाता है।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि इसका आज क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज पुलिस के चालानी मुकदमें छूट रहे हैं। इसमें इस बात का भी असर है, हर एक जानता है कि पहले पुलिस के साथ एक दायरा होता था सब-इंस्पेक्टर के साथ और उसमें आम तौर से ऐसे आदमी होते थे जिनकी पब्लिक में रेप्यूटेशन नहीं होती थी, जो पुलिस के कहने से शहादत देते थे। आज की परिस्थिति में वह लोग कम होते जा रहे हैं। मगर पुलिस को आज दिक्कत पड़ रही है कि कहां से शहादत लावें, कोई शहादत नहीं चल सकती, जब तक कि गवाह झूंठ न बोलें। कोई सच्चा आदमी शहादत में कभी कामयाब नहीं हो सकता। यदि मुझे शहादत में पेश किया जावे तो मैं सच्चाई और कर्त्तव्य के नाते सच बोलना पसन्द करूंगा, झूठ नहीं। लेकिन बिना झूंठ बोले काम अदालत में नहीं चलता। इसलिये मुझे शहादत में पेश नहीं किया जावेगा। हमारे जज भी यह चाहते हैं कि जो शहादत आवे, जो चूल से चुल मिल जाय। एक गवाह जो कहता है वही दूसरा गवाह भी कहे। अगर उसकी शहादत में फर्क है तो केस खारिज। मैं कहता हूं किसी सच्चे वाकये को दो आदमी देख लें, उनका बयान कभी एक नहीं हो सकता है। अभी सोशलिस्ट पार्टी के जलूस की एक अखबार खबर देता है ५ हजार की भीड़ थी, दूसरा अखबार कहता है ५० हजार। एक ही बात को दो आदमी देखते हैं, उनका भिन्न दृष्टिकोण होता है। मगर हमारे जज क्या चाहते हैं? अगर शहादत में दो आदमियों की फर्क हो जाता है, इख्तलाफ़ हो जाता है तो शहादत रद्द हो जाती है। मैं कहता हूं कि अगर आप अपने देश का उत्थान करना चाहते हैं, जहां आपने भौतिकता की बातें, उनके आराम की बातें, वेलफ़ेयर की बातें की हैं, वहां नैतिकता भी आनी चाहिये। अगर वहां नहीं है तो सब बेकार।

अगर नैतिकता आयी तो अनुशासन होगा, देश की तरक्की होगी। आज हमारी अदालतें नैतिकता से बहुत दूर हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि वह इधर ध्यान दें।

श्री पद्मनाथ सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, तर्कपूर्ण दलीलों के साथ न्याय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। मैंने बड़े ध्यान से तिवारी जी के भाषण को सुना। जस्टिस मुल्ला के उस भाषण को भी मैंने पढ़ा है। इसमें संदेह नहीं, सिद्धांत रूप में बातें सुन्दर हैं और अच्छी हैं। लेकिन हमारे इस देश में जब सोशल चेंजेज होते हैं तो ट्रांजीटरी पीरियड में अजीब ट्रेन्ड्स और टेंडेंसी हुआ करती है। उनको ध्यान में रख कर यदि विचार किया जाय तो जुडीशियरी का सेपरेशन उचित होते हुये भी कहां तक लागू हो सकता है। आज के समाज में, और कहां तक उसकी उपयोगिता हो सकती है जस्टिस के लिये, मैं दो तीन बातें सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसमें सन्देह नहीं, मैंने कहा कि जुडीशियरी का सेपरेशन और जुडिशियरी का बिलकुल अलग इंडिपेंडेंट होना आवश्यक है, लेकिन आज हो सकेगा यह काम या नहीं हो सकेगा, इसके लिये मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। जब ऐग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ ऐक्ट और रेंट रिलीफ ऐक्ट पास हुआ था तो न्यायालयों में बहुत से लोग अपने दावों को लेकर जाने लगे थे। मैं दो मुन्सिफों के ट्रेंड्स की बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक मुंसिफ साहब आये, उनके सामने जो केसेज इस तरह के आये तो उन्होंने आंख मूदकर के जो डेटर्स थे, जो कर्ज लेने वाले थे, उनके पक्ष में इस कदर फैसला करने शुरू किये कि जो कानूनन सूद माफ होना चाहिये, जो इंस्टालमेंट्स मिलने चाहिये, ज्यादा से ज्यादा जितनी दूर जा सकते थे जाकर के उन्होंने कर्ज लेने वालों के पक्ष में फैसले किए। लेकिन उनके पश्चात्ही एक दूसरे मुंसिफ आये और उन्होंने आकर के महाजनों के पक्ष में जतना हो सकता था, उतना करते हुये फैसला करना शुरू किया। एक ही कानून में दो प्रवृत्ति के जज आये और दोनों में से एक ने महाजनों को सुविधा देना शुरू किया और दूसरे ने कर्ज लेने वालों को सुविधा देना शुरू किया। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, आज भी सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स ऐक्ट में भी जो जजेज आते हैं, वह जजेज अपनी प्रवृत्ति के अनुसार फैसले किया करते हैं। तो आज इस समाज में जब इंटरेस्ट में कांफ्लिक्ट है और उसकी वजह से तरह-तरह की प्रवृत्तियों के लोग हैं तो उसी प्रवृत्तियों के लोग जजशिप भी करते हैं। तो इस बात को मान लेना कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बिलकुल ऐसा न्याय करेगी कि जो सोशलिस्टिक स्टेट में होना चाहिये, या हो सकता है, या जिसकी कल्पना नारायणदत्त जी करते हैं, या जिसकी कल्पना कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया में की गयी है, यह कुछ सही नहीं होगा। मेरी समझ में जब तक इंटरेस्ट में कांफ्लिक्ट है, तरह-तरह की प्रवृत्तियां हैं, तब तक मैं इस बात को नहीं मानता कि वह इंडिपेंडेंट जुडिशियरी वही बातें पूरा करेगी जिनकी कि हम कल्पना करते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं। सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर सदन का कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

श्री पद्मनाथ सिंह—मैं निवेदन कर रहा था कि जो ट्रांजीशन पीरियड है, उस ट्रांजीशन पीरियड में जो वैरियस कांफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट है, वह उसमें इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आज ही हम सबके उस अंतिम लक्ष्य को पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसके दो तीन उदाहरण मैंने उपस्थित किये। उन उदाहरणों में मैंने स्वयं जो अपना अनुभव है, उसमें यह देखा है कि जो जज है, वह भी आज उसी कांफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट से प्रभावित हो करके फैसला करता है। मैं यह नहीं कहता कि उनकी नियत में कोई अन्तर होता है बल्कि उनका मन स्वयं इस कदर उस इंटरेस्ट के कांफ्लिक्ट से प्रभावित रहता है कि आज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होते हुये भी हम वह न्याय वहां नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिस न्याय की आशा हम उस जुडिशियरी से करते हैं। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जब समाज में एक ट्रांजीशन पीरियड होता है तो हम आज ही अपने उस लक्ष्य को जिसको हम कल्पना करते हैं या जिसको हम कांस्टीट्यूशन में लिखे हुये हैं या जिन बातों को हम बाई स्टेजेज पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि उस कांस्टीट्यूशन में लिखी

[श्री पद्मनाथ सिंह]

हुयी बात को भी पूरे हिन्दुस्तान के समाज को ध्यान में रखते हुये पूरा करना है, तो उस परिस्थिति में आज ही हम उस कल्पना को पूरा होते हुये नहीं देख सकते जब तक कि हम समाज की प्रवृत्तियों में एक समन्वय नहीं लाते । तो मैं इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की बात एक अंश में तो बहुत कुछ दूर है । आज सुप्रीम कोर्ट में या हाईकोर्ट में सब जगह पब्लिक के जो केसेज जाते हैं, उनमें हम यह देखते हैं कि गवर्नमेंट के बनाये ऐक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर करने में किसी कोर्ट ने कोई उसमें रियायत नहीं की, कोई उसमें सुविधा नहीं दी है स्टेट्स को, तो एक माने में तो हम यह कहते हैं कि जुडीशियरी हमारी बहुत कुछ इंडिपेंडेंट है। जहां पब्लिक और स्टेट के बीच में कोई चीज आती है, लेकिन जहां पब्लिक और पब्लिक का प्रश्न है जब तक हम समाज में इंटरेस्ट के कांफ्लिक्ट को दूर नहीं करेंगे और ऐसा करने में जो स्टेजेज मिलते हैं, उन स्टेजेज को पार नहीं कर लेते हैं तब तक हम यह कहें कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी पूरा न्याय कर सकेगी, यह मैं समझता हूं कि वह पूरा न्याय नहीं कर सकेगी । इसलिये न्याय मंत्री जी की जो दलील थी, सही थी । जो कांस्टीट्यूशन की धारा है उसके लक्ष्य को हम पूरा करना चाहते हैं लेकिन आज ही वह प्राप्त हो जाय, यह न्यायसंगत नहीं है ।

एक बात और, आज हमारे जजेज इंडिपेंडेंस तो एन्ज्वाय करते हैं, लेकिन मैं न्याय मंत्री जी से आजमगढ़ जिले की एक घटना का अनुभव रखने के कारण कहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक डाइरेक्शन जजेज के पास चला जाना चाहिये कि वे ज्यादातर पब्लिक फंक्शन्स में ऐसोसियेट न करें ।

आजमगढ़ में ऐसा एक केस हो गया है और उसकी ओर संकेत करते हुये मैं सूबे भर की जुडीशियरी के लिये एक निष्कर्ष निकालना चाहता हूं कि जब जजेज लाइयर्स या पब्लिक के यहां आने जाने लगते हैं तो उसमें कई गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं और उसमें गड़बड़ी होने से जनता जस्टिस के प्रति अपना विश्वास खोने लगती है । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि जजेज को ज्यादा जनसम्पर्क बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है और ऐसा एक डाइरेक्टिव गवर्नमेंट से चला जाना चाहिये कि वे ज्यादा पब्लिक फंक्शन्स और दावतों आदि में न जायें, तो अच्छा है ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि सिविल कोर्ट्स और कलेक्टरेट का जुरिस्डिक्शन साफ होना चाहिये । आजकल यह दावे होते हैं सिविल कोर्ट्स में कि अधिवासी है या नहीं है । वह जाते हैं कलेक्टरेट में डिप्टी कलेक्टर के यहां और वहां छः-छः महीने और आठ-आठ महीने बाद रिटर्न होकर सिविल कोर्ट में फिर आते हैं और तब कहीं फैसला होता है । मैं कहता हूं कि सिविल कोर्ट्स उनके लिये बहुत कम्पिटेंट कोर्ट्स हैं, वहां उनको जाना चाहिये ।

श्री उमाशंकर--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हूं, उनकी हिम्मत के लिये कि अब तक जो लोग बोले हैं उनमें से केवल वे ही हैं जिन्होंने माननीय मंत्री जी को बधाई दी है । माननीय काटजू साहब ने एक नकशा आपके सामने रखा कि न्यायालय के मकान गिर रहे हैं, तो मकान ही थोड़े गिर रहे हैं, उनका नैतिक स्तर गिर रहा है, सारे सामान गिर रहे हैं, मकान तो सज रहे हैं मिनिस्टरों के, और यहां तक सज रहे हैं कि अब तो वे साये में भी धूप के चश्मे लगाकर बैठते हैं ।

एक सदस्य--लारी के परमिट्स तो नहीं लेते ।

श्री उमाशंकर--लारी के परमिट्स लेना कौन बुरा काम है । इस राज्य में माननीय अध्यक्ष महोदय, न्याय की खुले आम बिक्री हो रही है । कोई गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, वह कभी न्याय पा नहीं सकता। न्याय भी तो दो तरह के हैं । एक तो जो हाईकोर्ट के मातहत हैं, वहां तो गनीमत है, लेकिन इस सरकार के मातहत जो न्यायालय हैं, उनकी हालत जरा सुनिये । छः-छः महीने से आदमी जेलखाने में पड़े हैं, कानून बना रखा है कि रिमांड आर्डर तब दिया जायगा जब न्यायालय के सामने मौका उस मुलजिम को मिलेगा, मगर उनको जेलखाने में ही रिमांड आर्डर मिलते जा रहे हैं । सवाल इस सदन में पूछे गये, और जवाब में माननीय मंत्री जी ने

कहा कि एक बार गलती हो गयी। मगर फिर जाकर जेलखानों का मुआयना कीजिये। छः-छः महीनों से लोग पड़े हुये हैं, उनके पास जेलखानों में आर्डर पहुंचते जा रहे हैं। जब ऐसा कोई कायदा नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि यह सब बातें कहीं किससे जा रही है। इस सरकार के बारे में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिखा है और माननीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जब चुर्क में आये थे तो उन्होंने भी कहा था कि कानून अबाध गति से अपने रास्ते पर जायेगा और जो उसके रास्ते में हायल होगा, वह रगड़ दिया जायगा, पीस दिया जायगा। ये उनके शब्द हैं और माननीय हाईकोर्ट ने उसके बाद फैसला दिया कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अवैध तरीके से २,५०० आदमियों को जेलखाने में बन्द कर रखा है। अगर यह लोग न्यायालय की प्रतिष्ठा कायम रखने वाले थे तो इनको जब हाईकोर्ट ने मुजरिम करार दे दिया था, तब इस्तीफा दे देना चाहिये था चाहे सदस्यगण इन्हीं को फिर से बैठा देते, मगर एक मौका वह ऐसा था, जब इस्तीफा देना चाहिये था। लोअर अदालतों की वजह से हमारे प्रदेश में जो पुलिस का नंगा नृत्य हो रहा है, वह इस सदन के सदस्यों को मालूम है। १०७ के मुकदमे साल-साल भर अदालतों में चलाये जाते हैं। दोनों पार्टियां अदालत में कहने को तैयार हैं कि हम में कोई झगड़ा नहीं है, हम आपस में सुलह से हैं, मगर अदालत जबरदस्ती कह रही है कि नहीं, तुम में झगड़ा है। जहां कत्ल होने की सम्भावना है, जहां अमन कायम करने की जरूरत है वहां से पुलिस के थानों में चिट्ठियां आती हैं, मैजिस्ट्रेटों के पास चिट्ठियां जाती हैं कि यहां अमन कायम करने की व्यवस्था कीजिये लेकिन कोई परवाह नहीं की जाती है। मैं बीसों उदाहरण दे सकता हूं जहां चिट्ठी लिखी गयी है पुलिस को, मैजिस्ट्रेट को, कि यहां खतरा है, आप प्रबंध कीजिये, मगर कोई परवाह नहीं की गयी। माननीय अवधशरण वर्मा का जो कत्ल है वह सब लोग जानते ही हैं, पहले से मालूम था।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं यह जुडिशियल डिपार्टमेंट का बजट है, इसका पुलिस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उमाशंकर--जी, जरा सा इशारा किया है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि न्याय हर आदमी को मुफ्त मिलना चाहिये। वह सरकार कोई व्यवस्थित सरकार नहीं है, उस सरकार को मैं एक तंत्र की सरकार से भी खराब समझता हूं, जिस सरकार के राज्य में न्याय मोल बिकता हो। हमारे देश में एक तंत्र राज्य भी रहा है, मगर आज गांव-गांव में जहांगीरी पाप मशहूर है। आज लोकतंत्र के जमाने में न्याय का रोज गला घोटा जाता है। न्यायालयों में तीन-तीन वर्ष तक मुकदमें रखे जाते हैं। जब कोई नकशा मांगा जाता है तो एक साल ऐसे मुकदमे को दिखा दिया कि खारिज कर दिया, फिर एक साल तक तंग किया। आप देखना चाहें तो परगना हाकिम, घोसी के न्यायालय का निरीक्षण, श्रीमन्, आप खुद करें। आपको सब मालूम हो जायगा। मैं तो चाहता हूं कि श्रीमन्, आप खुद निरीक्षण करें। एक बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने निवेदन किया था नारायणदत्त जी के किसी प्रश्न पर कि "श्रीमान्, मैंने आप खुद जांच करें"। उस समय मैंने भी कहा था कि श्रीमान् जी, आप होल्डआल लेकर चलेंगे पूर्वी जिलों में, तो मैंने भी जौनपुर का कुछ वाकयात आपको बताया था और प्रार्थना की थी जरा इनको भी देखियेगा। मगर इस सरकार में यह गैरत नहीं हुयी कि आपके जाने का इंतजाम करे। विरोधी दल आपकी हर सुविधा का इन्तजाम कर सकता है। आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार पूर्वी जिलों में घूमिये।

श्री अध्यक्ष--आप हमारी ओर इस प्रकार का ध्यान न दें।

श्री उमाशंकर--श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि पूर्वी जिलों में जाकर इन लोगों की करामात को देखिये। यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, यदि पहले मंत्री जी जवाब देने की कृपा करें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष--अब तो केवल २० मिनट रह गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है। मेरे प्रस्ताव कटौती की चेष्टा केवल श्री पद्मनाथ सिंह जी ने की है और मैं उनका भी आभारी हूं जो उन्होंने अपनी राय व्यक्त की.....

श्री अध्यक्ष—शायद अब आपकी कटौती १६ आने की जगह १५ आने रह गयी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस सरकार ने अपने प्रस्ताव में कई बार नीति को स्वीकार किया है और वांचू कमेटी ने स्पष्ट कह दिया था कि इन दी प्रेजेंट सरकम्स्टेंसेज यानी वर्तमान स्थिति में भी जुडीशियरी का ऐक्जीक्यूटिव से सैपरेशन कर सकते हैं।

> "The complete separation of judicial function is one of the directive principles of State policy incorporated in the constitution of India and we feel that there will be no serious difficulty if effect is given to the suggestion of a complete separation of excutive and judicial functions even in the present circumstances".

वांचू कमेटी जिसमें श्री चरण सिंह भी थे, ने एकमत से सिफारिश की है और यह १९५० की सिफारिश है। बम्बई और मदरास वगैरा की सरकारों ने इस सिद्धांत को मान लिया। बम्बई ने १९५१ में सेपेरेशन आफ जुडिशियरी फ्राम ऐक्जीक्यूटिव ऐक्ट पास कर दिया। लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि १६ जिलों में हमने कर दिया है, लेकिन बाकी जिलों में क्या होगा? और कब करेंगे, इसके लिये कोई प्रोग्राम नहीं है। क्या इन १६ जिलों में कोई खास नियामत है, किस तरह से इनको छांटा गया है? यह जो आपने यू० पी० का बंटवारा कर दिया है, १६ जिलों में बिना ऐक्ट के कर दिया है। बम्बई और मदरास में ऐक्ट बन गये। लेकिन आपका कोई ऐक्ट नहीं बना है तो मैं क्या कहूं, समझदार को इशारा काफी है। मंत्री जी अगर थोड़ी भी परिष्कृत बुद्धि का इस्तेमाल करें तो इसको पायेंगे। इसलिये मैं कहूंगा कि वह प्रायश्चित करें उसकी, जो गल्ती सरकार द्वारा हुयी है और एक रुपये की कटौती सरकार स्वीकार करे।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, इस कटौती की बहस के सिलसिले में एक तकरीर जो हमारे जजेज हाई कोर्ट ने हाल में जुडिशियल कान्फ्रेंस में की थी उसका भी हवाला दिया गया है। मालूम नहीं, कहां तक मुनासिब है। बहरहाल जहां तक हाईकोर्ट जजेज के फैसले का ताल्लुक है, जो बहैसियत हाईकोर्ट जजेज करते हैं उसको हर शख्स के मानने का फर्ज है और एक्जीक्यूटिव भी उसकी इज्जत करती है, उसकी वकअत करती है। लेकिन उसके साथ ही जो हाईकोर्ट जजेज हैं उनके लिए किसी गवर्नमेंट की पालिसी को क्रिटिसाइज करना या नुक्ता चीनी करना, यह कहां तक मौजूं है, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है और यह अपनी जगह पर है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि जुडीशियरी एक्जीक्यूटिव से अलग नहीं होनी चाहिये। मेरी पूरी तकरीर यह थी कि वह अपनी जगह पर दुरुस्त चीज है और उसको होना चाहिये। लेकिन कौन चीज पहले और कौन चीज पीछे हो, इसके लिए कोई कायदा या नियम नहीं बने हुए हैं और स्टेट्स के डिस्क्रीशन पर है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ स्टेट्स हैं और उनकी हालत भी जुदा-जुदा है। मद्रास और बम्बई में जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव अगर अलग हैं तो वहां कम्प्लीट प्रोहिबिशन भी है। और स्टेट्स हैं उन्होंने नहीं किया प्रोहिबिशन, और उनके यहां जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव भी सेप्रेट नहीं हैं। अब देखना यह है कि हम को बम्बई और मद्रास की तकलीद करते हुए फौरन कर देना चाहिए या और स्टेट्स जैसे रुके हुए हैं वैसे ही हम को भी ठहर कर यह करने की जरूरत है और दूसरी चीजों की जो इस से ज्यादा जरूरी हैं, उनकी तरफ ज्यादा तवज्जह देने की जरूरत है। यह मैं नहीं समझता कि हर जज या हर आफिसर के मुताल्लिक यह समझा जाय कि वह ईमानदार है और वह मुकदमों को सही तरीके से करता है या हर मैजिस्ट्रेट बुरा है और बेईमान है, बेईमानी करता है, इसके लिए कोई कायदा है। अगर ऐसा है तो मेरे खयाल में यह गलत है। ऐसा नहीं है। होते हैं बाज मैजिस्ट्रेटस कि जो निहायत इन्साफ से काम करते हैं और कभी यह पसन्द नहीं करते कि किसी के

साथ ज्यादती हो, उसी तरह से बाज अफसर ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि किसी के साथ जबरदस्ती न की जाय और इन्साफ से सब काम हो, लेकिन मेरे खयाल में एक्सेप्शन्स हर जगह होते हैं। जो ऐसे केस आते हैं और हमें इत्तला मिलती है, तो बाज वक्त उनके खिलाफ कार्यवाही भी करनी पड़ती है। लेकिन वह तो एक्सेप्शन्स हैं। मैं मैजिस्ट्रेट्स के मुताल्लिक यह नहीं कहता कि उनमें कोई बुरा है ही नहीं, लेकिन यह समझना कि जब उसके सामने कोई मामला जायगा तो वह उसको गैर मुन्सिफाना तरीके से, हठधर्मी से या किसी खास नुक्ते निगाह से देखेगा, सही नहीं है। दो चार ऐसे हों, तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता, हो सकते हैं, लेकिन यह कहना कि मैजिस्ट्रेट्स से हमको इन्साफ की उम्मीद है ही नहीं, मेरे खयाल में किसी तरह से भी सही नहीं है। मेरा यह तजुर्बा है और एक जगह का नहीं, कई जिलों का तजुर्बा है कि उस जिले में जब एक जज जाता है, और वह अगर स्ट्रिक्ट होता है, जमानत मुश्किल से देता है, मुकदमे जो पेश होते हैं उनमें अच्छी सजा देता है, तो कानून वही रहता है, पुलिस वही रहती है, अफसरान वही रहते हैं, लेकिन अगर वह सख्ती करता है तो उसका नतीजा यह होता है कि उस जिले में फौरन क्राइम कम हो जाते हैं। उसी जिले में एक दूसरा अफसर जाता है जिसकी यह शोहरत है कि वह आसानी से मुलाजिमों को छोड़ देता है, जरा सी कमजोरी मालूम हुई प्रासीक्युशन में तो बेनिफिट आफ डाउट दे कर उसको छोड़ देता है, और अगर लोगों को उम्मीद हो जाती है कि हम छुड़ा लेंगे और खास कर उस वक्त जब कि एक अच्छा वकील हम कर सकते हैं, तो फौरन क्राइम बढ़ जाते हैं। यह ऐसे वाक्यात हैं कि जो रोज आंखों के सामने आते हैं। जुडिशियल आफिसर दोनों हैं लेकिन एक का अप्रोच एक तरह का होता है और दूसरे का अप्रोच दूसरी तरह का होता है। तो मैं यह नहीं कहता कि मैजिस्ट्रेट्स और जजेज में कोई डिफ्रेंस नहीं पड़ता। अप्रोच में डिफ्रेंस हो सकता है, लेकिन वह फर्क तो जज, जज में है, मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट में है, लेकिन हम उनसे किसी मामले में न तो उम्मीद करते हैं और न चाहते हैं कि वह किसी मामले में तरफदारी करें या बेइन्साफी करें और अगर वह करेंगे, और अगर हमारे पास उसकी इत्तिला आयेगी, तो यकीनन हम उनकी उसी कदर मलाजिमत करेंगे जैसी कि जुडिशियल अफसर की। हमें यह समझना चाहिए कि जो भी जनता की सरकार हो, वह कभी बरदाश्त नहीं कर सकती कि उसका कोई अफसर चाहे वह एक्जीक्युटिव का हो या जुडिशियरी का वह किसी के साथ किसी किस्म की, पार्शियालिटी करे या कोई ऐसा काम करे कि जिस से बेइन्साफी हो। हम तो चाहते हैं कि वह मुन्सिफाना ढंग से जनता के हर फर्द के साथ इन्साफ करे। अगर गलत आफिसर हैं, तो उसको हम सजा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि हमारा सिस्टम खराब है। अगर हमने अलग भी कर दिया तो इसके क्या माने हैं कि क्या हम अपने एक्जीक्युटिव आफिसर्स से यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह इन्साफ नहीं करेंगे या जो हमारी पुलिस है वह जनता के साथ सही बरताव नहीं करेगी। हमारी यह नीति है और हमारी यह गरज होगी कि उनका तरीका और उनका बरताव इन लोगों के साथ उसी तरह से होना चाहिए जैसा कि जुडिशियल आफिसरों का है या कोई ऐसे शख्स हों जिनके दिल में न्याय हो और जो चाहते हों कि इन्साफ करें। अगर हमारी गवर्नमेंट में और हमारे आफिसर्स में और हमारी पुलिस में यह कमजोरी रह गयी, तो इसके मायने यह हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारे एक्जीक्युटिव आफिसर किसी दूसरी तरह के हों।

जहां तक इस उसूल का ताल्लुक है हमने बार-बार कहा है और फिर कहता हूं कि हम इस उसूल को तस्लीम करते हैं। इसमें कुछ खूबियां हैं और एक अरसे से कांग्रेस ने इसको तसलीम किया है। हम यह जानते कि दूसरे मुल्कों में भी यह उसूल माना गया है लेकिन सवाल यह है कि ऐसे वक्त में जब कि हमारे मुल्क में और खास कर हमारे प्रदेश में जब कि बहुत क्राइम्स हैं और यहां पर काफी बदअमनी का अन्देशा है, तो ऐसी सूरत में कोई ऐसा कदम उठाना जिसकी वजह से उन जरायम में इजाफा हो और कुछ लोगों को यह खयाल हो जैसा मैंने मिसाल देकर बतलाया कि उनको इत्मीनान के साथ जुर्म करने का मौका मिलेगा और जरा भी उनको कानून का सहारा मिल गया, तो वे सजा से बच जायेंगे अगर इस तरीका खयाल उनके दिमाग में पैदा हो, तो हम नहीं चाहते हैं कि उनके लिए इस तरह का मौका दिया जाय। ऐसी

[श्री सैयद अली जहीर]

सूरत में हमारे मुल्क में बदअमनी का अन्देशा हो सकता है। उस रिस्क को हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इस वक्त हम उस काम में लगे हुए हैं कि यहां के क्राइम्स कम हों और अपराध घटें उसी पर हम जोर देना चाहते हैं और उसको ही पूरा करने की कोशिश करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि कोई भी जिम्मेदार आदमी यह नहीं कहेगा कि यह वक्त ऐसा है जबकि हम अपने पंचसाला प्लान में लगे हुए हैं। और बेकारी दूर करना है और खुशहाली लाना है तो ऐसे स्टेप उठाये जायं, जिससे बदअमनी का अन्देशा हो। यही चीज हमको अपने सामने रखना रखना है।

जहां तक जस्टिस मुल्ला के स्टेटमेंट की बात है, उन्होंने एक आम उसूल को जो हर शख्स मानता है और जिसको मैं भी डिस्प्यूट नहीं करता बयान किया है। लेकिन जूडिशियल आफिसर्स की कान्फ्रेंस में उनके लिए यह कहां तक मुनासिब था कि जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं, उनके सामने इस तरह की बातें कहें कि किस का हुक्म वह मानें, और किसका नहीं मानें। ऐसी बातें कहां तक उनके लिए कहना मुनासिब है इस पर वह खुद ही गौर कर सकते हैं लेकिन मेरी यह अर्ज है कि हमारे जूडिशियल आफिसर्स को मुकदमों का फैसला करने में और किसी चीज का भी खयाल नहीं होना चाहिए। वह और किसी चीज का खयाल नहीं करते हैं यह मैं भी उम्मीद करता हूं। हर आफिसर की एक जगह होती है, और हर जगह के लिए मौका होता है। जिसके ऊपर कोई बात कही जाती है, और जहां पर नहीं कही जानी चाहिए। लेकिन यह दूसरी बात है।

व्हिपिंग के मुताल्लिक तिवारी जी ने फरमाया कि उसको अबालिश करना चाहिए। हमारे प्रान्त में यह पहले से खत्म हो गया है और हमारे यहां अब व्हिपिंग बाकी नहीं है।

यह भी कहा गया कि जस्टिस को चीप होना चाहिए। यह ठीक है और हम भी इसको तस्लीम करते हैं लेकिन जहां तक स्टाम्प या कोर्ट फीस का ताल्लुक है यह विभाग मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे याद पड़ता है जब मैंने यहां पर कोर्ट फीस का संशोधन बिल पेश किया था, तो उस वक्त मेरे पास यह इत्तिला आयी थी कि बहुत से सूबों के मुकाबिले में हमारे यहां के जो रेट्स हैं, कोर्ट फीस के वह और जगह से बहुत कम हैं। और भी अगर सस्ता हो सके तो अच्छा है, लेकिन यह मामला एक जनरल पालिसी का है। जो देखने में की चीज है, वह यह है कि बावजूद इन्साफ गरां होने के और कोर्ट फीस ज्यादा होने के मुकदमात की तादाद इस कदर ज्यादा है कि उसको कोप करना, उसका मुकाबला करना और उसको खत्म करना हमारे इमकान से बाहर हो जायगा। जैसा कि हमारे शिव जी ने कहा कि सिविल वर्क कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्रिमिनल वर्क में तो कोर्ट फीस का कोई सवाल ही नहीं है। तो अगर उसको बिलकुल चीप कर दिया जायगा, तो न मालूम केसेज की कितनी तादाद हो जायगी और हर में उसको निपटाना मुश्किल हो जायगा।

जहां तक इन्कम का ताल्लुक है, स्टाम्प से जो इन्कम होती है, उसमें कुल इन्कम है। जहां कहीं दरख्वास्तें गुजरती हैं, चाहे मैजिस्ट्रेट के यहां हों, चाहे जूडिशियल आफिसर के यहां हों, चाहे सिविल कोर्ट में हों, जो स्टाम्प वहां लगाये जाते हैं, वह स्टाम्प की आमदनी में दिखलाये जाते हैं। जहां तक जूडिशियरी का ताल्लुक है, जो मैंने मूव किया है, उसमें जो रुपया दिखाया गया है, वह १ करोड़ ५४ लाख रुपया है। यह रुपया वह है, जो जूडिशियल डिपार्टमेंट पर, सिविल जजेज और सेशन्स जजेज पर खर्च होता है। इनके अलावा जो दूसरे जूडिशियल आफिसर्स होते हैं वे भी मुकदमात करते हैं, उनका खर्चा उसमें शामिल नहीं है। अगर उन सब का हिसाब लगाया जाय, तो मेरा खयाल है कि हमारा खर्चा आमदनी से ज्यादा बढ़ जायगा। हालांकि यह जरूर है कि वे एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी दोनों फंक्शन्स को करते हैं। लेकिन यह कहना कि हम आमदनी ज्यादा कर रहे हैं, सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष----प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५--लेखा शीर्षक २७--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अयध्क्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५--न्याय प्रशासन (लेखा शीर्षक २७--न्याय प्रशासन) के अन्तर्गत, १,२८,७३,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें किसी भाषण की आवश्यकता नहीं है। जब अपर हाउस से नाम आयेंगे, तब यहां भी नामों के लिए पेश कर दिया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मन्त्री जी ने संयुक्त प्रवर समिति के लिए किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। क्योंकि इस पर जनरल बहस बाद में होगी, इसलिए किसी बहस की इस समय आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, मैं इसमें एक संशोधन पेश करना चाहता हूं और वह संशोधन यह है कि वह संयुक्त प्रवर समिति १५ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश कर दे।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे इसका विरोध है।

श्री अध्यक्ष--मैं इसे संशोधन सहित ही पेश किए देता हूं।

प्रश्न यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन के अन्दर उपस्थित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--३,
विपक्ष में--४५।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१६ मार्च, १९५६।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३९ पर)

तालिका १

जिला	नाम अनाथालय	आश्रितों की औसत संख्या
देहरादून	श्री श्रद्धानन्द अनाथ बनिताश्रम, तिलक रोड, देहरादून	५८
सहारनपुर	अनवर मुस्तफाई, सहारनपुर ।	४४
	श्री जानकीबाई कैसर हिन्द अनाथालाय, हरिद्वार	१२
मुजफ्फरनगर	दारुल मतामा अनाथलय	१४
मेरठ	वैश्य अर्फनेज, मेरठ	१०१
	सेन्ट जोसेफ गर्ल्स आर्फसेज, सरधाना, मेरठ	३८
	सेन्ट फ्रैन्सिस आर्फनेज (ब्यायज) सरधाना, मेरठ	९२
	मुस्लिम आर्फनेज	सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई
बुलन्दशहर	हिन्दू आर्फनेज चौक बाजार	२६
अलीगढ	मुस्लिम अनाथालय	२०
मथुरा	किशोरी अनाथालय	१०
आगरा	श्रीमद दयानन्द अनाथालय,आगरा च..	११५
	सेन्ट विसेण्ट होम फार विडोज एन्ड आर्फन्स आगरा	६४
	सेन्ट पीटर्स कालेज एण्ड आर्फनेज, आगरा	१
	सेन्ट जोजफेस आर्फनेज एन्ड गर्ल्स स्कूल वजीरपुर, आगरा	७१
बरेली	आर्य समाज अनाथालय ..	४५
	मुस्लिम आर्फनेज	१३
बिजनौर	इस्लामियां आर्फ नेज	१३
शाहजहांपुर	श्रीमद् दयानन्द अनाथालय ..	३१
कानपुर	हिन्दू अनाथालय	११८
	यतीमखाना इसलामियां ..	१४०
इलाहाबाद	हिन्दू अनाथालय	३८
	मुस्लिम अनाथालय	३७
	अनाथ शिल्प विद्यालय ..	६४
झांसी	दीन हितकारिणी सभा ..	६४
	सेन्ट फिलामेन्स आर्फनेज ..	९
	सेन्ट जोजफ्स आर्फनेज	
	मुस्लिम यतीमखाना	सूचना अभी नहीं प्राप्त हुई
	हिन्दू अनाथालय	
	सेन्टजान वास्को अर्फनेज	

जिला	नाम अनाथालय		आश्रितों की औसत संख्या
जालौन	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अनाथलय	..	८
हमीरपुर	जेसस क्राइस्ट आर्फनेज मिशन कुल-पहाड़, हमीरपुर	.. ..	१५
	प्रान्तीय अनाथालय, महोबा	..	१९
	मुस्लिम आर्फनेज, भौदहा, हमीरपुर	..	१७
बांदा	बुन्देलखण्ड हिन्दू अनाथालय, बांदा	..	२७
बनारस	काशी अनाथालाय एसोसिएशन	..	७६
	आदर्श अनाथलय ..	..	९२
	भिन्गाराज अनाथालय	..	१३
	काशी सेवा समिति अनाथालय	..	३६
	दयानन्द अनाथालय ..	..	१५९
	आर्य अनाथालय ..	..	१०१
मिर्जापुर	अनाथालय आर्य समाज	..	१४०
जौनपुर	मिर्जा यावरबेग मुस्लिम यतीमखाना, जौनपुर		६६
बलिया	वैदिक अनाथालय, बलिया	..	४०
गोरखपुर	आर० बी० दुर्गाप्रसाद पुअर हाउस	..	
	एन्ड आर्फनेज ..	..	१५
	यतीमखाना हमीदिया	..	२४
बस्ती	श्री मद्यानन्द अनाथालय, बस्ती	..	१९
अल्मोड़ा	आर्य अनाथालय ..	..	५
लखनऊ	श्री श्रद्धानन्द आर्फनेज	..	५
	मुमताज आर्फनेज ..	..	८१
	श्री राम इन्डस्ट्रियल आर्फनेज	..	१७
	आल इन्डिया शिया यतीमखाना	..	सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई
	दयानन्द आर्फनेज ..	..	२६
उन्नाव	हिन्दुस्तान अनाथ आश्रम	..	५
सीतापुर	हिन्दू महाजनी अनाथालय	..	५
खेरी	जयहिन्द अनाथालय ..	..	१२
फैजाबाद	मुस्लिम यतीमखाना ..	..	२६
गोंडा	मैक्डानल आर्फनेज ..	..	१०

अनुसंधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३९ पर)

तालिका २

नाम जिला	नाम संस्था	१९५४-५५ में प्रदत्त धनराशि
		रु०
देहरादून	श्री श्रद्धानन्द अनाथ बनिताश्रम, देहरादून ..	१,५००
सहारनपुर	अनवर मुस्तफाये, सहारनपुर ..	५००
मेरठ	वैश्य आर्फनेज, मेरठ	२,०००
	मुस्लिम आर्फनेज मेरठ ..	५००
बुलन्दशहर	हिन्दू आर्फनेज, बुलन्दशहर ..	१,५००
मथुरा	किशोरी अनाथालय, गोवर्धन ..	५००
आगरा	श्रीमद् दयानन्द अनाथलय, जमुनाबृज, आगरा	२,०००
	सेन्ट जोसेफ आर्फनेज	१,०००
	सेन्ट बिन्सेन्ट्स होम फार विडोज एण्ड ..	
	आर्फन्स, आगरा	५००
बरेली	आर्य समाज आर्फनेज, बरेली ..	२,०००
	मुस्लिम आर्फनेज, बरेली ..	५००
शाहजहांपुर	श्रीमद् दयानन्दन आर्फनेज, शाहजहांपुर ..	५००
कानपुर	हिन्दू अनाथालय, कानपुर ..	२,५००
	यतीमखाना इस्लामियां, कानपुर ..	१,५००
इलाहाबाद	हिन्दू आर्फनेज, इलाहाबाद ..	२,०००
झांसी	दीन हितकारिणी सभा, झांसी ..	१,०००
जालौन	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अनाथालय ..	१,०००
हमीरपुर	प्रान्तीय अनाथालय, महोबा ..	१,०००
बांदा	बुन्देलखंड आर्फनेज, बांदा ..	५००
बनारस	काशी अनाथालय, एसोसियेशन ..	२,०००
	भिन्गाराज अनाथालय, बनारस ..	५००
	काशी सेवा समिति अनाथालय ..	१,५००
गोरखपुर	हमीदिया आर्फनेज, गोरखपुर ..	२५०
	आर० बी० दुर्गा प्रसाद पुअर हाउस एन्ड	
	आर्फनेज	५००
बस्ती	श्रीमद् दयानन्द अनाथलय, बस्ती ..	१,०००
अल्मोड़ा	कमायू आर्य अनाथालय, अल्मोडा ..	५००
लखनऊ	श्रीराम इन्डस्ट्रियल आर्फनेज, लखनऊ ..	५००
	आल इन्डिया शिया यतीमखाना, लखनऊ	५००
	दयानन्द आर्फनेज	५००
गोंडा	मैक्डानैल आर्फनेज, बलरामपुर ..	२५०

चालू वर्ष १९५५-५६ में अनाथालयों को अनुदान देने का प्रश्न विचाराधीन है। वर्ष समाप्त होने के पूर्व ही उपयुक्त अनाथालयों को उचित अनुदान स्वीकृत कर दिये जायेंगे।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४० पर)

तालिका ३

नाम जिला	नाम संस्था	अनाथों की संख्या १९५१	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५
देहरादून	श्री श्रद्धानन्द अनाथ बनिताश्रम, तिलक रोड, देहरादून	४६	५०	५६	६३	७५
सहारनपुर	अनवर मुस्तफाई, सहारनपुर	२४	५५	४५	४५	४८
	श्रीमती जानकी बाई केसरहिन्द अनाथालय, हरिद्वार ..	१२	१२	१२	१२	१२
मुजफ्फरनगर	दारुल यतीम अनाथालय, मुजफ्फरनगर ..	९	११	११	१९	२३
मेरठ	वैश्य आर्फनेज, मेरठ ..	१०४	१०१	९९	१०३	१०१
	सेन्ट जोजेफ्स गर्ल्स आर्फनेज, सरधाना, मेरठ ..	३७	३८	४०	४०	३५
	सेन्ट फ्रैन्सिस आर्फनेज (ब्यायज), मेरठ ..	९२	९१	९६	९०	९४
	मुस्लिम आर्फनेज ..	(सूचना अभी नहीं प्राप्त हुई)				
बुलन्दशहर	हिन्दू आर्फनेज, चौकबाजार	२५	२७	२७	२८	२४
अलीगढ़	मुस्लिम अनाथालय ..	२५	२३	२४	१५	१०
मथुरा	किशोरी अनाथालय, मथुरा	८	११	९	१०	११
आगरा	श्रीमद दयानन्द अनाथालय, आगरा ..	१२२	११६	११२	११६	१०८
	सेन्टबिन्सेन्ट होम फार बिडोज एन्ड आर्फन्स, आगरा	७५	७२	६८	५९	४८
	सेन्टपिटर्स कालेज एन्ड अफिनेज, आगरा ..	—	—	—	—	१
	सेन्ट जोजफ्स आर्फनेज एन्ड गर्ल्स स्कूल, वजीरपुरा, आगरा	८०	५९	६९	७६	७१
बरेली	आर्य समाज अनाथालय, बरेली ..	५०	४८	४३	४०	४६
	मुस्लिम आर्फनेज ..	१२	१०	१३	१४	१४
बिजनौर	इस्लामिया आर्फनेज ..	१५	१२	१५	१२	९
शाहजहांपुर	श्रीमद दयानन्द अनाथालय	१८	२७	३८	४३	२९
कानपुर	हिन्दू अनाथालय ..	१११	१२९	११७	११७	११५
	यतीमखाना इस्लामिया	१४४	१५७	१४५	१२७	१२५
इलाहाबाद	हिन्दू अनाथालय ..	३६	३६	३६	३६	४८
	मुस्लिम अनाथालय	४०	४०	४०	४०	२५
	अनाथ शिल्प विद्यालय	६५	६५	६५	६५	५९

नाम जिला	नाम अनाथालय	अनाथों की संख्या				
		१९५१	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५
झांसी	दीन हितकारिणी सभा ..	६६	७०	६८	५२	६४
	सेन्ट फिलामेन्स आर्फनेज ..	५ वर्ष के भीतर कुल ४७				
	सेन्ट जोजफ्स आर्फनेज ..	—	—	—	—	३६
	मुस्लिम यतीमखाना ..	—	—	—	—	५
	हिन्दू अनाथालय ..	—	—	—	—	१४
	सेन्ट जान बास्को आर्फनेज..	—	—	—	—	२५
जालौन	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अनाथालय	८	८	९	८	९
हमीरपुर	जेसस क्राइस्ट आर्फनेज मिशन, कुलपहाड़, हमीरपुर ..	३	१८	२३	१८	१४
	प्रान्तीय अनाथालय, महोबा	१९	१७	१९	२१	२०
	मुस्लिम आर्फनेज, मौदहा, हमीरपुर ..	१५	१३	११	१४	२३
बांदा	बुन्देलखंड हिन्दू अनाथालय	३५	२८	२५	२२	१५
बनारस	काशी अनाथालय एशोसियेशन	७७	४७	७०	८६	१०२
	आदर्श अनाथालय ..	७८	१०१	९९	१०५	७९
	भिन्गाराज अनाथालय ..	६	६	२	१३	३७
	काशी सेवा समिति अनाथालय	३६	३४	३४	३७	४०
	दयानन्द अनाथालय ..	२००	२०४	१०७	१२५	१५७
	आर्य अनाथालय ..	९९	२०८	९९	६४	४५
मिर्जापुर	अनाथालय आर्य समाज ..	१०२	१५१	१३५	१५२	१६०
जौनपुर	मिर्जायावर बेग मुस्लिम यतीमखाना, जौनपुर ..	६६	५६	६१	८१	७३
बलिया	वैदिक अनाथालय, बलिया	६६	६६	७५	२३	—
गोरखपुर	आर० वी० दुर्गा प्रसाद पुअर हाउस एन्ड आर्फनेज	१३	१६	१६	१५	१४
	यतीमखाना, हमीदिया	२४	२६	२३	२५	२१
बस्ती	श्रीमद् दयानन्द अनाथालय, बस्ती	२६	२०	१६	१६	१६
अल्मोड़ा	आर्य अनाथालय ..	५	५	५	५	२
लखनऊ	श्री श्रद्धानन्द आर्फनेज	—	—	—	२१	६
	मुमताज आर्फनेज ..	८२	८५	८१	८०	७८
	श्रीराम इन्डस्ट्रियल आर्फनेज	१३	१९	९	२३	२०
	आल इन्डिया शिया यतीमखाना	—	—	—	—	५९
	दयानन्द आर्फनेज ..	—	२८	२६	२४	२५
उन्नाव	हिन्दोस्तान अनाथ आश्रम	८	५	४	३	२
सीतापुर	हिन्दू महाजनी अनाथालय	८	५	३	४	३
खेरी	जयहिन्द अनाथालय ..	१९	१५	६	४	१६
फैजाबाद	मुस्लिम यतीमखाना ..	२८	२६	२३	२५	२८
गोंडा	मैक्डानेल ..	१२	१२	१०	९	८

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४१ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	विद्यालय और विद्यार्थी का नाम	जाति	कक्षा	दर प्रति मास
१	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ		सर्वप्रथम वर्ष	
				रु०
१	सुमेरगिरि	गोसाईं	एम० एस–सी० प्र० वर्ष	४०
२	शम्भूदयाल	कुर्मी	एम० ए० ,,	३५
३	छत्तरसिंह	गूजर	एम० एस–सी० ,,	३५
४	कमलापति वर्मा	कुर्मी	बी० ए० ,,	३०
५	सन्तलाल वर्मा	कुम्हार	बी० काम ,,	३०
६	कु० फूल कुमारी साहू ..	तेली	बी० ए० ,,	३०
७	रामेश्वर वर्मा	सोनार	बी० काम० ,,	३०
८	शोभाराम	कुर्मी	बी० काम० ,,	३०
९	बिबूराम	कुर्मी	बी० काम० ,,	३०
१०	कृशवराज	कुर्मी	बी० ए० ,,	३०
११	मण्णदेव यादव	अहीर	बी० काम० ,,	३०
१२	दनपाल सिंह	कुर्मी	बी० एस० सी० ,,	३०
१३	झब्बू लाल	अहीर	बी० काम० ,,	३०
१४	रामशंकर वर्मा	कुर्मी	बी० काम० ,,	३०
१५	राजनारायण	कुर्मी	बी० एस-सी० ,,	३०
१६	बालचन्द्र मौर्य	काछी	बी० एस-सी० ,,	३०
	कु० कृष्ण कुमारी पाल ..	गड़रिया	बी० ए० ,,	२५
			योग	४,२००
२	डी० ए० वी० कालेज कानपुर			
१	प्रतापनारायण सचान ..	कुर्मी	एम० ए० प्र० वर्ष	३५
२	यमुनाप्रसाद सचान ..	कुर्मी	एम० ए० ,,	३५
३	कु० विमला निखर ..	गड़रिया	एम० ए० ,,	३५
४	रामअवतार कटियार ..	कुर्मी	एम० ए० ,,	३५
५	वीरेन्द्र सिंह	कुर्मी	एम० ए० ,,	३५
६	कु० उषा कुमारी	कुर्मी	एम० ए० ,,	३५
७	उमाशंकर कटियार ..	कुर्मी	एम० काम० ,,	३०
८	राजाराम यादव ..	अहीर	बी० ए० ,,	३०
९	बाबूराम कटियार	कुर्मी	बी० काम० ,,	३०
१०	शिवपालसिंह यादव ..	अहीर	बी० काम० ,,	३०
११	प्रकाशचन्द्र चौरसिया ..	तमोली	बी० काम० ,,	३०
१२	रामनारायणसिंह ..	कुर्मी	बी० ए० ,,	३०

क्रम-संख्या	विद्यालय और विद्यालय का नाम	जाति	कक्षा	दर प्रति मास
१३	विश्वनाथसिंह	सोनार	बी० काम० ..	३०
१४	जयनारायणसिंह ..	काछी	बी० ए० .	३०
१५	रमेशनरायण सचान ..	कुर्मी	बी० ए० ..	३०
१६	रणजीतप्रसाद	कुर्मी	बी० ए० ..	३०
१७	यदुनाथसिंह यादव ..	अहीर	बी० ए० ..	३०
१८	रूपचन्द्र	लोहार	बी० ए० ..	३०
१९	राजेन्द्रसिंह मौर्य ..	कोयरी	बी० ए० ..	३०
२०	कैलाशचन्द्र	कुर्मी	बी० ए० ..	३०
२१	जैजैराम अरूण	गड़रिया	बी० ए० ..	३०
२२	यमुनाप्रसाद	कुर्मी	बी० ए० ..	३०
२३	रामप्रसाद सचान ..	कुर्मी	बी० ए० ..	३०
२४	सतीशचन्द्र गंगवार ..	कुर्मी	बी० एस-सी० ..	३०
२५	सत्यनारायण वर्मा ..	कुर्मी	बी० एस०-सी० ..	३०
२६	कु० सरलाकुमारी ..	कुर्मी	बी० एस०-सी ..	२५
२७	रामसेवक वर्मा ..	कुर्मी	बी० ए० ..	३०
२८	ओमप्रकाश सविता ..	नाई	बी० ए० ..	३०
			योग	६,८८०

३ चौधरी महादेव प्रसाद कालेज, इलाहाबाद

१	रामआसरे यादव ..	अहीर	बी० एस-सी० प्र० वर्ष	३०
			योग	२४०

४ तिलकधारी कालेज जौनपुर

(प्रश्न में जे० डी० कालेज नाम दिया है जो गलत है।)

१	शिवशंकर यादव ..	अहीर	बी० ए० प्र० वर्ष ..	३५
२	रहमतुल्ला	दफाली	बी० ए० ,, ..	३०
			योग ..	५२०

५ शिवली नेशनल कालेज, आजमगढ़

१	अभयकिशोर प्रसाद	सोनार	बी० काम० प्र० वर्ष	३०
२	रामलखन राम	कुर्मी	बी० ए० ,,	२५
			योग	४४०

६ काशी विश्वविद्यालय काशी—— रु०

१	बैजनाथ बरई	तमोली	एम० ए०	प्र० वर्ष	३५
२	बसन्तलाल	नाई	एम० ए०	..	३५
३	छोटेलाल	माली	एम० काम०	..	३५
४	गौरीराम	कुर्मी	एम० काम०	..	३५
५	हीरालाल	कुम्हार	एम० ए०	..	३५
६	दुर्गाप्रसाद बरई ..	तमोली	एम० ए०	..	३५
७	मन्नूलाल ..	भर	एम० ए०	..	३५
८	इन्द्रदेवप्रसाद	कोयरी	बी० ए०	..	३०
९	ओंकारराम	कहार	बी० काम०	..	३०
१०	कैलाशनाथ रावत ..	अहीर	बी० ए०	..	३०
११	मिश्री प्रसाद	कुर्मी	बी० ए०	..	३०
१२	मनोहरलाल	कोयरी	बी० काम०	..	३०
१३	पारसनाथ बरई ..	तमोली	बी० ए०	..	३०
१४	रामकृत सिंह यादव ..	अहीर	बी० काम०	..	३०
१५	बिन्दा प्रसाद	कोयरी	बी० काम०	..	३०
१६	राममूर्तिराम यादव ..	अहीर	बी० ए०	..	३०
१७	राम प्रतापसिंह	कुर्मी	बी० ए०	..	३०
१८	सगीताराम	नाई	बी० ए०	..	३०
१९	दूधनाथसिंह	अहीर	बी० काम०	..	३०
२०	रामवृक्ष सिंह	कुर्मी	बी० ए०	..	३०
२१	राममूर्तिसिंह	कुर्मी	बी० ए०	..	३०

योग .. ५,३२०

डी० एस० यू० पी० ए० पी० ४ एल० ए०—१९५६—७९६ ।

उत्तर प्रदेश सभा